राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १९वां दिवस [संख्या १५

शुक्रवार ६ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री मुरलीधर व्यास।

किंग जॉर्ज फिफ्थ सिल्वर जुब्ली लाइब्रेरी बीकानेर

३५१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) किंग जॉर्ज फिफ्त सिल्वर जुब्ली लाइब्रेरी बीकानेर की जांच कब हुई ? कृपया जांच की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखिये।

(२) क्या यह सत्य है कि जांच में गबन फ्रॉड व सरकारी धन का दुरूपयोग का इल्जाम सम्बन्धित अधिकारी पर लगाया गया है ?

(३) लाइब्रेरी में से कितनी किताबें गायब हैं व उनकी कुल कीमत क्या है ?

(४) क्या अधिकारी पर ऐसे भी आरोप हैं कि उन्होंने बिना चपरासी के दौरा किया व उसकी रकम वसूल कर अपने जेब में रखी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की अनुपस्थिति में) :

(१) जून १९१८ में सेन्ट्रल लाइब्रेरी बीकानेर, के लाइब्रेरियन द्वारा अनौपचारिक रूप से जांच की गई थी।

(२) औपचारिक रूप से जांच होने पर ही कहा जा सकता है।

(३) अनौपचारिक रूप से की गई जांच की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है इसलिए उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) रिपोर्ट अभी विचाराधीन है और जांच की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह अनौपचा-

Page No 2

(श्री मुरलीधर व्यास)

रिक जांच की है तो क्या उसमें फ्रॉड और गबन आदि के कार्यों की रिपोर्ट आई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। मैंने कहा कि अनौपचारिक रूप से जांच की गई है और इसके अन्दर mis-use of Government funds, irregularities regarding the attendance of staff, maintenance of service record etc. etc; इस तरह के बहुत से एलीगेशन्स हैं लेकिन जब तक इन्क्वायरी होकर पूरी जांच नहीं हो जाये तब तक नहीं कहा जा सकता कि यह सब एलीगेशन्स सही हैं या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जांच कब हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने उत्तर दिया है कि अनौपचारिक रूप से इसकी जांच जून १९५८ में हुई।

श्री मुरलीधर व्यास : तो उसके बाद में अब तक पूरी जांच क्यों नहीं हुई है जब कि गवर्नमेंट के पास में ऐसी रिपोर्ट है कि इसके अन्दर काफी घोटाले हैं। तो यह सब कुछ होते हुए भी तत्परता के साथ में गवर्नमेंट ने अनौपचारिक रूप से और जांच क्यों नहीं करवाई।

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच की जा रही है और लास्ट फाइनल डेट थर्ड वीक आफ़ मार्च, १९५९ तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए आज्ञा दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मार्च तक सारा काम कम्पलीट हो जायगा क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें टाइम दिया गया है, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर सोशियल एजुकेशन को टाइम यह दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : Shri Shribhan Singh.

बिनाना ग्राम के सिचाई बांध का सर्वे

३५२. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

(1) Has a survey for Irrigation Bund at village Binana in Bharatpur district been made by the Government ?

(2) If yes, what are the prospects ? If no, when will it be undertaken ?

उप-मन्त्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (1) There is no village like Binana, but there is a tank known as Binana.

(2) The work has been under taken and will be completed before the coming monsoons.

श्री अध्यक्ष : Next.

भरतपुर शहर की दहीवाली गली में जूते बनाने वाली संस्था

३५३. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना सु०) क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सत्य है कि भरतपुर शहर की दहीवाली गली में जूता बनाने की संस्था

(श्री गोवरधनसिंह केन)

है ? यदि हां, तो वह किसकी है, और संस्था का नाम क्या है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उद्योग विभाग की सिफ़ारिश पर १५,०००) रुपये का जूतों के कार्य के लिये सुनहरी पाउडर एवं स्प्रिट का आयात लाइसेन्स भरतपुर की किसी चमड़े की संस्था को दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किस समय के लिये ? उक्त संस्था किस स्थान पर स्थित है और संस्था का एवं संस्था के मालिक का क्या नाम है और वह कहां का रहने वाला है ?

(३) उक्त चर्म संस्था की प्रति दिन की उत्पादन क्षमता क्या है, और यह किस किस प्रकार का माल उत्पादन करती है ? आयात किया गया सुनहरी पाउडर एवं स्प्रिट चर्म संस्था द्वारा किस किस कार्य में प्रयोग किया जाता है ? इस संस्था में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं ?

उप मंत्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) नहीं।

(२) नहीं।

(३) प्रश्न नही उठता।

श्री अध्यक्ष : Next.

बयाना तहसील में जैसोरा बांध का अनेक स्थानों पर टूटना

३५४. **श्री शोभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state :

Is the Government aware that the Jaisora Bund in Bayana Tehsil is breached at several places ? If so, does the Government intend to undertake its immediate repairs ?

उप मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री भीखा भाई) : Yes, arrangements for repairs are already in hand.

श्री अध्यक्ष : Shri Murlidhar Vyas.

हाथ कर्घा आंकड़े एकत्रित करने की स्कीम के अन्तर्गत स्टाफ का वेतन

३५५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि हाथ कर्घा के आंकड़े एकत्रित करने की स्कीम के अन्तर्गत जो स्टाफ़ नियुक्त हुआ था, उसका वेतन सन् १९५७ का, अब तक नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां।

(२) स्टाफ ऑल इन्डिया हैन्डलूम बोर्ड की योजना पर रखा गया था। स्कीम की अवधि पूर्ण होने पर व कार्य बाकी रहने से स्टाफ को इस आशा पर कि स्कीम की अवधि बढ़ जायेगी जारी रखा गया। लेकिन हैन्डलूम बोर्ड ने स्वीकृति नहीं दी। हैन्डलूम बोर्ड से लिखा पढ़ी जारी है और आशा है कि यह मामला शीघ्र ही तय हो जावेगा।

Page No 4

श्री मुरलीधर व्यास : यह कर्मचारियों के वेतन का मामला है इसलिये कब तक तय हो जायगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह हैंडलूम बोर्ड पर निर्भर करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी कर्मचारियों का वेतन इस प्रकार रूकता है तो यह अच्छी बात नहीं है उनको शीघ्र वेतन दिलाने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्थिति इस प्रकार की है कि हैंडलूम के आंकड़े तैयार करने के लिये हैंडलूम बोर्ड ने ४ महीनों के लिये नियुक्ति नवम्बर सन् ५६ से स्वीकृत हुई लेकिन काम पूरा नहीं हो सका इसलिये अगस्त ५७ तक उस स्टाफ से काम लिया गया, आशा यह थी कि हैंडलूम बोर्ड और स्वीकृति दे देगा लेकिन उसने स्वीकृति अब तक नहीं दी इसलिये देरी हुई। एक हजार रुपये देने बाकी है। हैंडलूम बोर्ड को कहा गया है कि शीघ्र ही पेमेंट कर दे।

जालौर से उम्मेदाबाद होती हुई बागोडा तक की सड़क

२५६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि जालौर से उम्मेदाबाद होती हुई बागोड़ा जाने वाली सड़क जो अब सरकार द्वारा बनाई जा रही है उसमें कई शिड्यूल्ड कास्ट के काश्तकारों के मकानात आते हैं और करीब २० काश्तकारों के बेरे खराब होते हैं ?

(२) क्या इसके मुतल्लिक कोई शिकायत आई है ?

यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) इस मार्ग में अभी सड़क नहीं बनाई जा रही है।

(२) जी हां।

(३) जांच की गई, मामला विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उम्मेदाबाद तक सड़क नहीं बनाई गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस भाग में नहीं बनाई जा रही है। यह सड़क २० मील तक बनाई गई है आगे के कार्य का एलाइन्मेंट निश्चित नहीं किया गया है पक्की सर्वे नहीं हुई है। हरिजनों की जमीन एलाइन्मेंट के बीच में आयेगी या नहीं यह नहीं कहा जा सकता।

श्री लक्ष्मीचन्द : उम्मेदाबाद तक सड़क गई है या नहीं, यह बतला दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकमकोर होते हुए गढ़ी तक सड़क बनाते हुए जालोर से उम्मेदाबाद के बीच में २० मील तक सड़क बनाई गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इस जगह के बीच में हरिजनों के मकान आते हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं आते।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : वहां तक सड़क बन गई है, लोगों ने शिकायत की तब कलेक्टर असिस्टेन्ट इंजीनियर वगैराह मौके पर गये थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यदि यह सूचना दे रहे हैं कि वहां तक सड़क आ गई है तो और जांच करा लेंगे। मेरे पास जो सूचना है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : २० मील तक जो सड़क बन गई है उसके बीच में हरिजन आते हैं या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जो जानकारी थी वह मैंने अर्ज कर दी।

मकराना खान का स्टाफ

३५७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मंत्री, खनिज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या मकराना खान का स्टाफ स्थाई हो गया है ? अगर हां, तो क्या उपरोक्त नियम भांकरी वाले स्टाफ पर लागू नहीं होते हैं ?

उप मंत्री खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : मकराना में कई खानें लीज़ पर दी हुई हैं। सरकारी तौर पर नहीं चलाई जा रही हैं इसलिये स्टाफ के स्थाई करने का प्रश्न उन पर लागू नहीं होता।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Sir, the Hon'bel Deputy Minister is still repeating the process that was prohibited yesterday.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : What was prohibited ? There was no prohibition. मकराना में कई खानें लीज़ पर दी हुई हैं। सरकारी तौर पर नहीं चलाई जा रही है इसलिये स्टाफ को स्थाई करने का प्रश्न लागू नहीं होता।

उम्मेदाबाद के पुलिस थाने के भवन का किराया

३५८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के उम्मेदाबाद पुलिस थाने की चौकी का भवन किराये पर है ? यदि हां, तो कब से और उसका कितना किराया चुकाया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : जी हां, पुलिस चौकी उम्मेदाबाद का मकान ६-११-४६ से किराये पर है और २८-२-५५ तक का किराया दिया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीचन्द : इसके बाद का किराया नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी. ए. डी. ने २०-७-५५ को पी. डब्ल्यु. डी. को रेफर किया कि इसका किराया कितना होना चाहिये। एसेसमेंट होने पर एडजस्टमेन्ट किया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सरकार पैसे देने में लिमिटेशन का ध्यान रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार से दिया जाने वाला पैसा कभी टाइम बार्ड नहीं होता। देना जो होता है वह कभी भी दिया जा सकता है।

पुलिस कॉन्स्टेबिल की पेन्शन, ग्रेच्युएटी इत्यादि

३५६. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या एक्स रेलवे पुलिस कॉन्स्टेबिल देवीदान, थाना सामदड़ी, ज़िला बाड़मेर को २१ वर्ष की पुलिस सर्विस के बाद २०-२-५७ को रिटायर किया गया ?

(२) क्या उपरोक्त कॉन्स्टेबिल ने सम्बंधित अधिकारियों से अपनी पेन्शन, ग्रेच्युएटी और प्रोविडेन्ट फन्ड दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र दिये ?

(३) सरकार कब तक इस मामले को अन्तिम तौर पर निश्चिय कर देने की व्यवस्था कर सकेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) एक्स कॉन्स्टेबिल देवीदान पुलिस चौकी रेलवे समदड़ी को दिनांक ३.७.५७ को लगभग २८ ॥ साल की नौकरी समाप्त होने के बाद रिटायर किया गया।

(२) जी हां।

(३) उसके पेन्शन और ग्रेन्युएटी के कागज़ात अकॉउन्टेन्ट जनरल राजस्थान जयपुर के कार्यालय में दिनांक ६-१०-५८ को भेजे गये। यहां पर कुछ एतराज़ हुए और उनका जवाब सु.पु. रेलवे जयपुर ने दिनांक १५-१२-५८ को दिया है। अकॉउन्टेन्ट जनरल ने ता० १३-१-५६ को ग्रेच्युएटी और पेन्शन पेमेन्ट ऑर्डर जारी कर दिया है।

झांकरी खान के कर्मचारियों को पेन्शन

३६०. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार के ऐसे नियम हैं कि वे कर्मचारी जिनका माइनिंग या दूसरे डिपार्टमेंट में २५ या ३० वर्ष का सेवा काल हो गया है, पेन्शन मिलनी चाहिये ?

(२) अगर हां, तो क्या झांकरी खान का स्टाफ भी पेन्शन का अधिकारी है ?

उप मंत्री खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां, उनके लिये जिनकी स्थायी नियुक्ति है।

(२) झांकरी स्टाफ वर्क चार्ज़ स्टाफ है अतः पेन्शन के अधिकारी नहीं हैं।

ग्राम मोटड़ा के कृषकों से नहरी लगान की वसूली

३६१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि टोडा भीम के ग्राम मोटड़ा के कृषकों को संवत् १६६६ में बंध से पानी दिया गया था तथा संवत् २००० में पचों में उसका नहरी लगान बंध गया था ?

(२) क्या यह सही है कि उस समय के बाद से आज तक काश्तकारों को उक्त बंध से पानी दिया गया जब कि लगान नहरी ही उनसे वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : हां, यह सच है कि ग्राम मोटड़ा के कृषकों को सम्वत् १९९९ में बन्ध बिसन समन्द से पानी दिया गया था। नहरी लगान कायम करने का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(२) यह सही नहीं है। उस समय के बाद भी उस बन्ध से संवत् २००० से ला. संवत् २००२, संवत् २००४ ला. २००८, सं० २०१२ ला. संवत् २०१४ में पानी दिया जाता रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : संवत् २००८ से २०१२ के बीच में पानी क्यों नहीं दिया गया ?

श्री भीखाभाई : पानी उसमें नहीं था, इसलिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या वहां पर पानी नहीं था फिर भी उन गांवों से नहरी लगान लिया गया ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है राजस्व विभाग से ताल्लुक रखता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रश्न यह है कि पानी नहीं था, सूख गया था तब भी उन गांवों से नहरी लगान लिया गया था क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): माननीय अध्यक्ष, पिछली टर्न पर मैंने साफ अर्ज किया था कि जिनकी जमीन को पानी न मिला, किसी वजह से, उनके लिए लॉ बना हुआ है। जिन काश्तकारों को शिकायत हो, वे कानून के तहत लगान क्लेम कर सकेंगे, इर्रिगेशन रेट्स कम करा सकेंगे। इसमें यह प्रश्न है कि पानी खुद काश्तकार न ले, या पानी न होने की वज़ह से पानी न मिले, इसके लिए कानून बना हुआ है। इसमें जनरल पॉलिसी ले डाउन करने का सवाल नहीं है। कानून है, उसके तहत काश्तकार अपील कर सकता है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो माननीय मंत्री जी निवेदन कर चुके हैं, वह ठीक है, मगर जो ऑफिसर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि जिसको पानी नहीं मिला उसका नहरी लगान दर्ज कर रहे हैं। यह उनकी ड्युटी है, काश्तकार किसको पुकारे। खुद माननीय मंत्री जी एडमिट कर रहे हैं जमीन इर्रिगेट नहीं की गई क्योंकि पानी नहीं था और रेवेन्यु ऑफिसर ने दर्ज किया कि जमीन इर्रिगेट की गई। यह किसकी रेस्पोन्सिबिलिटी है ? रेवेन्यू ऑफिसर को दर्ज नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इसमें दिक्कत इसलिए आती है, एक तो यह होता है कि जमीन का लगान और इर्रिगेशन की रेट, कई जगह कोटा में ऐसा है कि इर्रिगेशन रेट अलग ली जाती है, ज़मीन का लगान अलग लिया जाता है। लगान में जो इर्रिगेशन रेट जुड़ती है, वह साल ब साल कम नहीं हो सकती और जिस साल पानी नहीं मिलेगा, उस साल इर्रिगेशन रेट नहीं ली जायगी। माननीय सदस्य का मतलब है कि इर्रिगेशन का राइट नहीं मिला तो लैंड रेवेन्यु में क्यों जोड़ी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : That cannot be reduced. As a matter of fact that goes from one settlement to another settlement. Only if in a particular year the land did not get the water, that cannot be reduced. There

(श्री दामोदरलाल व्यास)

are, however, provisions for abatement of rent under the Tenancy law and everyone can avail of those.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): Why the amount cannot be reduced?

श्री दामोदरलाल व्यास : Because according to law they can get abatement. There are some provisions in the Tenancy law and they can take recourse to them.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनिआरा): अध्यक्ष महोदय, जिनका सैटिलमेंट हो चुका है, उनके सैटिलमेंट रेट में ही लगान शामिल कर रेट ले ली गई। लेकिन जब वहां तालाब टूट गया, तो उसके बाद भी रेट ली जा रही है क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे पता नहीं, कहां की बात पूछ रहे हैं?

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान की।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनियारा के तालाब आये हैं, वे टूटे हुए आये हैं।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : फूटे हुए नहीं आये हैं। लेकिन जहां तालाब टूट गये हैं वहां भी लगान लिया जा रहा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : पटवारी गिरदावरी करते हैं, टीप करते हैं, उसमें यह इन्द्राज़ करते है कि पानी दिया है या नहीं। अगर उस इन्द्राज में यह लिखा होता है कि पानी नहीं दिया गया है तो फिर नहरी लगान वसूल क्यों किया जाता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : थोड़ी बात और अर्ज कर दूं कि सैटिलमेंट रेट छिपी नहीं होती हैं, unless there is resettlement. यह प्रिन्सिपल है इसमें कि हर साल हर खेत की फ्लक्चुएटिंग रेट रखी जाय। there will be no fixidity of rent... उससे मालूम होगा कि कितनी रेट है। जो फैक्ट होता है, उसे पटवारी दर्ज करता है। दर्ज हुआ या नहीं हुआ, या क्यों नहीं हुआ, यह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है, इसका स्टाफ अलग है, वह दर्ज करता है। काश्तकार पानी लेना चाहे, और क्योंकि पानी नहीं था, इसलिए नहीं ले सका। He must apply to the proper authorities for abatement. इससे पटवारी न कमी कर सकता है और न बेसी कर सकता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह नहीं समझते कि काश्तकारों के लिए मुश्किल है, उनको पैसा जेब से देना पड़ता है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई मुश्किल नहीं है। एक तरीका अपनाना चाहिए, वह अपनाया जाता है हर जगह।

श्री मदनसिंह : वह कौनसा तरीका है जिससे किसानों को राहत मिली?

श्री दामोदरलाल व्यास : राहत मिलने का सवाल कहां है? कोई तकलीफ नही होती है।

(हंसी)

Page No 9

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सैटिलमेंट हो गया from one settlement to-another settlement the amount has been fixed and it cannot be fluctuated every year. अगर अबेट करना है तो उसके ग्राउन्ड लिखे हुए हैं, उन ग्राउन्ड्स पर अबेट करा सकता है। इसकी पटवारी को मंजूरी नहीं है, एस. डी. ओ. नहीं कर सकता।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार टिनेन्सी एक्ट में, जिसमें रखा है कि काश्तकार तहसीलदार को इस प्रकार की दर्ख्वास्त दे, अमेंडमेंट करने को तैयार है। जहां सरकार को मालूम हो कि पानी नहीं दिया गया है, वहां खुद लगान को छोड़ दे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी को इसे अबेट करने का अधिकार है, वह कर सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुड़ारक इलाका है, १०० आदमियों को इन्जीनियर्स के पास आना पड़ा, एस. डी. ओ. ने उनके केस पर फैसला लिख दिया। उनकी अपील की गई, टे ऑर्डर्स दिये गये। जो पानी रोका गया, वह पानी गुड़ारक में देने की जरूरत है। लेकिन वहां कार्यवाही नहीं होती है। पुलिस को लिखते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने लिखा है लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। इस तरह से गड़बड़ी होती हैं, इस तरह ध्यान देना चाहिए।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जहां तक रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने फर्माया कि कुछ ग्राउन्ड्स हैं, उनके आधार पर काश्तकार को अपील करनी चाहिए थी। जहां सामुहिक शिकायत हो और एक दो गांव के हजारों किसानों का प्रश्न हो, वहां गवर्नमेंट स्वयं इनीशियेटिव ले।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह करते हैं, ऐसे मामलों में गवर्नमेंट एक्शन लेती है। मैं इन्डीविजुअल केसेज़ के लिए अर्ज कर रहा हूं। जहां इस तरह का सवाल पैदा होता हो, कि पानी नहीं हो वर्षा का, तालाब में पानी नहीं हो, अकाल पड़ गया हो, then scarcity is declared and for that there are provisions.

श्री दयाकृष्ण विजय : स्केअरसिटी होने के कारण तथा बांध से पानी न मिलने को आप एक बात समझते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं और आप दोनों एक बात समझते हैं।

श्री जनार्दन राय नागर (मावली) : सरकार द्वारा नहरी पानी न दिया जाय तो वह लगान क्यों लेती है ?

श्री अध्यक्ष : अगर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है तो पानी की रेट नहीं लेंगे।

श्री जनार्दन राय नागर : वह लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी के कहने का मतलब है कि लैंड रेवेन्यू रेट है, उसमें पानी की रेट दर्ज होती है वह सैटिलमेंट के पहले चेंज नहीं हो सकती। सैटिलमेंट के अन्दर जो पानी की रेट मिलाई गई है, वह लगाते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि जब

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सैटिलमेंट रेट्स तय होती हैं, तो १०, २० साल का औसत निकाला जाता है। जितने खराबी के दिन आते हैं, जिन दिनों पानी बांध में नहीं होता है, वे साल एक्सक्लूड कर दिये जाते हैं। अगर १० साल में से दो, तीन साल ऐसे आयेंगे जिनमें बांध से पानी नहीं दिया जायेगा तो उसको निकाल देते हैं। जहां तक लैंड रेवेन्यू का सवाल है, it goes from one settlement to another settlement. रिवीज़न ऑफ सैटिलमेंट से कम कर सकते हैं। जहां तक इर्रिगेशन रेट का सवाल है यह प्रोविज़न है कि जितने खराबी के दिन हों, उनको कम कर सकते हैं। जिन दिनों पानी नहीं मिलता है, वह कम कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

सामरिया, बस्सी की कृषि सोसायटी के हिसाब का ऑडिट

३६२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम सामरिया, बस्सी की कृषि सोसायटी के हिसाब की सरकार के किसी ऑडिटर द्वारा जांच की गई है ?

(ख) यदि हां, तो इस सोसायटी में कितनी रकम का गोल माल है ? सदन की मेज पर ऑडिट रिपोर्ट की प्रति रखने की कृपा करें।

उप मंत्री सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां।

(ख) २०६.०२ नये पैसे का। ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : २०६.०२ नये पैसे का गबन किसने किया था और कब किया ?

श्री दौलतराम सारण : उसके भूतपूर्व व्यापक थे, श्री राम किशोर पारिख।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : वसूली के लिए नोटिस दिया गया। सहकारी कानून की धारा के अन्तर्गत. वे जमा करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो कार्यवाही की जायगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कुल रकम कितनी दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : सोसाइटी की कुल रकम ....

श्री अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं कि कितनी रकम का घोटाला हुआ।

श्री गिरधारी लाल (नोखा) : वसूली का नोटिस कब दिया गया।

श्री दौलतराम सारण : २०६.०२ नये पैसे का गबन हुआ।

श्री अध्यक्ष : नोटिस कब दिया गया, यह तारीख पूछ रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : अभी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

श्री दौलतराम सारण : २५.६.५८ को।

बीकानेर ज़िला बोर्ड के स्कूलों को सरकारी सहायता

३६३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राज्य की किन किन स्वायत्त शासन संस्थाओं को शैक्षणिक संस्था चलाने के लिये राज्य कोष से सन् १६५७–५८ में कितनी कितनी धनराशि दी गई है ?

(२) क्या ज़िला बोर्ड, बीकानेर ने अपने स्कूलों को राजकीय सहायता दिये जाने हेतु सन् १६५७–५८ में प्रार्थना पत्र दिये थे ? अगर हां, तो उक्त बोर्ड को किस कारण सहायता नहीं दी गई ? क्या इस वर्ष उक्त बोर्ड को सहायता दी जा रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) राज्य की ओर से जिन शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य कोष से सन् १६५७–५८ में धनराशि दी गई, उसका विवरण इस प्रकार है :

बीकानेर को	७६,६०६ रु०
सुजानगढ़ को	२५,०५७ रु०
सादुलपुर को	१०,८२० रु०
राजलदेशर को	५,०६४ रु०
रतनगढ़ को	३,२२५ रु०
सरदारशहर	१५,७५६ रु०
चूरू	२१,११६ रु०
नोहर	२,२५० रु०
रायसिंहनगर	२,३८६ रु०
गंगानगर	८,१६८ रु०
बून्दी	१६,६२३ रु०

(२) जी हां, ग्रान्ट-इन-ऐड कमेटी ने पिछले वर्ष यह निर्णय लिया था कि नये प्रार्थना पत्र जो ग्रांट-इन-ऐड के लिये प्राप्त हो उन्हें राजकीय सहायता के लिये सिफारिश नहीं की जावे क्योंकि उन्होंने राजकीय सहायता स्वायत्त शासन विभाग से मिलती है। इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट व म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से कई रिप्रजेन्टेशन्स आने पर कि उनकी आर्थिक हालत कमज़ोर है ग्रान्ट-इन-ऐड कमेटी ने अपने निर्णय पर फिर दुबारा विचार किया व ऐसी दरख्वास्तें जो प्राप्त हुई उनके लिए सिफारिश की। मगर ज़िला बोर्ड, बीकानेर की ओर से इस वर्ष ग्रान्ट–इन–ऐड कमेटी के लिये कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ अतः उन पर विचार करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ये सारे के सारे पैसे बीकानेर डिवीजन में दिये गये हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं दिये गये ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : किसी को मिला, मिला तो है न ?

श्री पी० के० चौधरी : I would like to know the reason.

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसा कि मैंने क्विश्चन दो में जवाब दिया।

श्री पी० के० चौधरी : मैं एक के जवाब के सिलसिले में पूछ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी यही अर्ज कर रहा हूं कि और स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से मदद मिलती है, पर ये संस्थायें ऐसी हैं जिनको फार्मर बीकानेर स्टेट से इस प्रकार की सहायता चली आ रही है, इसीलिये इसको कन्टिन्यू रखा गया है।

श्री पी० के० चौधरी : आपने नय नहीं दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am not very definite about it. I will let you know after obtaining the proper information.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

प्रकाश टॉकीज, सवाईमाधोपुर

३६४. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सवाई माधोपुर में प्रकाश टॉकीज़ नामक सिनेमा को पर्मानेन्ट लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या लाइसेन्स देने से पूर्व यह देखा गया था कि उसने सिनेमा एक्ट के तहत एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, मेडिकल डिपार्टमेंट, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस आदि के सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये थे ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास गृह मन्त्री की ओर से) :

(१) हां, दिनांक १६-४-१९५८ को प्रकाश टॉकीज़ को स्थाई लाइसेन्स दिया गया था।

(२) प्रकाश टॉकीज़, सवाई माधोपुर को स्थायी लाइसेन्स इस शर्त पर दिया था कि सिनेमा प्रोप्राइटर एक सप्ताह के भीतर सब सर्टिफिकेट प्रेषित करेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या इस प्रकार का प्रोविज़नल लाइसेंस बिना इस तरह के सर्टिफिकेट्स पेश किये, देने का एक्ट में प्रोविज़न है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्ट में प्रोविज़न है, इसीलिये तो कन्डीशन लगा कर लाइसेन्स दे दिया गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या एक्ट में इस तरह का प्रोविज़न है कि बिना सर्टिफिकेट हासिल किये लाइसेन्स नहीं देना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें शर्त है एक सप्ताह के भीतर भीतर सर्टिफिकेट पेश कर देगा तो लाइसेन्स वेलिड होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाज़ार, जयपुर), क्या यह सही है कि प्रकाश टॉकीज़ के प्रोप्राइटर ने एक सप्ताह के भीतर सर्टिफिकेट पेश नहीं किये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्विश्चन ही यही तो था। पहले प्रश्न के उत्तर में जबाब दिया गया कि स्थाई लाइसेन्स दिया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गया और दूसरे के उत्तर में कहा गया कि प्रोप्राइटर एक सप्ताह के भीतर सर्टिफिकेट प्रेषित कर देगा, इस शर्त पर दिया गया। तो वह शर्त उसने पूरी की कि नहीं ? जिस शर्त पर उसे लाइसेन्स दिया गया था उस शर्त को उसने पूरा किया या नही, वह भी आपको मालूम नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सर्टिफिकेट पेश नहीं किये होंगे तो अपने आप लाइसेन्स इन्वेलिड हो गया होगा। आप पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट पेश किये कि नहीं, यह इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है। That information is not available with me at the moment.

श्री दयाकृष्ण विजय : लाइसेन्स दिया गया था, यह आपने कहा, तो वह लाइसेन्स कैंसिल किया कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कैन्सिल करने की जरूरत नहीं, कन्डीशन फुलफिल नहीं की तो लाइसेन्स अपने आप ही नहीं रहा।

श्री दयाकृष्ण विजय : अगर यह साबित हो जाय कि एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर उसने सर्टिफिकेट पेश नहीं किये और उस टॉकीज़ को उसने चलाया है तो क्या कार्यवाही उसके खिलाफ़ की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर यह साबित हो जाय तो कानून के माफिक जो सज़ा उसे मिलनी चाहिये वह मिलेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप यह कार्यवाही करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना देंगे तो करेंगे।

एक माननीय सदस्य : सूचना तो दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम।

नोखा व कोलायत तहसीलों में पशु चिकित्सालय

३६५. श्री रूपाराम (नोखा सु०) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या सरकार की, बीकानेर ज़िला में, तहसील नोखा व कोलायत के अधिक आबादी वाले गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने की योजना है ? अगर हां, तो वह कब तक कार्यान्वित की जावेगी और कहां कहां पशु चिकित्सालय खोले जावेंगे ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में है कि तहसील कोलायत का इलाका सूखा होने से गांवों की दूरी १५ से २० मील तक है और नज़दीक में पशु चिकित्सालय न होने से जनता अपने पशुओं का इलाज कराने में असमर्थ रहती है ?

उप मन्त्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) बीकानेर में एक चलता फिरता पशु चिकित्सालय गत वर्ष स्थापित किया गया है जो गांव-गांव बीमार पशुओं की चिकित्सा करता है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या

(श्री भीमसेन)

बीकानेर का चल-पशु चिकित्सालय तीन-चार महीने से बन्द है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी तो मैं इस समय नहीं दे सकता, पर वह कार्यवाही करता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या उस क्षेत्र में इस प्रकार के पशु चिकित्सालयों की आवश्यकता नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकता तो हर गांव और हर जगह है पर साधनों के अनुसार ही आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : हर तहसील हैड क्वार्टर पर इस प्रकार का एक एक औषधालय होना चाहिये कि नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : हर तहसील हैड क्वार्टर पर ऐसे चिकित्सालय बनाने की योजना है।

एक माननीय सदस्य : अभी तक योजना ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

जिलों में विकास खंडों की स्थापना

३६६. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राज्य के किन किन ज़िलों में अब तक कहां कहां विकास खण्ड खोले जा चुके हैं ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास विकास मन्त्री की ओर से) : सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : विकास खण्ड खोलने के लिये क्या क्या माप दण्ड होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन में कई दफा बता दिया गया है कि क्या मापदंड होना चाहिये। सभी माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : जानते हुए भी पूछते हैं।

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लिस्ट में नापासर का नाम है कि नहीं।

श्री भीमसेन : ऐसे कितने तहसील हैड क्वार्टर्स हैं जिनमें डवेलपमेन्ट ब्लॉक्स नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसील हैड क्वार्टर्स तो ऐसे बहुत से होंगे। मैंने १२२ डवेलपमेन्ट ब्लॉक्स की लिस्ट दी है and Tehsil Head quarters are more than two thousand.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): पर इसका क्या कारण है कि किसी में कम हैं किसी में ज्यादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट मैंने आपको दे दी है, १२२ डवेलपमेन्ट ब्लॉक्स खोले जा चुके हैं और नेक्स्ट प्लान में एन्टायर स्टेट कवर हो जायेगी।

Page No 15

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What are the reasons for covering up all the tehsils of Udaipur by Blocks and neglecting Bharatpur ?

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह गलत है अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में आधी तहसीलें ऐसी हैं जहां विकास खण्ड नहीं खुले हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Member has replied on my behalf and I endorse his views.

श्री पी० के० चौधरी : मावली में है कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, I think there is.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपकी कॉन्स्टिट्युएन्सी में तो अजीर्ण हो रहा है, डवेलपमेंट ब्लॉक्स का इतने अधिक खुले हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनियारा में नहीं है।

श्री भीमसेन : बीकानेर और लूनकरणसर दोनों में नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया न कि १२२ जगह ब्लॉक्स हैं और कई तहसीलें ऐसी हैं जहां जहां ब्लॉक्स नहीं हैं।

श्री भीमसेन : सारी तहसीलों के अन्दर विकास खण्ड कब खोले जायेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेटमेंट दिया जा चुका है। परसों एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि ८ अप्रेल में खोल रहे हैं क्राइटेरिया में जहां का नम्बर आयेगा वहां पर खोला जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस आधार पर खोले जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो बता चुका हूं। उनियारा का विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर के आधे से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां विकास खण्ड नहीं खोले गये हैं और उदयपुर में ज्यादा खोले गये हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उदयपुर ज़िले का कहा, पर ब्लॉक खोलने के लिये पहले देखना पड़ता है कि सिंचाई के साधन हैं कि नहीं, लैंड प्रोडक्शन और दूसरी कई बातें देखनी पड़ती हैं। जहां बैकवर्ड लोग ज्यादा हों, जिनकी जल्दी प्रोग्रेस करने की जरूरत हो। तो उदयपुर और बीकानेर का मिलान करना ठीक नहीं, भेदभाव की कोई बात नहीं हैं। छोटी डिस्ट्रिक्ट में दो हैं। केवल एक ही तो तहसील बाकी रह गई है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि भाग्य के आधार पर खोले जाते हैं, तो यह भाग्य के आधार पर खोले जाते हैं या पिछड़े हुओं के आधार पर खोला जाता है ?

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक्स खोलने के बाबत मन्त्री महोदय ने यह इन्फोर्मेशन दी है कि यदि कोई ऐसा

(श्री रामचन्द्र)

हिस्सा है कि जिसके चारों तरफ तो विकास खण्ड हो चुके हैं और बीच का वह ही हिस्सा बाकी पड़ा है तो वहां ब्लॉक्स खोले जावेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले ब्लॉक्स हैं यह भी एक क्राइटेरिया है ।

श्री रामचन्द्र : मेरा यह निवेदन है कि झालावाड़ ज़िले की दो ऐसी तहसीलें हैं जिनके आस पास मध्यप्रदेश की ओर से ब्लॉक्स खुल चुके हैं और विकास के कार्य हो रहे हैं। और इन राजस्थान की दो तहसीलों में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है तो यहां भी ब्लॉक्स कब खुलेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब निर्णय लिया जावेगा तो इनके बारे में भी अवश्य ध्यान रखा जावेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने कहा था कि राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर को प्राथमिकता, विकास के मामलों में देना चाहिये, फिर इनको महत्व क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : महत्व तो दे रखा है। भाखरा और राजस्थान केनाल का कितना रुपया वहां खर्चा होगा। मैं तो कम्युनिटी डवेलपमेंट के लिए आपको पहले बता रहा था। उसके लिए जैसा आपने कहा वैसा पंडितजी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। मैं आपको बताऊं कि जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं वहां पहले किया जाय या बैकवर्ड है जहां साधन नहीं हैं वहां पहले किया जाय ?

श्री भीमसेन : जिलाधीश ने रिपोर्ट भेजी थी क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिलाधीश रिपोर्ट नहीं भेजता किन्तु वहां जो डवेलपमेंट कमेटी है वह ही भेजती है ।

प्रश्न संख्या ३६७

श्री अध्यक्ष : श्री बी. एन. जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

सांचोर विकास खण्ड के रेडियो सैट

३६८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ज़िला जालोर के सांचोर विकास खण्ड ने कितने रेडियो खरीदे हैं, उनमें से कितने रेडियो पंचायतों को दिये गये और उनमें से कितने आज कल चालू हालत में हैं और कितने खराब पड़े हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो रेडियो खरीदे गये थे उनके लाइसेन्स नहीं बनवाये गये हैं और बिना लाइसेन्स ही पंचायतों को तकसीम कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बिना लाइसेन्स रेडियो चलाने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

उप मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास विकास मन्त्री की ओर से) : माननीय अध्यक्ष, इसका जबाब नहीं आ सका है इसलिए अगली टर्न पर इसका जबाब दया जावेगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द : जवाब न आने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : सांचोर बहुत दूर है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३६६

श्री बी० एन० जोशी

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द

जिला जालोर के शिक्षकों का फिक्सेशन एरियर

३७०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ज़िला जालोर के कुछ शिक्षकों के ता० १–४–५० से फिक्सेशन एरियर अभी तक पेमेंट नहीं किये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो अभी तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की ओर से) : (१) जी हां। सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में बिल बना कर उच्चाधिकारियों के पास कॉउन्टर सिगनेचर तथा प्रिऑडिट के लिये भेज दिये गये हैं, जो लौट कर कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : जांच में विलम्ब क्यों हो रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनके संबंध में मैंने आपको बताया कि बिल बन कर उच्चाधिकारियों के कॉउन्टर सिगनेचर और प्रिऑडिट के लिए गये हुए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आये हैं। आते ही ऑर्डर्स हो जावेंगे।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौनसी तारीख को गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : जब १–४–५० से इनको पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर कैसे काम चले इन अध्यापकों का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि ऐसा हो सकता है कि सर्विस बुक किसी की कम्पलीट नहीं हो, न भी मिली हो, कई इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं इसलिए देर हो जाती हैं और जगह पेमेन्ट भी हुआ है। विशेष चाहें तो आप जानकारी दे दीजिये, जांच कर ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

पंचायत भवन करकेड़ी के समीप की भूमि

३७१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(१) पंचायत भवन करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ के बिल्कुल नज़दीक वन विभाग की कितने एकड़ भूमि है उससे कितने रुपये सालाना आमदनी होती है, उस पर कितने रुपये वार्षिक व्यय होता है और यह भूमि किस कार्य में आती है ?

(२) क्या पंचायत भवन के नज़दीक की भूमि को पंचायत रूपनगढ़ ने उनके अधिकार में देने की मांग की है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार देने को तैयार नहीं है ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास वन मन्त्री की ओर से) : (१) कोई नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३७२

श्री अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा

कोटा—पीपलदा रोड

३७३. श्री रामनरायण वर्मा (पीपलदा मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कोटा पीपलदा रोड प्रथम पंच वर्षीय योजना में पूर्ण होनी चाहिये थी ?

(२) यदि हां, तो अब तक तैयार नहीं होने के कारण हैं ?

(३) क्या इस क्षेत्र में जिसमें तीन अनाज की मंडियां चल रहीं हैं पक्की रोड की आवश्यकता सरकार महसूस करती है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को शीघ्र पूर्ण करवायेगी यदि हां, तो कब तक ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी हां।

(४) योजनानुसार।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

करकेड़ी तथा रूपनगढ़ कन्या पाठशालाओं के अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

३७४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या करकेड़ी व रूपनगढ़ पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का वेतन बाकी है।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

(ब) यदि हां, तो कितनी अध्यापिकाओं का तथा कब तक उन्हें यह बकाया वेतन मिल जावेगा ?

मन्त्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मन्त्री की ओर से) :

(अ) जी हां।

(ब) केवल दो अध्यापिकाओं का वेतन बाकी है जो कि यथा शीघ्र दिलाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : कब से बाकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नवम्बर का बाकी है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर): एक ही महीने का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि उनको दिलाने का प्रयत्न जल्दी ही किया जा रहा है।

डॉ. चन्द्रकला : ५७ से प्रयत्न हो रहा है, ५६ आगया अब फिर कब तक यह प्रयत्न चलता रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहुत जल्दी ही दिलाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

वन विभाग, जयपुर रेन्ज, के जमादार की ग्रेच्युएटी

३७५. श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या मंत्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि जयपुर रेन्ज के वन विभाग में नौकर जमादार नारायणसिंह की मृत्यु तारीख १४. १०. ५३ को सरकारी सेवा में हुई।

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक उक्त नारायणसिंह का फिक्सेशन रेशनेलाइज्ड़ पे स्केल में नहीं हुआ ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उक्त जमादार की बेवा को अपने पति की ग्रेच्युएटी अभी तक नहीं दी गई ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास वन मंत्री की ओर से) :

(क) जी हां।

(ख) श्री नारायणसिंह का सर्विस रेकॉर्ड मिल नहीं रहा था, इस कारण विषय वन अधिकारी जयपुर द्वारा इनका सर्विस रेकॉर्ड कैश बुक व वेतन बिल आदि देख कर बनाया गया है और अब फिक्सेशन स्टेटमेंट अकॉउन्ट्स ऑफिसर को तसदीक करने के लिये भेजा हुआ है। रेशनेलाइज्ड पे स्केल सन् १६५६ से लागू हुए हैं लेकिन इनकी मृत्यु पहले ही हो जाने के कारण ये रेशनेलाइज्ड पे स्केल में फिक्स नहीं किये जा सकते हैं।

(ग) यूनीफाइड़ पे स्केल में फिक्सेशन के बाद ही ग्रेच्युएटी दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

कोटा जिले के तहसील विकास खंड

३७६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा मु०) : क्या विकास खण्ड मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा ज़िले में ऐसी कितनी और कौन कौनसी तहसीलें हैं जो विकास खण्डों के अन्तर्गत नहीं आई हैं ?

(२) उनमें अब तक विकास कार्य चालू नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(३) भविष्य में कब तक उन्हें यह लाभ प्रदान किया जावेगा ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदर लाल व्यास विकास मंत्री की ओर से) :

(१) कुल आठ निम्नलिखित तहसीलें हैं जो विकास खण्डों के अन्तर्गत नहीं आई है :

१. छबड़ा
२. छीपाबारोद
३. चेचत
४. कबांस
५, रामगंज मंडी
६. सागोद
७. बारोद
८. डीगोद

(२) अन्य जिलों में जहां विकास खण्ड कम थे खोलने के कारण।

(३) सन् १९६३ तक समस्त राज्य में विकास खण्ड खोलने की योजना है तब तक इन सब तहसीलों में भी विकास खण्ड खोल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

बीघोड़ी का मतालबा

३७७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बीघोड़ी क मतालबा पटवारी बनाते हैं व तहसीलदार की सिफारिश पर कलेक्टर उसे स्वीकार करते हैं

(२) क्या यह बात सही है कि तहसील खारची के ग्राम बीठड़ा कल्ला के काश्तकार द्वारा अपने खातेदारी के कुए से एक दूसरे की जमीन में जो कि माफी की थी, कृषि करने के कारण सन् १९५५, ५६ व १९५७ में आबीयाना (इर्रिगेशन चार्जेज़) वसूल करने का मतालबा बना कर भेजा व तहसीलदार खारची व कलेक्टर पाली ने उसे वसूल करने की आज्ञा दी है ?

(३) यदि हां, तो उक्त डिमान्ड किस कानून के तहत की गई है ?

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदर लाल व्यास सिंचाई मंत्री की ओर से) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) उपरोक्त डिमान्ड नियमानुसार सही बनवाये जाने के लिए इसको जिला स्तर पर खारिज़ करने की कार्यवाही की कई।

श्री तेजाराम : क्या यह रकम वसूल कर ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है। यदि वसूल कर ली भी गई है तो एडजस्ट कर ली जायगी।

श्री तेजाराम : पर माननीय मंत्री ने किस आधार पर कहा कि इस मतालबा को खारिज़ करने की कार्यवाही जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए कहा कि कलेक्टर की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार कहीं पटवारी द्वारा मतालबा गलत बनवाया गया उसको खारिज़ करने की कार्यवाही चल रही है।

श्री तेजाराम : पटवारी द्वारा बनाया गया मतालबा कलेक्टर और तहसीलदार द्वारा सेन्क्शन किया गया या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री तेजाराम : फिर सेन्क्शन करते समय ध्यान नहीं दिया कि इसको पटवारी ने गलत बनाया है और वे उसी समय उसको खारिज़ कर देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस वक्त नोटिस में नहीं आया। हर खेत को कलेक्टर तहसीलदार चैक नहीं करते। पटवारी से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह सही बनायगा। लेकिन इन्सान से गलती हो जाया करती है हालांकि गलती नहीं होनी चाहिये। उससे क्या नुकसान हो गया। वापिस वसूल हुआ मिल जावेगा।

श्री तेजाराम : उसका हर्जाना हुआ उसका क्या होगा ? कुर्की द्वारा वसूल हुआ है इससे उसको खर्चा वगैरह लगा है वह कौन देगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है कि इसको कुर्की द्वारा वसूल किया गया है। दुबारा इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

जियोलोजी विषय के योग्य प्रोफेसर

३७८. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान विश्व विद्यालय के तहत जियोलोजी विषय में डिग्री क्लासेज़ कहां कहां पर चल रही है ?

(२) क्या उन कॉलेजों में जियोलोजी-विभाग में कोई प्रोफेसर नियुक्त किये गये ? अगर हां, तो कितने और कहां कहां पर ?

(३) क्या जिनको नियुक्त किया गया उन्हीं को पहले राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था ?

(४) यदि हां, तो जब ठीक उम्मीदवार नहीं मिले तो पी. एस. सी द्वारा विज्ञापन देकर नये आवेदन-पत्र क्यों नही मांगे गये ?

(५) पी. एस. सी द्वारा रिजेक्ट किये गये व्यक्तियों को किस नियम के आधार पर अपने पदों पर कन्टीन्यू करने दिया गया ?

(६) क्या सरकार इन पदों पर दूसरे योग्य उम्मीदवार नियुक्त करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) जयपुर और उदयपुर ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(२) जी हां। प्रत्येक कॉलेज में एक एक प्रोफेसर नियुक्त किया गया।

(३) जी हां।

(४) क्योंकि पी. एस सी को एडवर्टिज़ करने पर उचित योग्यता के व्यक्ति नहीं मिले इसलिये जो लेक्चरार इन पदों पर काम कर रहे थे उनको ऑफिशियेटिंग डिग्री हैड लगाया गया जिससे कि पढ़ाई में कोई बाधा न आवें। यह सब बात पी. एस सी को दुबारा बनादी गई और उनसे स्वीकृति मांग ली गई जो कि उन्होंने प्रोविज़नल बेसिस पर दी।

(५) इसका उत्तर नं० ४ में आ गया है।

(६) इस बारे में जल्दी ही निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री अपनोसिंह : तो क्या जिनको अभी रखा गया, उनको कन्टीन्यू करने दिया गया और उन्हीं को पर्मानेन्ट भी कर दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रोविज़नल शब्द जो यूज हुआ है। पी. एस. सी. ने उसकी प्रोविज़नल इजाज़त ही दी है।

श्री अनोपसिंह : आगे भी लगाया जावेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑलरेडी एप्लीकेशन्स मांगी थी और रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन्स के नहीं, इसलिए पढ़ाई में हर्ज न हो इस कारण प्रोविज़नली लगाया गया, आगे किसको किया जावेगा वह कायदे के अनुसार पी. एस. सी. करेगी।

श्री अनोपसिंह : क्या एडवर्टाइज़मेंट हो गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसके बारे में डेफीनेट अर्ज नहीं कर सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पब्लिक सर्विस कमीशन को योग्य उम्मेदवार के लिये एडवर्टाइज़मेंट करने के लिये लिख दिया है? If you have not written, the P. S. C. is not going to advertise :

श्री दामोदरलाल व्यास : I cannot say at the moment whether the Government has again written to the P. S. C. I shall find it out.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रोविज़नल अपॉइन्टमेन्ट कितने अर्से के लिये किया गया और कब किया गया क्या वह पीरियड खत्म हो गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : Its date is not available.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रोविजनल अरेन्जमेंट कितने अर्से के लिये किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक नया सिलेक्टेड आदमी नहीं आ जाता तब तक के लिये प्रोविज़नल अरेन्जमेंट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर उसके लिये राजस्थान सरकार लिखती क्यों नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक दफा लिख दिया गया था, लेकिन उस एडवर्टाइज़-

Page No 23

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मेन्ट पर योग्य आदमी नहीं आये। अब दुबारा लेने के लिये निर्णय ले लिया गया है और मेरे खयाल से वकेशन्स के दरमियान इसका इन्तजाम कर दिया जायगा।

श्री अनोपसिंह : जब रिक्वीजिट क्वालिफिकेशन के आदमी नहीं आये तो दुबारा विज्ञापन क्यों नहीं करवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दुबारा एक्शन लिया जा रहा है। दुबारा एडवर्टाइज़मेंट के लिये पी. एस. सी. को कहा जायगा। अभी यदि सिलेक्टेड आदमी आ जाता है तो हमें फाइनेन्सियल लाइबेलिटीज़ को भी देखना होता है उसको वकेशन्स की तनख्वाह देनी पड़ती है इसलिये इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय उचित समय पर लिया जायगा।

श्री अनोपसिंह : क्या उन्हीं टेम्प्रेरी आदमी को ही पर्मानेन्ट करने के लिये पी. एस. सी. को कहा जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से यह बिल्कुल नहीं। पी. एस. सी. बिल्कुल आज़ाद बोर्ड़ी है उनपर किसी बात का दबाव कोई नहीं डाल सकता। योग्यता के आधार पर जो आयेगा उसी को रखा जायगा।

श्री अनोपसिंह : क्या सारे हिन्दुस्तान में जिओलोजिकल साइड के आदमी मिलते ही नहीं क्या ? जो आपके एडवर्टाइज़मेंट करने पर भी नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सवाई माधोपुर में एरोड्रोम

३७६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में एक एरोड्रोम बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ?

(२) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर यह एरोड्रोम बनाया जा रहा है वह जगह काश्त की थी ?

(३) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की यह जगह थी उन काश्तकारों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से) : (१) निर्माण विभाग के आधीन कोई ऐसा कार्य नहीं चल रहा है।

(२) निर्माण विभाग को इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : काश्तकारों की जमीन ली है सवाई माधोपुर में एरोड्रोम बनाने के लिये उनका अभी तक मुआवज़ा नहीं दिया गया है क्या इसका आपको ज्ञान है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : काश्तकारों की जमीन ली है तो इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने अभी फरमाया कि पी. डब्ल्यु. डी. के अधीन कोई

Page No 24

(श्री दयाकृष्ण विजय)

एरोड्रोम नहीं बन रहा है लेकिन जिन लोगों की जमीन लैन्ड एक्वीजिस एक्ट के अधीन ली गई है उनका मुआवज़ा नहीं मिला उसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बताया पी. डब्ल्यु. डी. के अधीन नहीं बन रहा है यह तो सेन्टर का मामला है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब कोई प्रश्न यहां के विभाग से सम्बन्धित नहीं होता है तो उसकी सूचना सदस्य को मिल जाय तो उस प्रश्न की छपाई आदि के लिये जो लगता है वह बच सकता है और विभागों को भी असुविधा नहीं होती ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब एरोड्रोम का सम्बन्ध आपसे नहीं है तो क्वेश्चन को लिया ही क्यों गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon. Member ought to know that P. W. D. is not concerned with aerodromes.

कोटा जिले में आदिवासियों के लिए मकानों का निर्माण

३८०. श्री दयाकृष्ण विजय छबड़ा : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा ज़िले में विकास विभाग की ओर से सन् ५७–५८ में किस किस स्थान पर आदिवासी परिवारों को बसाने की दृष्टि से कितने कितने मकान बनाये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कई स्थानों पर मकान इतने खराब बने थे कि पहली बरसात में ही ढह गये ।

राजस्वमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) कोटा ज़िले में सन् ५७-५८ में विकास विभाग की ओर से आदिवासी परिवारों को बसाने की योजना के अन्तर्गत कोई मकान नहीं बनाये गये किन्तु समाज कल्याण विभाग की ओर से सन् १९५७-५८ में शाहबाद विकास खंड के कुशालपुरा एवं शुभधरा में १३ मकान बनाये गये ।

(२) जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या कुशालपुरा में जो मकान बनाये गये क्या वे बरसात में नहीं गिरे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं । माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब दिया । किस मकान की हालत कैसी है, किसकी दीवार टूट गई या किसकी दीवार क्रेक हो गई यह मुमकीन नहीं है कि इतनी सूचना मैं लेकर आऊं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कई स्थानों पर खराब मकान बने थे और उस कारण वे गिर चुके थे और दुबारा बनवाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो मकान कुशालपुरा में बनाये गये थे वे पहली बरसात के दिनों में टूट गये थे ।

श्रीदामोदरलाल व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पहली बरसात में नहीं ढहे होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ५७–५८ में जितने भी मकानात बने उनमें से कोई मकान नहीं गिरा और न किसी को हानि ही पहुंची।

डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज़ रबी अभियान के हेतु कमेटियों का निर्माण

३८१. राव राजा श्री सरदारसिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सन् १६५८ में रबी अभियान के हेतु डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील वाइज़ कमेटियाँ सरकार द्वारा बनाई गई थीं? अगर हां, तो उन कमेटियों के तहसील वाइज़ कौन कौन सदस्य हैं तथा उनकी कैसी प्रगति हो रही है?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा इसका प्रचार नहीं करवाया गया? अगर हां, तो क्यों?

उप मंत्री कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) :

(क) जी हां। समिति के सदस्यों की सूचि संलग्न है। प्रगति संतोषजनक रही है।

(ख) मुख्यत : ग्राम स्तर की कमेटियों के सदस्य ग्राम पंचायतों के ही सदस्य थे और प्रचार इन्हीं सदस्यों द्वारा करवाया गया।

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :

तहसील उनियारा :

१. श्री किशनलाल सरपंच तहसील पंचायत

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, he has already supplied the list. So what is the necessity of reading the whole thing. How many M. L. A.'s are there in the list.

श्री दौलतराम सारण : अगर माननीय सदस्य नहीं सुनना चाहें तो मैं उनको लिस्ट दे दूँगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि जो कमेटी के सदस्य हैं उन सदस्यों ने तहसीलों में कितनी दफ़ा रबी अभियान के सिलसिले में मीटिंग की और हर पंचायत वाइज़ कितने दौरे किये?

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है कौन सी पंचायत का किसने कितनी दफ़ा दौरा किया। आपने जो सूचना मांगी थी वह मैंने दे दी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो आपने किस आधार पर यह बताया कि प्रगति सन्तोषजनक है?

श्री दौलतराम सारण : इसी आधार पर बताया है कि रबी अभियान के अन्तर्गत ५–७–५८ तक २ हज़ार, २६ मन बीज वितरित हुआ था लेकिन इस साल १५,३७० मन बीज, जौ २२३ मन, चना १,६६८ फर्टीलाइज़र अमोनियम सल्फेट ११२ टन सुपर फोसफेट २३ टन जब कि पहले सिर्फ ५० टन वितरित किया गया था। रबी अभियान के सिलसिले में इतना कार्य किया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह आपने यह जो प्रगति बतायी जब कि उन लोगों ने पंचायत वाइज़ दौरा नहीं किया, कहां कहां कितना रिटर्न हुआ यह नहीं देखा फिर कैसे प्रगति बता दी ?

श्री दौलतराम सारण : जो कमेटियां बनाई गई हैं उनसे उम्मीद तो यही की जाती है कि वह तहसील में जाकर जन सम्पर्क स्थापित करें लेकिन उन्होंने किया या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो जो प्रयत्न किये गये बीज वितरण आदि के संबन्ध में वह मैंने आपको बता दिया है। उन कमेटियों में पंच सरपंच आदि हैं उन्होंने अपना हिस्सा अदा किया होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझको तो आप किसी कमेटी में नहीं रखते।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.): क्या यह सही है जो बीज वितरण के लिये दिया गया वह ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास पहले से बीज मौजूद था और वह बीज उन्होंने बाजार में महंगे भाव से बेचा है ?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या तहसील वाइज़ जो कमेटियां हैं उनमें रावराजा साहब मेम्बर नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ये तो इन कमेटियों से ऊपर हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो तहसील स्तर की कमेटियां हैं उनमें क्या वहां के एम० एल० एज० मेम्बर्स नहीं हैं ?

श्री दौलतराम सारण : तहसील स्तर से ऊंची कमेटियां ज़िला स्तर की हैं जिनमें रावराजा साहब भी हैं। उस कमेटी के चेयरमैन हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आप सीधा उत्तर दीजिये तहसील स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं उनमें किसी भी एम० एल० ए० को नहीं लिया गया ? अगर लिया गया है कि तो उस आधार पर तहसील उणियारा की कमेटी में रावराजा साहब को सदस्य क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : तहसील स्तर पर जो कमेटियां हैं उनमें रावराजा साहब नहीं हैं ज़िला स्तर की कमेटी जो बनी है उसमें रावराजा साहब हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री): क्या आपका यह कहना है कि तहसील कमेटियां हैं उनमें रावराजा साहब को ले लिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑपोज़िशन के जितने भी मेम्बर्स हैं वे इस स्तर की कमेटियों के मेम्बर नहीं हैं, न उनको बनाया ही जाता है और न इसमें उनका सहयोग ही लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऊपर की कमेटियों में सदस्य हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिलकुल सीधा है जब कि तहसील स्तर के ऊपर आप रबी अभियान को सफ़ल बनाना चाहते हैं और जब कि सरकार की ओर

(श्री भैरोंसिंह)

हमेशा इस प्रकार की मांग आती है कि हम सदन के माननीय सदस्य सरकार को इस मामले में कोऑपरेट करें और सरकार यह कह कर टाल देती है कि आप तो उससे भी ऊंचे हैं और ज़िलास्तर की कमेटियों में सदस्य हैं तो इसका मतलब यह है कि तहसील स्तर पर उनको सदस्य नहीं बनाया जाता तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों को इस प्रकार की तहसील स्तर पर बनाई जाने वाली समिति का भी सदस्य बनाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस लिस्ट में तहसील स्तर की कमेटियों में विरोधी दल के सदस्य अथवा और किसी भी दल के सदस्य का नाम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि रवी अभियान के सिलसिले में जो कमेटीज़ बनी थीं तहसील स्तर पर उनका सदस्य भी यहां सदन के मेम्बरों को बनाया जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी अर्ज यह है कि रवी अभियान के सफल बनाने के लिए जो कमेटी बनी थीं वहां तो तहसील के पंच और सरपंच हैं, ज़िला स्तर की कमेटियों में सदन के सदस्य हैं। डिस्ट्रिक्ट टोंक में किसी भी कमेटी के अन्दर सदस्य नहीं हैं, आप क्यों आपत्ति उठाते हैं फिर ?

श्री भैरोंसिंह : पर रवी अभियान को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं तो तहसील स्तर पर बनी समितियों में सदस्यों को लेने में क्या हर्ज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कि ऐसे एम०एल०एज़० जिनमें काम करने का जोश है उनको ले लिया गया है। आपको भी ज़िला समिति में लिया है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी ओर से यह ऑफ़शन नहीं थी कि मुझे लिया जाये और कमेटी का मेम्बर बनाया जाये वह तो गवर्नमेंटने ही बनाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी नहीं है कि तहसीलस्तर पर भी मेम्बरों को रखा जाये जब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको ले लिया गया है। फिर भी अगर वह चाहते हैं कि वह वर्क करें तो we shall welcome it and we shall be grateful to him.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या गवर्नमेन्ट ने हर जगह तहसीलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह पूछा था कि आप अपना कोऑपरेशन देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री दामोरलाल व्यास : मेरा ख्याल है ज़रूर पूछा होगा ....

श्री श्रीभानसिंह : But I may ...

श्री दामोदरलाल व्यास : Please let me have a proper say. This is no way to interrupt me.

श्री श्रीभानसिंह : I will resent if you talk directly, Hon. Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : Through you, I will request him, Sir......

श्री श्रीभानसिंह : You sometimes stand up and sometimes sit down. It is nobody's fault.

Page No 28

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि क्या कलेक्टर साहेबान ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सब का कोआॅपरेशन सीक किया होगा, ऐसी उनको हिदायत भी थी ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं जगह के लिए बता सकता हूं जहां कि कलेक्टर ने एम० एल० ए० से कोआॅपरेशन सीक नहीं किया तो क्या उसके लिये गवर्नमेन्ट एक्शन लेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको लेना चाहिए था। हर एक सदस्य कमेटी के मेम्बर थे।

श्री श्रीभानसिंह : जिस जगह कलेक्टर ने नहीं लिये हैं उनके लिए क्या एक्शन लेगी गवर्नमेन्ट ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंगें हर माह होती है । अगर किसी कलेक्टर ने उनके कोआॅपरेशन को नहीं लिया तो वह मुझे बतायें तो मैं उसके बारे में इन्क्वायरी करके बता सकता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जनरल पॉलिसी कौन ले आउट करता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनरल पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी ले-डाउन करती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a question of constituting the committees at tehsil level.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said, Sir, that constitution of tehsil level committees is done by the District Development Committees.

श्री अध्यक्ष : आप कमेटी में तो एम० एल० ए० को रखेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या इन कमेटीज़ में रबी अभियान को किस प्रकार सफल बनाया जावे, इस पर विचार किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर एक डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटी को विचार करना चाहिए और किया होगा ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा): फिर भी अगर गवर्नमेन्ट सदन के सदस्यों को तहसीलस्तर की कमेटीज़ में उनको सदस्य बना दे तो हर्ज क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो साहेबान होना चाहें उनको तहसील कमेटी में आज ही मुकर्रर किया जा सकता है और धन्यवाद के साथ ।

पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I would like to know whether this co-operation will be received only when it is offered but the Government is not prepared to ask for it. This is what you mean?

श्री दामोदरलाल व्यास : Pardon ?

श्री पी० के० चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने कहा कि कोई चाहे तो उनको सदस्य बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि कोई अपनी सर्विसेज़ आॅफर करेगा तब ही उसको लिया जायेगा आप अपनी तरफ से नहीं लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेन्ट ने सब का कोऑपरेशन चाहा है और मैं आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेन्ट कमेटीज़ में मेंम्बर हैं ही उनसे भी बारबार दर्ख्वास्त की है कि वह अपना कोऑपरेशन दें। इसलिए एम० एल० एज़० का कोऑपरेशन तो हम सीक करेंगे ही और उसके लिए हम वैलकम करेंगे, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो और रिक्वेस्ट कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : It would be easier if instead of this you could have...

श्री अध्यक्ष : Order please. श्री लक्ष्मीचन्द।

जुडिशियल ऑफिसरों की सीनियोरिटी लिस्ट

३८२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?–

क्या राजस्थान में जुडिशियल ऑफिसरों की सीनियोरिटी लिस्ट बन चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार कब तक सीनियोरिटी लिस्ट घोषित करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास-मुख्य मंत्री की ओर से) : जुडिशियल अधिकारियों की वरिष्ठता सूची प्रथम बार सन् १६५१ में ही बन कर प्रकाशित हो चुकी थी किन्तु हाईकोर्ट से राजवी श्री अमरसिंह की रिट स्वीकार होने पर इन अधिकारियों की दुबारा नियुक्तियां अगस्त, सन् १६५६ में घोषित की गई। इनकी प्रोविज़नल वरिष्टता सूची अक्टूबर, १६५७ में निकाली गई। असन्तुष्ट अधिकारियों के आवेदन पत्रों पर विचार होकर हाईकोर्ट ने अंतिम वरिष्ठता सूची सरकार के पास भेज दी है जो विचाराधीन है और शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पी० के० चौधरी : I have got a question, Sir, in today's list. There in an additional list.

श्री अध्यक्ष : Yes, but there is no time. The question hour is over. (Pause). If you like, you may have your answers.

श्री पी० के० चौधरी : If you permit, Sir.

श्री अध्यक्ष : पूछ लीजिए। श्री पी० के० चौधरी।

पटेल बहुद्देशीय पाठशाला, ब्यावर में फर्नीचर की कमी

(दिनांक २० फरवरी १६५६ का स्थगित प्रश्न)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Education Minister be pleased to state :—

1. Is it correct that the Patel Multipurpose School, Beawar is not provided with any funds to purchase furniture, though it is the biggest Multipurpose School in the State ? If not, what is the number of students in this school in comparision to other Multipurpose and Higher Secondary Schools in the State and what funds have been allotted to each of them

Page No 30

(श्री पी. के. चौधरी)

to purchase furniture and other equipments ?

2. Is it correct that during last year the Higher Secondary School, Nathdwara was allotted Rs. 4 lakhs and odd to purchase science materials ? What is the number of students in each class of this school ?

3. Is it correct that S. D. V. Government Degree College, Beawar had a very poorly equipped science laboratory If not, what is the value of science equipments in the laboratoryof the college and what was the amount allotted last year for purchasing science materials for this laboratory ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास-शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) जी नहीं। ५८-५६ में १३,००० रु० सामान खरीदने के लिए दिया गया है तथा सामान के लिए ऑर्डर्स भी दिये जा चुके हैं। विद्यार्थियों की संख्या ६६० है। अजमेर के निम्नलिखित स्कूलों को निम्नलिखित रकम फर्नीचर व स्कूल सामग्री खरीदने के लिए १६५८-५६ में दी गई हैं :

(१) हायर सेकेन्डरी स्कूल, विजयनगर ७,००० रु०

(२) जैन गुरुकुल हायर सेकेन्डरी स्कूल ब्यावर ४,१३८ रु०

(३) राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, पुष्कर १०,६०० रु०

दूसरे मल्टीपर्पज़ स्कूलों को इस वर्ष फर्नीचर के लिए कोई रकम नहीं दी गई।

(२) जी नहीं, केवल ३२,००० रु० दिया गया।

छात्र संख्या : कक्षा	६ में	२६२
कक्षा	७ में	१२६
कक्षा	८ में	१२६
कक्षा	६ में	१४५
कक्षा	१० में	१२१
कक्षा	११ में	६५
कुल		८८१

(३) जी नहीं, साइन्स प्रयोग शाला की पूर्ण लागत ७५,००० रु० है। गत वर्ष ६०,००० रु० की रकम का प्रोविज़न था उसमें से ४५,००० रु० का सामान खरीद लिया गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

स्थगित प्रश्न

१६५६-५७ की लालसोट के माइनिंग की रकम वसूली

(२७ फरवरी, १६५६)

२७०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लालसोट के माईनिंग की रकम जिन ठेकेदारों की तरफ सन् १६५६-५७ की बजरी व पहाड़ के पत्थरों की बकाया थी वसूल हो गई ? यदि हां, तो किन किन से और नहीं तो क्यों ?

(२) यदि वसूली हुई तो कब कब और

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

कितनी कितनी तथा बाकी रकम के लिए सरकार क्या कर रही है ?

उप-मंत्री खनिज विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) बकाया रकम की वसूली अभी तक नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता । वसूली की कार्यवाही नियमानुसार चालू है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

१२-१८ म.प.

एक ट्रक को विहिकल्स टैक्स से मुक्ति देने सम्बन्धी गृह विभाग की विज्ञप्ति

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ख) विभाग विज्ञप्ति सं० डी०१२६६ । एफ० (१) ।२। एच० बी० । ५६ दिनांक २० फरवरी, १६५६ सदन की मेज पर रखता हूं । इस विज्ञप्ति द्वारा केन्द्रीय भारत सेवक समाज की ट्रक सं० डी० एल० ए० ७०७६ को जो दिनांक १० फरवरी, १६५६ को दिल्ली से भीलवाड़े के लिए रवाना होने-वाले पद यात्रा दल का सामान ले जाने के काम में आई है विहिकल्स टैक्स से मुक्त किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : यह जो नोटीफिकेशन विहिकल्स टैक्स से माफ़ करने के बारे में निकाला है तो यह ट्रक १० फरवरी को गया है और आपने २० फरवरी को विज्ञप्ति निकाली है तो इसके लिए प्रार्थना पत्र पहले आया था या बाद में टैक्स के एग्ज़ेम्पशन के लिए और यह एग्ज़ेम्पशन पहले सीक क्यों नहीं किया गया, ट्रक पास करने से पहले ? Government orders are dated 20. 2. 59 while the truck passed on 10. 2. 59.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तारीख तो इस समय नहीं है। १० फरवरी है । From Delhi on 10-2-59. दिल्ली से १० फरवरी को रवाना हुआ होगा और राजस्थान में १६ को एन्टर हुआ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ट्रक वहां से घुसा तो उसके पहले आप एग्ज़ेम्पशन दे सकते थे या फिर कह सकते थे कि ठीक है चले जाइये हम कर वसूल नहीं करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर वह टाइम पर एप्लीकेशन नहीं दी जाती है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं । यह कार्यवाही करने की पॉवर्स गवर्नमेन्ट के पास है The Government has powers to grant exemption even with retrospective effect and the law does not prohibit it.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सवाल यह है कि यह ब्रीच ऑफ लॉ हुआ । यदि ऑफेन्स हुआ तो क्या ऑफेन्स हुआ और अगर कोई ऑफेन्स नहीं हुआ तो फिर जो गवर्नमेन्ट विज्ञप्ति निकाली वह देरी से कैसे निकाली....

श्री अध्यक्ष : The Government had made up its mind to grant this exemption.

श्री दामोदरलाल व्यास : क्योंकि ब्रीच ऑफ लॉ नहीं हुआ तो गवर्नमेन्ट ने एग्ज़ेम्पट कर दिया और it is perfectly within

(श्री दामोदरलाल व्यास)

its competence to grant such an exemption.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि जब ट्रक राजस्थान की सीमा में आया उस समय गवर्नमेंट का डिसीज़न हो गया था क्या ? यदि नहीं हुआ, तो ट्रैफिक ऑथोरिटी द्वारा ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत उसका चालान करके कंसीडर क्यों नहीं किया गया बाद में चाहते तो छोड़ देते ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सवाल पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पत्र रख रहे हैं सदन की मेज पर ।

श्री अध्यक्ष : पत्र रख रहे हैं उस पर बहस नहीं हो रही है । पद यात्री आये थे तब उनके पत्र को रोक लिया गया था, उन्होंने आवेदन पत्र दिया उस पर सरकार ने माफी देदी । १६ तारीख को वे अलवर में आये । उनको एग्ज़ेम्पशन की आज्ञा दे दी गई थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे १० फरवरी को आ गये थे और जब तक आज्ञा नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष : १० फरवरी को तो वे दिल्ली से रवाना हुए थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे निवेदन यह करना है कि इस प्रकार की चीजें अच्छी नहीं हैं । किसी मिडिल पास को बी० डी० ओ० बना देते हैं, मैट्रिक पास को प्रोफेसर बना देते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और क्युसलर्स को भी नहीं मानना, ये सारी बातें आपके लिये बड़ी बात नहीं है लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिये था ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने फरमाया वह काफी था । १० फरवरी को आये तब रोके गये, उन्होंने पर्मिशन मांगी तब पर्मिशन दे दी गई अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां रहा ? १० दिन की देरी लगी तो उसके लिये पर्मिशन दे दी गई ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिस प्रकार की बात कही जा रही है उससे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ऑफेन्सेज़ जो होते रहते हैं उनकी रोकथाम करने के लिये तैयार नहीं है, यह बिलकुल स्पष्ट है । जब नोटिफिकेशन से एग्ज़ेम्पशन करते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं । १० तारीख से २० तारीख तक बस यहां पर आई और उसने ब्रीच किया । नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद करते हैं इसकी कोई मंशा नहीं है । १० तारीख से २० तारीख तक ट्रेवल किया वह सारी चीज़ एग्जेम्पट की जाती है । एक तरफ ऑफेन्स होता है और दूसरी तरफ प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं सदन में यह शर्म की बात है । राजस्व मन्त्रीजी····

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, भाषा का प्रयोग संजीदगी से होना चाहिये "शर्म की बात है,' ये शब्द आपत्तिजनक है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं अब भी कहता हूं कि इस प्रकार की बात करना शर्म की बात है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : विज्ञप्ति पढ़ने की कोशिश करते तो उसमें साफ लिखा है : "Belonging to the Bharat Sewak Samaj carrying the equipment of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Pad Yatra moved on 10th Feb., 59." १० फरवरी से जब तक वह राजस्थान में है तब तक के लिये एग्जेम्पट किया ।

श्री भैरोंसिंह : यात्रा पहले हो चुकी है और आॅर्डर २० तारीख को हुआ । जो यात्रा की गई That was breach of law and it should not be protected by any such sort of notification.

श्री अध्यक्ष : ब्रीच आॅफ लॉ का प्रश्न नहीं है । अच्छा यह होता कि वे पहले एग्जेम्पशन ले लेते । इसमें दो राय नहीं हो सकती ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट को यह एग्री करना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्जेम्पशन बिल्कुल ठीक है । मैं और किसी चीज़ को मंजूर करने वाला नहीं हूँ जब कि लीगल पोज़िशन क्लियर है ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या यह माना जाय कि इस प्रकार का प्रिसीडेन्ट आगे भी काम आयेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तशरीफ लावें ।

श्री भैरोंसिंह : इस नोटिफिकेशन को सदन में वाद विवाद के लिये प्रस्तुत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : We shall now come to the next item.

१२. २२ म० प०

वापिस लिये गये विधेयक

श्री अध्यक्ष : वापिस लिये जाने वाले विधेयक ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित चार विधेयकों को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं :

१. दि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७

२. दि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८

३. दि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (थर्ड अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८

४. दि राजस्थान लैंड रेवेन्यु (फोर्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८

ये मैं इसलिये वापिस ले रहा हूं. जैसा कि माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट किया गया है, एक कंसोलिडेटेड लैंड रेवेन्यू बिल पेश कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

चारों विधेयकों को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, चारों विधेयक वापिस लेता हूं ।

राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९५९

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड रेवेन्यु (अमेन्ड-मेन्ड) बिल, १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

१२-२५ म० प०

आंकड़े प्रकाशित हो जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव

डाइरेक्टोरेट ऑफ इकानोमिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स द्वारा आय व्ययक १६५६-६० का पूर्व प्रकाशन

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है जो इस प्रकार है :

विशेषाधिकार प्रस्ताव

"In the opinion of this House, a breach of privilege has been committed by the Finance Department and the Directorate of Economics and Statistics, by publishing the Budget in the booklet named as Rajasthan Budget Study 1959-60. This booklet contains the State Budget at a glance on page 1 and the details in the graphic form inside. This booklet has been published before the date of introduction of the Budget in the Assembly on the 2nd of March, 1959, and was distributed to the Hon'ble members on 2nd March, 1959. The budget is kept confidential till it is introduced to the House and it is the first privilege of this House only to know the Budget proposals before they are released to any one else. In this case this privilege has been breached by the said publication and the sanctity of the Budget has been spoiled. This requires serious consideration and drastic action."

इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जाय या नहीं दी जाय, इस पर विचार किया जा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है आज से डिमान्ड्स फॉर ग्रान्ट पर बहस शुरू होने वाली है। इसके लिये व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि जहां तक हो सकेगा एक दिन में एक ही डिमान्ड ली जायगी और उस पर जितने कट मोशन्स होंगे उन पर वाद-विवाद के बाद विचार किया जायगा। ४॥ बजे तक कट मोशन्स पर बहस होगी और फिर सरकार की तरफ से उत्तर दिया जायगा उसके बाद वोटिंग होगा। इसलिये मैं समझता हूँ कि सदन को यह व्यवस्था स्वीकार है। अब मंत्रीजी मांग पेश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं प्रिविलेज मोशन के सम्बंध में यह सूचना चाहता हूँ कि जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है उसकी सूचना सरकार को भी दे दी

(श्री भैरोंसिंह)

गई है तो उनका उत्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कल बहुत लेट आया था। सरकार का उत्तर आया नहीं, यही प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि यह गम्भीर प्रश्न है विशेषाधिकार प्रस्ताव का, जिसको बहुत लाइटली तय करना नहीं चाहते। इसलिए इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए कि इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय या नहीं इसे रोका गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह माननीय अध्यक्ष ने फर्माया कि यह गम्भीर मामला है और गम्भीरता से इस पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि गम्भीर मामले को इवेड करने की दृष्टि से जिन बातों से यह चीज़ सिद्ध की जा सकती है कि बजट के सारे प्रपोजल्स लीक आउट हो गये थे, वह रेकॉर्ड जिन अधिकारियों के पास जिस प्रेस में छपा है, जिस प्रकार स्टेटिसटिक्स तैयार किये हैं, इन सारी बातों को गायब कर दें, ऐसी बातें करें, जिससे कि लांछन सरकार के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर न आ सके। उससे बचने की दृष्टि से कार्यवाही न कर सकें, इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्धी कागजात जिस विभाग के पास पड़े हैं उनको जब्त कर लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं माननीय सदस्य को आशंका नहीं होनी चाहिए। जिस पब्लिकेशन के ऊपर यह विशेषाधिकार का प्रश्न आधारित है वह पब्लिश हो चुका है, उसकी तारीख मौजूद है, कब उसको वितरित किया गया, यह बात जानते हैं। यह सोचना है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए विशेषाधिकार प्रश्न बनता है या नहीं आपकी शंका है, वह उत्पन्न नहीं होनी चाहिए इस बात को देखते हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भी है।

श्री अध्यक्ष : जी हां, वह लेट आया था, मंत्री महोदय से जवाब नहीं आ सका। इसलिए आगे जवाब दिया जा सकेगा।

१२. ३२ म० प०

अनुदानों की मांगों पर मत-दान मांग संख्या ४ सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० तक होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १, २२, ३८,००० तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

(इस मांग पर निम्निलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए):—

श्री पी० के० चौधरी तथा श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे :

"That the Demand No 40 Major Head 85 A. Capital Outlay on Scheme of Government trading be reduced by

(श्री अध्यक्ष)

Rs. 1/-(to discuss the Government Scheme of State Trading in Food grain)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी : "मांग सं० ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १) रु० मात्र की कटौती की जाय (अन्न प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे : "मांग सं ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १) रु० मात्र की कटौती की जाय (अन्त प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे : "मांग सं० ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १) रु० मात्र की कटौती की जाय (अन्न प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

श्री भीमसेन, श्री मुरलीधर व्यास, श्री रामनारायन वर्मा, श्री रामेश्वरदयाल, श्री दयाकृष्ण विजय, श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे कि:—

"मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १) रु० मात्र की कटौती की जाय (अन्न प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

श्री मूलचन्द डागा प्रस्ताव करेंगे :

"मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत में से १००) रु० की कटौती की जाय (इस स्कीम से छोटे २ व्यापारियों की बेकारी पर विचार करने के लिए)"

श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे :

"That the demand No 40 Major Head 85. A. Capital Out lay of Scheme of Government Trading be reduced by Rs. 1/-(to discuss the failure of the Govt. in providing cheap grains to the public)"

"That demand No 40 Major Head 85. A. Capital Outlay on Scheme of Government Trading be reduced by Rs. 1/-(to dissuss the falture of the Government to open cheap grain shops in all the municipal areas of Rajasthan.

"मांग सं० ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत में १) रु० की कटौती की जावे (मलेरिया नियन्त्रण योजना पर वाद विवाद करने हेतु)"

श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे :

"That the demand No 40 Majar Head 85. A. Capital Outlay on Government Trading be reduced by Rs. 1/- (to discuss the purchase and distribution of Rabi Seeds.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I move my cut motion "Demand no. 40, Major Head 85. A. Capital outlay on Scheme of Govt. Tra-

(श्री पी. के. चौधरी)

ding be reducee by Rs. 1." अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कट मोशन मूव किया है वह स्टेट ट्रेडिंग की जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसको डिस्कस करने के लिए मूव किया है। इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस साल स्टेट ट्रेडिंग को अमल में लाने के लिए सूचना दी थी। इसके बाद इसके ऊपर काफी बहस हुई। हम बजट का इन्तज़ार कर रहे थे कि स्टेट ट्रेडिंग के लिए उसमें क्या क्या प्रोविजन्स रहेंगे लेकिन हमने जब बजट देखा तो यह मालूम हुआ कि होल सेल ट्रेड करने की सरकार की पॉलिसी है वह सारे होल सेल फूड ग्रेन को करने की, मोनोपोली करने की है लेकिन बजट में प्रोविजन इसके लिए सिर्फ १० लाख का रखा है जिससे आप सारे राज्य में अनाज का थोक व्यापार सम्भालना चाहते हैं....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार जयपुर) : बाहर से भी आयेगा उसको भी सम्भालेगी।

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, क्या समय की पाबन्दी है ? अमेंडमेंट काफी हैं मूव करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में अभी इसकी आवश्यकता पैदा होगी नहीं। कट मोशन पर ज्यादा लम्बे भाषण होते नहीं। जिस बात पर कट मोशन रखा है उस तक भाषण सीमित रहेंगे। आवश्यकता हुई तो बाद में पाबन्दी की जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय मेरी जो राय इस बारे में है और जिस बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं वह यह है कि इस सदन में दो किस्म की राय हैं, कुछ लोग स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ हैं, कुछ लोग स्टेट ट्रेडिंग के हक में हैं। मैं स्टेट ट्रेडिंग के हक में हूँ और मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि स्टेट ट्रेडिंग क्यों होना चाहिए और उसमें सरकार की तरफ से क्या क्या कमी है, डेफीसियेन्सी सरकार की तरफ से रही है, मुझे सरकार के एप्रोच में अरनेस्टनैस नज़र नहीं आती है,

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से फूड ग्रेन प्राइसेज कन्टिन्युअसली राइज़ कर रही हैं और जो प्राइसेज़ अब हैं It is a raising curve. १९५७ में इस प्रोब्लम की, फूड प्रोब्लम की इन्क्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक कमेटी बैठाई थी, फूड ग्रेन इन्क्वायरी कमेटी, जून के महीने में। उसने रिपोर्ट नवम्बर में दी थी और उसमें उन्होंने फूड ग्रेन्स का सोशियलाइज़ेशन करने के लिए कहा था। उसके बाद नम्बर १९५७ से आज जब हम मार्च, १९५९ में चल रहे हैं, लगभग डेढ़ साल हो गया लेकिन आज तक हमने अपनी तरफ से डेफिनेट स्टेप नहीं लिया है। हम सिर्फ कहते रहे हैं कि जो फूड ग्रेन ट्रेड है उसको हम नेसनलाइज़ करेंगे, सोशियलाइज करेंगे, स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन डेफिनेट स्टेप नहीं लिया है जब कि फूड प्राइ-जेज़ का इन्डेक्स १९५७ से आज तक कन्टी-न्युअसली राइज़ कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, फूड प्राइजेज़ १९५८ में भी बराबर राइज करती रही। जनवरी, १९५८ में ऑल इंडिया प्राइस थी वह १०२ थी, १९५७–५८ को बेसिस इयर मानते हुए, वह फूड प्राइस जनवरी, १९५९ में जाकर ११६ हुई यानि १०२ से लेकर ११६ तक राइज हुई,

(श्री पी. के. चौधरी)

१४ पॉइन्ट राइज हुई। सेवन्थ फरवरी, १६-५६ को फिगर्स मिले हैं उनके अनुसार वे ११७ पॉइन्ट हुई हैं। इसी तरह जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्डेक्स है वह भी बराबर राइज़ करता जा रहा है। अक्टूबर, १६५८ तक के फिगर्स प्राप्त हुए हैं उसमें है कि ऑल इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग के फूड ग्रेन्स के १२७ हैं और ऑल कॉमोडिटीज़ मिला कर जनरल फूड का फिगर १२३ है। जो बजट स्टडी हमको दी गई है उसमें हमको मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। बजट स्टडी में, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि उन्होंने कनज्यूमर प्राइस इन्डेक्सेज़ दिये हैं। उसमें जो कनज्यूमर प्राइस इन्डेक्स दिया है वह ब्यावर और अजमेर सिर्फ दो जगह के दिये हैं। उनको देखेंगे तो १६५८ का प्राइस इन्डेक्स १०४ बताया है और ब्यावर के लिए ८६ बताया है और जनरल प्राइस इन्डेक्स अजमेर के १०३ है और ब्यावर के लिए १०० बताया है। इससे ऑल इंडिया प्राइजेज़ इन्डेक्स में जो प्राइसेज़ दी हैं, वे मिस गाइडिंग लगती हैं। हमें पता नहीं कि अजमेर और ब्यावर के प्राइस इन्डेक्स और ऑल इंडिया की जनरल प्राइस इन्डेक्स में इतनी डेसपेरिटी कैसे आ गई। उसको देखने से मालूम होता है कि प्राइस कोई खास राइज नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, जो फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है इस सम्बन्ध में हम जिस चीज़ को महसूस कर रहे हैं वह यह है कि गवर्नमेंट के अब तक दिमाग में साफ नहीं है कि किस ढंग से स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि होल सेल फूड का स्टेट ट्रेडिंग करेंगे लेकिन मुझे जहां तक जानकारी अभी तक की है, वे चाहते हैं कि जो होल सेल डीलर्स हैं होल सेल डीलर्स की एजेन्सी है, उनके थ्रू स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानि स्टेट ट्रेडिंग के लिए कोई अलग गवर्नमेंट की तरफ से मशीनरी नहीं होगी, गवर्नमेंट की खुद की कोई एजेन्सी नहीं रहेगी लेकिन फिलहाल उसको शुरू करेंगे, इस एजेन्सी की मार्फत......

होल सेल डीलर्स के ज़रिये शुरू करेंगे रिटेलर्स को। मैं नहीं कहता, लेकिन ऐजेन्सी जो हैं सारी की सारी फूड ग्रेन डीलर्स हैं, उनकी रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि होल सेल डीलर्स हैं उनकी एजेन्सी से आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जिस पर्पज़ के लिये आप स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस पर्पज़ को ही आप डिफ़ीट करते हैं क्योंकि जो होल सेल डीलर्स हैं उन्हीं के कारण फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग करने की नौबत आई है। स्टेट ट्रेडिंग करने की नौबत जो आई है वह बिजनेस कॉम्युनिटी है, स्टेट ट्रेडिंग कॉम्युनिटी है। They have not behaved properly. और कोई वजह नहीं है कि हमको फूड ग्रेन में स्टेट ट्रेडिंग करने की ज़रूरत आती। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान फूड ग्रेन प्रोडक्शन के फिगर्स दिये हुए हैं उनकी ओर आकर्षित करूंगा। पेज ३५ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के फिगर्स आये हुए हैं उसमें ५७–५८ में हमारा प्रोडक्शन ३० लाख टन है, ५८—५६ में दो लाख टन ज्यादा पैदा किया है तो ३२ लाख टन हमारी प्रोडक्शन है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट्स ३० लाख टन की है। हमने हमारी रिक्वायरमेंट के माफिक खाद्यन्न पैदा किया है फिर हमको क्यों जरूरत पड़ी कि हम स्टेट ट्रेडिंग शुरू करें? इसकी वजह यह है कि बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं वे प्रोपरली बिहेव

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं करते होर्डिंग करते हैं, इसलिये हमारे लिये यह जरूरी हुआ कि फूड ग्रेन्स के ट्रेडिंग को हम अपने हाथ में लें। इसलिये मेरा सुझाव है कि जो स्टेट ट्रेडिंग फूड ग्रेन्स का गवर्नमेंट करना चाहे तो होल सेल डीलर्स की मार्फत करने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा किया गया तो यह तो अपने आपको और पब्लिक को धोखा देना होगा। अगर गवर्नमेंट को स्टेट ट्रेडिंग करना है तो अपनी खुद की मशीनरी मुकर्रर करे और अगर ऐसा नहीं कर सके तो जगह जगह कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनकी मार्फत करे। यदि सारे राजस्थान में एक साथ नहीं कर सके तो पर्टिक्युलर एरियाज़ को गवर्नमेंट सलेक्ट कर सकती है और वहां जो कोआॅपरेटिव सोसइटीज़ हैं उनके ज़रिये प्रोक्योरमेंट कर सकती है। उनको आप सेलिंग एजेन्ट रखिये, पर होल सेल डीलर्स को मत रखिये। इनको ही यदि आप रखेंगे तो सारी स्कीम फैल हो सकती है। इसके साथ ही आप इसको सप्लाई डिपार्टमेंट में देना चाहें तो मैं इसका भी समर्थन नहीं करता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका सीविल सप्लाई डिपार्टमेंट का पिछला तजुर्बा हुआ, वह कोई एन्करेजिंग नहीं है। उसके ज़रिये हमने पहले फूड ग्रेन्स का ट्रेडिंग किया है और काफ़ी लोस इस डिपार्टमेंट के बंगलिंग की वजह से लोस हुआ है और उस वख्त के लोस का, इस डिपार्टमेंट के बंगलिंग के कारण जो लोस हुआ उसका एक करोड़ रुपया हमने अभी एडजस्ट किया है। अगर आप यह काम उसी सीविल सप्लाई डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं या होल सेल डीलर्स को एजेंट बनाना चाहते हैं तो आपकी यह सारी स्कीम फैल हो जायगी।

जहां तक रुपयों के प्रावधान का सवाल है, इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिये जो १० लाख की रकम रखी है इससे कुछ नहीं होगा। अगर सरकार स्टेट ट्रेडिंग करना ही चाहती है तो इस पर तीन चार करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। तो, इस स्कीम को हाथ में लेने से पहले इस रुपये का इन्तजाम करें, सेंटर से लोन लेकर या और किसी तरह से।

दूसरी बात जो लोग स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ हैं उनके लिये कहना चाहता हूं, इस सदन में गवर्नर साहब के भाषण पर वाद-विवाद हुआ। उसके दौरान में और इस बजट पर जनरल डिस्कशन के दौरान में माननीय सदस्यों ने कहा है और कुछ पक्ष के सदस्य मानते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग आगे जाकर टोटेलिटेरियनिज्म है उसको इस प्रान्त में लायेगा; तो मैं उनकी जानकारी के लिये जिस सिस्टम की सराहना करते हैं उसकी मिसाल देकर बताना चाहता हूं कि आज जो केपिटेलिस्ट कन्ट्रीज़ हैं वहां भी फूड ग्रेन ट्रेड है वह बहुत से कन्ट्रीज़ में नेशनेलाइज़ है, वहां स्टेट ट्रेडिंग है। आज कनाडा का सारा का सारा वीट, कनाडियन वीट बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, वही इसका ट्रेड चलाता है, आॅस्ट्रेलिया के वीट का ट्रेड नेशनेलाइज्ड है। इटेली में स्टेट ट्रेडिंग है, जापान में राइस का ट्रेड नेशनेलाइज़ है। जब सरप्लस कन्ट्रीज में, केपिटलिस्ट कन्ट्रीज़ में देखा गया है कि फूड जैसी एसेन्शियल कोमोडिटी की प्राइसेज़ को मार्केट की मर्ज़ी पर वे लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आज जो कन्ट्रीज़ सरप्लस हैं, जहां से लाखों टन अनाज हिन्दुस्थान में इम्पोर्ट करते हैं वैसे देशों में

(श्री पी. के. चौधरी)

भी देखते हैं कि फूड ग्रेन्स, वीट, राइस वगैरह हैं उनका नेशनलाइज्ड ट्रेड है, वे सरप्लस देश भी ऐसी वाइटेलिटी है उसको प्राईवेट ट्रेड पर नहीं छोड़ना चाहते । और मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमको स्टेट ट्रेडिंग क्यों लाना पड़ता है, इसके कारण क्या हैं ? प्राईसेज़ क्यों राइज़ हुई ? इसलिये हम स्टेट ट्रेडिंग नहीं लाना चाहते कि प्राईवेट ट्रेडर्स को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, या कोई प्रोडक्शन कम हुआ हो। राजस्थान के फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के फीगर्स जो सरकार ने दिये हैं उनको देखने से पता चलता है कि हमारी जितनी खूराक है उतना हम पैदा करते हैं फिर भी २० प्रतिशत प्राईसेज़ राइज हो गये हैं जब कि हमारे यहां खाद्यान्नों की कमी नहीं है। इसके अलावा चार पांच रीज़न्स और हो सकते हैं। कुछ तो हमारी इन्डस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है इस वजह से हो सकता है। कुछ डेफिसिट बजटिंग चलता है, इसकी वजह से हो सकता है। और एक बात जिसको सबने माना है हमारे फूड हेबिट्स चैंज हो गये हैं। इससे यह हुआ है कि जो लोग पहले कोर्स ग्रेन्स लेते थे वे भी वीट, राइस ज्यादा कन्ज्यूम करते हैं, तो वीट वगैरह का कन्जम्पशन बढ़ा है। आज हमारे एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं। उन्होंने भी स्टॉक होर्ड करना शुरू किया है, पहले वे लोग स्टॉक होर्ड नहीं किया करते थे हार्वेस्ट के बाद ही They used to sell it in the market.

दूसरी बात इसका कारण स्पेक्युलेशन है। जिनको सरकार अर्जेंट बनाना चाहती है वे स्पेक्युलेशन करते हैं और अध्यक्ष महोदय, स्पेकुलेट इस तरह से करते हैं, नोर्मल तरीके से नहीं। नोर्मल तरीका एक बिजनेस मैन का यह होता है कि हार्वेस्ट के बाद प्राईसेज जब लॉ होती है तो अनाज़ खरीद लेते हैं और ऑफ़ सीज़न में प्राईसेज रेज़ होती है तो बेच देते हैं। लेकिन पिछले पांच छः, वर्षों में यह देखा गया है कि जो डीलर्स हैं प्राईसेज जब गिरती है तो खरीदते नहीं And they allow the prices to fall. और उसका नतीजा यह होता है कि प्राईसेज़ बढ़ती है तो होर्ड करते हैं। उनकी जो डाइरेक्शन ऑफ़ एक्टीविटी है वह एन्टी-सोशियल है। सोशियल तो वह है जब प्राईसेज गिरती हैं हार्वेस्ट के वक्त तो खरीदना चाहिये और बढ़ती है तो बेचना चाहिये। तो आज इस प्रकार की बिजनेस मैन की एन्टी-सोशियल टेन्डेन्सी हो गई है कि प्राइसेज डाउन वर्ड्स जाती हैं तो वे खरीदते नहीं और प्राईसेज बढ़ती है तो होर्ड करना शुरु कर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि फूड ग्रेन्स को सरकार को अपने हाथ में लेना जरूरी हो गया है।

दूसरी बात जो लोग स्टेट ट्रेडिंग का विरोध करते हैं उनको इस बात को मान कर चलना पड़ेगा, इस बात के लिए भी दिमाग साफ़ करना पड़ेगा कि देश में प्लान्ड इकॉनोमी चाहते हैं या नहीं, योजना बद्ध विकास चाहते हैं या नहीं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): तानाशाही नहीं चाहते।

श्री पी. के. चौधरी : तानाशाही का सवाल नहीं है। योजना बद्ध विकास चाहते हैं तो किसी प्लान्ड इकॉनोमी में कमोडीटीज़ को कभी फ्री ट्रेड पर छोड़ा नहीं जा सकता है और जो माननीय सदस्य आज इसका विरोध करते हैं उनकी जानकारी के लिए

(श्री पी. के. चौधरी)

कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस स्टेट ट्रेडिंग को एक्सेप्ट किया है । जिस दिन फर्स्ट फाइव इयर प्लान उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसी दिन माननीय सदस्यों ने जो आज इसका विरोध कर रहे हैं फूड ग्रेन्स में स्टेट ट्रेडिंग को एक्सेप्ट किया था । पार्लियामेन्ट में इसको सभी वर्गों के माननीय सदस्यों ने एक्सेप्ट किया था । फर्स्ट फाइव इयर प्लान के पेज नं० ३५ पर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको एक्सेप्ट किया गया था। मैं एक कोटेशन पढ़ कर सुना देता हूं। उसमें लिखा है :

"From the larger point of view of controlling relative prices and profitability as also for gaining control over the economy at strategic points, state trading at the wholesale level in respect of selected commodities could be used as a potent instrument of planning." अब जिन्होंने फर्स्ट प्लान को एक्सेप्ट किया है आज पांच, छः साल बाद जाकर, मैं नहीं कह सकता जो वे कहते हैं कि हम स्टेट ट्रेडिंग को मंजूर नहीं करेंगे। जो इसका विरोध करते हैं उनके दो ऑर्ग्यु- मेंट्स हैं, एक तो स्टेट ट्रेडिंग को नहीं मानते और दूसरा टोटेलिटेरिज़्म आता है । उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग को फर्स्ट फाइव इयर प्लान के साथ एक्सेप्ट किया है और आज भी जो कि केपेटिलिस्ट कन्ट्रीज़ हैं उनमें फूड ग्रेन्स का सोशियेलाइज्ड ट्रेडिंग होता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा था कि सरकार, मुझे लगता है, आज भी हार्ड हार्टेड है क्योंकि जून, सन् १६५७ में फूड इन्क्वायरी कमेटी बनी थी, नवम्बर में उसने रिपोर्ट दे दिया । उसके बाद १।। साल हो गया, उन्होंने होलसेल ट्रेडिंग की सिफारिश की थी उस पर कोई कदम सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया । उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने कहा कि फूड ट्रेडिंग करेंगे । लगभग चार, पांच महीने हो गये, उसके बाद आज भी गवर्नर महोदय के भाषण में या वित्त मंत्रीजी के भाषण में ज़ाहिर किया है कि स्टेट ट्रेडिंग करेंगे लेकिन बजट में कुछ भी नहीं है इसके वास्ते । स्टेट ट्रेडिंग करना है तो क्या मशीन ही रहेगी इसके बारे में बजट भाषण में यह दिखाई दिया उस वक्त कहा जाना चाहिये था कि यह रूप-रेखा रहेगी इसका क्या ढांचा रहेगा, इस ओर मैं समझता था कि सरकार की ओर से इशारा मिलेगा लेकिन वह मिला नहीं । इसलिए महसूस होता है कि इस तरह से साल भर और बीत जायगा और फिर स्टेट ट्रेडिंग उनसे कभी नहीं होगा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है माननीय राज्य पाल महोदय ने भाषण में यह भी कहा कि हमारा इस ओर प्लानिंग कमीशन और जो फूड मिनिस्टरी से विचार विमर्श चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक इन्ट्रेस्टिंग बात यह कह देना चाहता हूं कि आज भी उनके अन्दर झगड़ा चलता है कि यह फूड किसका पोर्टफॉलियो है । पार्लियामेंट में यह सवाल उठा था, मैंने कहीं पढ़ा था, पार्लियामेंट में कहा गया था कि यह जिम्मेवारी तो स्टेट की है। स्टेट- वाले खुद कहते नहीं है । पार्लियामेंट के स्पीकर साहब ने पूछा था कि आपकी कॉन्स्टिट्युशनल रेस्पोन्सिबिलिटी कहां तक है तो उसका जबाब आज तक नहीं दिया । न सेन्टर और न ही स्टेट्स यह डिसाइड कर पायी हैं कि whose baby is this पहले डिसाइड कर लें कि

(श्री पी. के. चौधरी)

किसका बेबी है और एप्रोच क्या होना चाहिये। एप्रोच में ही कन्फ्युज़न है। प्लानिंग कमीशन है वह यह चाहता है कि स्टेट ट्रेडिंग को प्राईस स्टेबिलाइज़ेशन के लिए लेना चाहिये, पहले प्राईस लोवर करना चाहिये, फिर स्टेबिलाइज़ करना चाहिये। जब फूड मिनिस्टरी चाहती है कि प्राईस तो करना चाहिये लेकिन साथ साथ उनका इन्टेन्शन यह है कि स्टेट ट्रेडिंग के जरिये फूड प्रोडक्शन का इन्सेन्टिव है, प्राइस गिराने के लिए निर्धारित करना चाहिये। लेकिन सेन्टेसिस नहीं किया। उनका दिमाग साफ नहीं है, इसलिए यही वजह है कि स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम उनके सामने नहीं आई, दो साल हो गये। ऑबजेक्ट्स क्लीयर नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पहले ब्यू तो वे क्लीयर कर लें कि किस बेसिस पर स्टेट ट्रेडिंग चाहते हैं, किस एजेन्सी से यह करना चाहते हैं, होल सेल के ज़रिये से या कोऑपरेटिव के जरिये से ? यह जब साफ हो जायगा तब ही मैं समझता हूं कि यह जल्दी से जल्दी लागू हो सकेंगे। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितना ही इसको डिले करेंगे उतना ही देश की इकॉनोमी के लिए, प्लान के लिए यह खतरनाक रहेगा।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सब कट मोशन्स एक साथ ही मूव कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर का एक और है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I move, "that the demand No. XL-major head-85 A. capital out lay on Scheme of Government Trading be reduced by Rs. 1/-(to discuss the Government Scheme of State Trading in Food Grains." अध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्यान्न के व्यापार की योजना राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है उसका मैं विरोध करता हूं। सरकार जिस रूप में योजना को कार्यान्वित करना चाहती है और जिससे जिस प्रकार का वातावरण देश में पैदा हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि सारे देश के अन्दर हमारी सरकार एक विषम् स्थिति बना देना चाहती है। खाद्य की जो जिम्मेदारी सरकार पर आनेवाली थी वह जिम्मेदारी व्यापारियों पर डालने के लिये यह सब कुछ किया गया है। यह उस कहावत के अनुसार है जैसे "खिसी-यानी बिल्ली खंभा नोचे" वाली कहावत इस पर चरितार्थ हो रही है। खुद जिस चीज़ का इन्तज़ाम नहीं कर सकी उसका दोष व्यापारियों पर मढ़ कर उस दोष से मुक्त होना चाहती है। खाद्यान्न की जो स्थिति हुई है उससे हम केवल यह नहीं कह सकते कि यह सारा का सारा दोष व्यापारियों का ही है और इसीलिये हम इस व्यापार को नेशनेलाइज़ करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात और भी है वह यह कि आप किसी व्यापार को अपने हाथ में लेते हैं आपको वह लेने से पहले उसकी योजना तो आप पूरी बना लें। यह अपने एक प्रकार का स्टन्ट जनता में फेंक दिया लेकिन इसके लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ उसके तुरन्त बाद जब पत्र-सम्पादकों ने नेहरूजी से प्रश्न किया कि इस सम्बन्ध में आपके पास कोई निश्चित

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

योजना है उन्होंने जवाब दिया I have not yet worked out अभी तक वर्क आउट नहीं किया । जिस चीज को आप वर्क आउट नहीं कर सके वैसी अवस्था में केवल बम की तरह जनता में किसी चीज़ का फेंक देना वह भी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये और अपना दोष दूसरों पर मढ़ने के लिये, यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा यह तो योजना का एक भाग है । जिन्होंने इस योजना को स्वीकार किया वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं । इस सम्बन्ध में भारतीय जन संघ ने स्पष्ट कहा है उनको कोई भी पंच वर्षीय योजना स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इन योजनाओं से हम देश को प्रगतिशीलता की ओर नहीं ले जा सकते ।

डॉ॰ बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपने पहली योजना को तो माना है ।

श्रीजगदीशप्रसाद माथुर: न हमने पहली योजना को माना न दूसरी और न हम तीसरी को ही मानते हैं । क्योंकि उनका आधार बिल्कुल गलत है । जिस आधार पर आप योजना बना रहे हैं जिस प्रकार का बैक ग्राउन्ड लेकर आप चल रहे हैं उससे देश का विकास नहीं हो सकता । यह भले ही कांग्रेसवाले महसूस न करते हों हम देखते क्या हैं नेहरूजी बहुत बार चीन या रूस चले जाते हैं और वहां के देश को प्रगति करते हुए देखते हैं उन देशों को प्लानिंग के आधार पर तरक्की किया हुआ मानते हैं तो वह वहां से आकर उस प्लानिंग को यहां भी थोप देते हैं । यह ठीक है कि चीन ने पंच वर्षीय योजना बना-कर तरक्की की और रूस ने सप्त वर्षीय योजना बना कर की हो । जब गत वर्ष नेहरूजी चीन गये थे वहां उन्होंने कोआॅपरेटिव फार्मिन्ग देखा उससे फिर उनका दिमाग चेन्ज हो गया और यहां आकर इस देश के अन्दर भी कोआॅपरेटिव फार्मिन्ग का नारा दे दिया । हमारे देश के नेताओं के सामने केवल एक ही दृष्टिकोण है और वह है दूसरे देशों से नकल करके उनके अनुसार प्लान बनाना । मैं यह नहीं कहता आप योजना न बनायें बिना योजना के काम नहीं चल सकता, यह ठीक है कि जिन जिन योजना को हम लागू करना चाहते हैं उनका आधार अपने देश के अनुकूल हो । अमेरिका ने कोई फाइव ईयर प्लान नहीं बनाया फिर भी वह आज दुनिया का समृद्धिशाली राष्ट्र है । इंगलैन्ड ने कोई पंच वर्षीय योजना नहीं बनायी वह भी समृद्धिशाली है । साम्यवाद जिन देशों में नहीं है, साम्यावाद से स्तर जो देश है उनको आप देखिये किसी ने भी कोई पंच वर्षीय योजना नहीं बनाई । यह योजना सिर्फ साम्यवादी देशों में चल सकती है जहां डिक्टेटरशिप हो । आज हमारा देश भी इन साम्यवादी देश का पिछलग्गू बनता जा रहा हैं योजना के मामले में यह ठीक नहीं है । पहली योजना जब हमारी बनी उस समय उसका मुख्य आधार कृषि माना गया लेकिन उस कृषि पर कोई ध्यान नहीं दिया । अभी जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमारे यहां तो अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है और उसके बाद भी कमी । इसका अर्थ यह है कि हम अपनी खेती की पैदावार को देखकर नहीं चले । इन सब बातों को सामने रख कर हमें विचार करना पड़ेगा । हमें इसके लिये सारे देश को सामने रखकर विचार करना पड़ेगा । हमारे पास मध्यभारत का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है जब तक वहां अन्न की कमी रहती है तो हम हमारी योजना को सफल नहीं बना सकते। हमें सारे देश को अपने सामने रखकर ही इस प्रकार की योजना लेकर चलना चाहिये।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य था कि कृषि का विस्तार किस प्रकार से किया जाय। उसके लिये बड़ी बड़ी योजना बनी। बड़े बड़े बांध बनवाने की योजना बनी और उस तरफ़ सारा रुपया फेंकना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन उस योजना के पूरा होने पर भी खेती हरी भरी न हो पायी। दूसरी योजना के अन्दर योजना के निर्माताओं के उद्योगों पर ध्यान देने की सोची और सारा पैसा उन उद्योगों पर लगाया। इससे हुआ क्या कि पहली योजना में जो कृषि सम्बन्धी कार्य किये गये वे अधूरे रह गये। इसका कारण यह हुआ कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के बनने के पहले हमारे प्रधान मंत्री रूस चले गये थे वहां उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को देखा तो उनका दिमाग इस तरह का हो गया कि बड़े उद्योगों के बिना देश उन्नति नहीं कर सकता। उसके संभालने के बाद काम नहीं चला तो अभी अभी नागपुर अधिवेशन में कृषि को कोऑपरेटिव बेसिस पर खेती करने का प्रोग्राम बनाया। और इसी तरह का प्लानिंग हमारे खाद्यान्न की अवस्था के बिगड़ने का कारण है। लेकिन फिर भी प्लानिंग इसी आधार पर किये जा रहे हैं और यही अस्तव्यस्तता का कारण है। आज हम विदेशों से अनाप-शनाप रूप से कर्ज़ा ले रहे हैं इस कारण हमें मुद्रास्फिति की कमी महसूस हो रही है। हम दुनिया भर के देशों से कर्ज़ा करते जा रहे हैं वैसी हालत में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिये कपास, जूट, तमाखू का उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है। जब इस प्रकार कैश क्रोप्स लगाने पर ज्यादा पैसा किसान को मिलता है तो वह अनाज का उत्पादन करना छोड़ देता है और इस कैश क्रोप्स की तरफ अपना ध्यान लगा देता है। जब आप कैश क्रोप्स की ओर ज्यादा ध्यान देंगे तो यह निश्चय है कि खाद्यान्न का उत्पादन कम होगा। हमारी सरकार वास्तव में योजना बना नहीं सकती। चाहिये तो यह कि देश की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही योजना बनायी जानी चाहिये चाहे उसमें प्रोग्रेसिवनेस हो या न हो। आज हमारी सरकार आज दुनिया भर के जितने भी वाद या इज़्म है उन सब का प्रयोग यहाँ लाकर करना चाहती है। और हमारे यहां के तथा कथित प्रोग्रेसिव कहलाने-वाले जिनके पास कोई काम नहीं रह गया है इस प्रकार के इज़्म का प्रयोग के अन्दर हमारे देश का सत्यानाश करते जा रहे हैं। आज करोड़ों रुपयें के नोट पानी की तरह खर्च किये जा रहे हैं। और प्लान के नाम पर काफी संख्या में नोट छाप छाप कर जनता में आ रहे हैं। आज केवल एक ही नारा लगाते हैं जितने भी खाद्यान्न के व्यापारी हैं वे सब व्यापारी बेईमान है और व्यापारियों ने ही यह सारी गड़बड़ की। यहां जो माननीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया उसमें स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पिछले वर्षों में जब से सरकार ट्रेडिंग करती आ रही है उसके कारण एक करोड़ रूपये का सरकार को नुकसान हुआ है, इसको वे स्वीकार करके चलते हैं। भविष्य में जब कि सरकार सारे स्टेट के व्यापार को अपने हाथ में ले रही है वैसी अवस्था में न मालूम कितनी सरकार को हानि उठानी पड़ेगी।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जिस प्रकार की प्लान्स हमारे यहां बन रही है जिन देशों का हम अनुकरण करते जा रहे हैं उन देशों की राज्य व्यवस्था में और हमारे यहां की राज्य व्यवस्था में काफी अन्तर है। अतः उनको आधार मानकर हम किसी योजना को बनाते हैं तो वे यहां चलने वाली नहीं है या तो आप यहां तानाशाही लाना चाहते हैं, यदि वास्तव में यही बात है तो इसका साफ मायने यह हैं कि कांग्रेस अपनी मौत अपने आप बुला रही है। कांग्रेस इस योजनाओं को सफल नहीं बना सकती जब तक कि उसमें तानाशाही प्रवृत्ति न हो। कॉम्युनिस्ट ही इस चीज़ को सफल कर सकते हैं प्रजातंत्र के आधार पर यदि हम इन योजनाओं को चलाना चाहते हैं तो It is borend to fail सहकारी कृषि रूस में जब सफल होती हुई नजर नहीं आयी तो वहा पर लाखों किसानों को खत्म कर दिया गया और बाकी को दूसरे धन्धों में डाल दिया गया। अगर आप इस देश को कॉम्युनिस्टिक कन्ट्रीज़ की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि यह प्रजातंत्र का बाना आप छोड़ दें। और डेमोक्रेटिक वे भी छोड़ दें। अगर कांग्रेस प्रजातंत्र के आधार को छोड़ना नहीं चाहती तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। तो आप मानकर चलिये यदि यही नीति कांग्रेस सरकार की रही तो निश्चित वह सरकार मरेगी। कांग्रेस को स्वयं को अपने आप सोचना चाहिये कि यह अपनी मौत अपने आप क्यों बुला रही है।

एक माननीय सदस्य : आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हमतो चाहते हैं कल मरती हो तो आज मरे, किन्तु देश में प्रजातन्त्र की रक्षा करनी है तो हमें इस प्रकार की योजना बना कर जो देश का बंटाढार करना चाहती है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस प्रकार का स्टेट ट्रेडिंग होगा उसका परिणाम निकट भविष्य में क्या होने वाला है अगर हम सारे आंकड़ों को देखें तो सारे देश में लगभग ३० हज़ार इस प्रकार के व्यापारी, जो थोक व्यापारी हैं वह बेकार हैं और ३० लाख खुदरे व्यापारी बेकार हुए हैं। अब इसके अन्दर सरकार की जो छोटी मोटी योजनायें चालू करने का विचार है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इससे तानाशाही नहीं आयेगी।

१ म० प०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) और जो माननीय सदस्य कहते हैं कि तानाशाही नहीं आयेगी तो स्टेट ट्रेडिंग में सरकार कहती है कि व्यापारियों को एजेन्ट्स बनाकर काम करेगी। तो अभी कल ही बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जयपुर में कितने व्यापारियों को दिया तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि दो को दिया। तो सरकार इस प्रकार से एजेन्ट बनाकर काम करेगी तो वह केवल उन्हीं व्यापारियों को देगी जो कि सरकार की जी हुजूरी करते हैं या फिर कांग्रेस को चन्दा देंगे। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने पिछलग्गुओं की एक ट्रेल खड़ी कर दी। कोई स्वतन्त्र रूप से काम नहीं कर सकेगा इसका अर्थ स्वयं है कि तानाशाही आई। अगर सरकार व्यापारियों को एजेन्ट बनाकर काम करना चाहती है तो

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमने जयपुर में देखा और सीकर में भी अनुभव किया और भी दूसरे स्थानों पर हम गये हमने सभी जगह यह अनुभव किया है कि सरकार केवल उन व्यापारियों को जो कि बिलकुल सरकार के मुंह लगे हुए हैं या फिर जो ज़िला अधिकारियों के मुंह लगे हुए हैं उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी राशन की शोप देती है । केवल चीप ग्रेन शोप्स सरकार को देने का अधिकार है और जहां शोप्स अलाट करने का प्रश्न आता है तो केवल उन्हीं व्यापारियों को शाप्स सरकार अलॉट करती है जो कि सरकारी अधिकारियों के पिछलग्गू हैं या जो कांग्रेस संस्था को चन्दा देने वाले हैं । अब सरकार जब बड़े रूप में स्टेट ट्रेडिंग करेगी तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं । आज छोटी सी चीज़ पर ऐसे परिणाम निकलते हैं तो बड़ी चीज़ पर तो क्या परिणाम सामने आयेंगे इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं । तो इसका अर्थ यह होगा कि वह सारे के सारे सरकार के गुलाम होंगे, और पिछलग्गू होंगे और इसका मतलब यह है कि व्यापारियों के सारे सम्प्रदाय को आपने अपने काबू में कर लिया याने वर्किंग पार्टी ने अपने काबू में कर लिया ।

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा : आपको क्या चिन्ता है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आप लोग चिन्ता मत करिये, आपका तो सफाया होने वाला है ।

इसके बाद में सरकार ने कोआॅपरेटिव फार्मिंग की नीति अपनाई और इसके अन्तर्गत किसानों को लोन दिया जायेगा, तकावी दी जायेगी और इन सब के लिए जब कि बहुत बड़े बड़े फार्मिंग होंगे तो सरकार उन पर मैनेज़र बैठायेगी और इससे किसानों को भी वह अपने काबू में कर लेगी और इस प्रकार एक बहुत बड़ी फौज़ तैयार कर ली जायेगी । यह मैं स्पष्ट कह देता हूं कि सरकार इस प्रकार के कानून बनाकर डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा कर रही है । तो इसका कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है । ठीक है जैसा होगा हम निपटेंगे अपने आप जो तानाशाही आप लाने का प्रयास कर रहे हैं यह उसके लिए एक उदाहरण है । कितने व्याहारीं बेकार होंगे और इससे व्यापारियों की बहुत बड़ी फौज सरकार के गुलामों के रूप में खड़ी हो जायेगी । इसके बाद में काश्तकार भी आराम नहीं पायेंगे । सरकार ने कोआॅपरेटिव फार्मिंग का तरीका रखा है तो कोआॅपरेटिव फार्मिंग लाने के लिए मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी बनेंगी और सरकार उनसे फिर बाद में टैक्स भी वसूल करेगी लेकिन जब तक वह नहीं होता है तब तक एक ही तरीका होगा । अगर सरकार स्टेट ट्रेडिंग करेगी तो उसको इसके लिए कम्पलसरी प्रोक्योरमेन्ट लाना पड़ेगा और भाव तय करने पड़ेंगे और जो काश्तकारों से अन्न सरकार खरीदेगी तो जो भाव वह तय करेगी उस भाव पर काश्तकार को देना ही पड़ेगा । अगर नहीं देंगे तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा । बाकी की चीजों के भाव गिरते हैं या नहीं लेकिन जो भाव अन्न के तय हो गए उन भावों पर तो किसानों को अन्न सरकार को देना ही पड़ेगा । तो उसकी तो मौत आ गई । बाकी चीजें भी फिर सस्ते भाव पर मिलनी चाहिए जब कि सरकार भी अन्न कुछ सस्ते भाव पर भी कश्तकारों से खरीदेगी । इस तरह से तो काश्तकार ही घाटे में जायेगा,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्योंकि सरकार तो फिर सब के ऊपर है। तीसरी चीज़ जो आयेगी उसका परिणाम होगा राशनिंग। राशनिंग के लिए महात्मा गांधी का नारा था कि राशनिंग सबसे बुरी चीज़ है और उसको सरकार फिर लाना चाहती है। हमारे केन्द्र के खाद्य मंत्री, स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई जी उन्होंने जब देश से राशनिंग को खत्म किया तो उनको सारे देश ने धन्यवाद दिया था, और कहा था कि राशनिंग जो एक भ्रष्टाचार का प्रतीक था उसको आपने खत्म किया और साथ ही सरकार के जो पिछलग्गू बने हुए थे उनको भी आपने खत्म करने का प्रयत्न किया है, इस प्रकार के शब्द उस समय लोगों ने उनके लिए कहे थे और आप राशनिंग लाकर फिर एक बहुत बड़ी पिछलग्गुओं की टीम खड़ी करना चाहते हैं। तो इस तरह की हमारे समाज के बहुत बड़े लोगों को जो सरकार स्टेट ट्रेडिंग के नाम से अपनी ओर लाने का जो प्रयास कर रही है। उसके लिए हमें अभी से सचेत होना चाहिए। अगर इन बुराइयों को रोकना है, किस आधार पर हम काम करें किस आधार पर वास्तव में यह चीज़ सही ढंग से निभे तो, इसके लिए कई सुझाव हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन सुझावों पर सरकार अमल करे और यह सुझाव भी कई रूप में हैं। पहला सुझाव कृषि के ऊपर है, क्योंकि कृषि ही हमारा मूल आधार है। कृषि को कैसे सुधारें? इसके लिए आवश्यकता है कि हमारी योजनाओं का स्वरूप बदले और हमारे माननीय पंडित जवाहरलाल जी ने भी कहा था कि हम सारे विरोधी दलों का इस योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग चाहते हैं। तो सहयोग चाहते हैं सो तो ठीक है योजना को कार्यान्वित करने में परन्तु योजना को कार्यान्वित रूप में लाने के पहले मैं आपको बताऊं कि योजना के लिए हमारा यह दृष्टिकोण है और वह जनसंघ का मूल दृष्टिकोण है और उसको समाज के सामने बराबर रख रहे हैं कि हमें भी योजनाओं के कार्यान्वित करने के अलावा योजनाओं के बनाने में अवसर दिया जाये और उसमें सहयोग चाहा जावे। आज जो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते हैं कल्टीवाइज़ेशन करके रूस के आधार पर ट्रेक्टर चलना चाहते हैं। उससे कृषि का फायदा नहीं हो सकता है। यह बात नहीं कि हमारे यहां आदमी कम है और ज़मीन ज्यादा है इसलिए ट्रेक्टर चलाओ। इसलिए नहीं कि बैल कम हैं यह बात नहीं है। आज आदमी बहुत ज्यादा हैं हमें उसके लिए पर मैन उपज करनी पड़ेगी और आज पर एकड़ उपज करने की समस्या नहीं है। लेकिन हमारी जो सरकार है वह पर एकड़ कितनी उपज हो, इसके ऊपर विश्वास करती है। सरकार ने कहा कि हम सीलिंग करना चाहते हैं और हमने सीलिंग का भी समर्थन किया। एक तरफ तो सीलिंग करते हैं आप और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव फार्मिंग लाना चाहते हैं। अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इससे तो सीलिंग का उद्देश्य खत्म होगया। सीलिंग तो गोया चला गया और कोऑपरेटिव फार्मिंग के कारण से जो बड़े बड़े खेत होंगे उनमें काम करने वाले कम होंगे और हमारे देश के लोगों का व्यवहार, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति सारी बातों को लें तो किसी भी रूप से यह कोऑपरेटिव फार्मिंग सफल होने वाला नहीं है। हम इस कोऑपरेटिव फार्मिंग को इस उद्देश्य से लाना चाहते थे कि हमारी उपज बढ़े बल्कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इससे तो उपज गिरेगी । और यही, नहीं गिरी है, आज रूस के अन्दर जहां बड़े बड़े मिनिस्टर यहां तक कि रूस के प्राइम मिनिस्टर को इसलिए अपदस्थ कर दिया गया कि उसकी कृषि नीति असफल रही । जिस समय मोलोनकोव को हटाया गया उस समय उस पर यही आरोप लगाया था कि उनकी कृषि नीति असफल रही है । अब श्री खुश्चेव देखें कैसे इसको सफल बनायेंगे जो जिस प्रकार से कोआॅपरेटिव फार्मिंग का सिस्टम वहां पर चल रहा है उस के आधार पर और दुनिया भर की तरक्की जो वहा पर विज्ञान ने की है हम सोचें कि विज्ञान के नाते से हिन्दुस्तान का जो रॉकेट है वह ५ मील ऊपर जाकर गिर जाता है और कृषि के अन्दर हम चाहते हैं कि रूस और अमेरिका में, जिस प्रकार नवीनतम आविष्कारों के आधारों पर खेती बढ़ रही है वह भी हम लागू करें । यह कैसे हो सकता है । हम चल तो रहे हैं यहां और सोच रहे हैं कहीं और की । हम कृषि के अन्दर ट्रेक्टर नहीं ला सकते । हमारी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है । अभी नागपुर में भारत के गृह मंत्री माननीय श्री गोविन्द वल्लभ जी पंत ने कहा है कि हम कृषि के अन्दर यंत्र नहीं लगायेंगे । तो आप यंत्र लगाना नहीं चाहते हैं, यंत्रों का उपयोग करना नहीं चाहते है और फिर भी आप कहते हैं कि हम बड़े बड़े फार्मिंग बनाना चाहते हैं और बैल ग्वार खायें और सारी की सारी ग्वार आप गम बनाने के लिए भिवानी में भेज दें । आखिर किस प्रकार का प्लानिंग है यह समझ में नहीं आता । या तो यह है कि सरकार प्लानिंग सबको समझाना नहीं चाहती है या उसके खुद के समझ में नहीं आया है । इससे तो उत्पादन हैं वह गिरेगा । आज समस्या यह है कि पर एकड़ कितना उत्पादन होता है । एक आदमी अधिक से अधिक मेहनत करके कितना उत्पादन कर सकता है । यदि उसको एक बड़ा खेत ५० या १०० एकड़ का दे दिया और एक ट्रेक्टर दे दिया तो भी वह इतना आउट पुट नहीं दे सकता ।

दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्टस भाखरा, चम्बल आदि की हमारे यहां अभी आवश्यकता नहीं है । जिस समय राजस्थान केनाल की नींव पड़ रही थी मैंने आपत्ति उठाई थी कि इन बड़ी योजनाओं की हमारे यहां आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका आंकड़ा है कि इसके ५० पर्सेन्ट से अधिक पानी काम में नहीं आता है । लेकिन जो लघु सिंचाई योजना है कुंए है जो चरस से चलते हैं वहां पर चरस के बजाय मोटर लगा देते हैं तो उनका ९५ पर्सेन्ट पानी काम में आयेगा । लेकिन इस योजना पर हमारी सरकार पैसे खर्च करना नहीं चाहती है । वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि १०० करोड़ रुपयों के करीब का खर्चा राजस्थान कैनाल पर आयेगा । मैं कहता हूं कि १०० करोड़ की रकम लगा कर कुंए बनायेंगे तो १० वर्षों में पूरे हो जायेंगे ।

तकावी की जो समस्या है, मैं भी इसके लिये जो कमेटी बनाई गई थी उसका सदस्य हूं......

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): ये स्टेट ट्रेडिंग पर बोल रहे हैं या और किसी पर ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : किस कारण से स्टेट ट्रेडिंग हो रहा है यह आप समझ लें, वरना गलती कर बैठेंगे, इसलिये मैं ये बातें बता रहा हूँ । तकावी में पैसा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिया जा रहा है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितनी तकावी मरम्मत के लिये दी गई और कितनी नये निर्माण के लिये दी गई। इसके आंकड़े यदि आपके पास हों तो उनको देखें आपको पता लगेगा कि निश्चित रूप से पुराने कूओं की मरम्मत हो रही है लेकिन नए कूंए नहीं बन रहे हैं। यदि नये कुंए नहीं बनेंगे तो सिंचाई बढ़ेगी कैसे ?

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि जहां तक ज़ोनल् सिस्टम का सवाल था हमारी सरकार ने इसको पलटाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कौनसी बुद्धिमानी की बात थी कि बम्बई के पोर्ट पर जो रद्दी अनाज उतरता वह राजस्थान में भेजा जाता और राजस्थान में पैदा होने वाला अच्छा अनाज बम्बई भेजते और ट्रान्स्पोर्ट का खर्चा बम्बई वालों या राजस्थान वालों को भुगतना पड़ता है। इस गलत नीति पर सरकार चल रही है। बम्बई के लोग ही सड़ा गला अनाज खाते रहें यह बात भी नहीं होनी चाहिये, उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सबको मिलना चाहिये, लेकिन यह गलत योजना चल रही है। चाहिये यह था कि तीन चौथाई अच्छा गेहूँ देते और एक चौथाई वैसा गेहूं हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या बढ़ाने के लिये देते इससे मन्त्रीजी की वाहवाही होती कि इनके हॉस्पिटल्स में इतने मरीज़ आते हैं। एक चौथाई गला हुआ अनाज देते लेकिन तीन चौथाई तो अच्छा देते लेकिन यह गलत नीति हमारे यहां पर चली आ रही है।

दूसरी ओर फेयर प्राइस शोप्स की ओर देखें तो जयपुर में हाल यह हो रहा है, मैंने आज ही जयपुर में देखा कि यहां पर इन दुकानों पर व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन खरीदने वाले ग्राहक नहीं हैं। इसका कारण यह है कि यहां पर प्रत्येक गली में एक दुकान खोलदी गई है इसके लिये धन्यवाद है, जयपुर के लोगों की तरफ से। लेकिन जयपुर के बाहर जाकर देखें बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर आदि में तो पता चलेगा कि लोग लाइनें लगा कर घंटों तक अनाज लेने के लिये खड़े रहते हैं। यहां पर तो व्यापारी मन्त्रीजी को रोते हैं कि ग्राहक नहीं हैं और वहां ग्राहक रोते हैं कि राशन नहीं देते। सीकर का उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। हम लोगों ने बड़ा झगड़ा किया तब जाकर ११ दुकानें कुल वहां पर खुलीं वरना ३ दुकानें वहां पर थीं। हमारी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि भीड़ में वहां पर जाकर अनाज़ खरीदते। क्योंकि आपको जयपुर से डर लगता है कि आये दिन यहां पर आन्दोलन हो जाते हैं इसलिये यहां पर गली गली में दुकानें खोलदी। जयपुर में गृह मन्त्रीजी की कॉन्स्टिट्युएन्सी में जो एक दुकान का फासला दूसरी दूकान से यहा से केन्टीन जितना भी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : सिविल लाइन्स में कोई दुकान है या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा(किशनगढ़) : अन्न नहीं मिलता तो आप जोर से बोल नहीं सकते थे।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं धीरे इसलिये बोल रहा हुँ कि गला खराब हो गया है सड़ा गला अनाज खाने से। हमारे मन्त्रीजी को बाकी के हिस्सों के साथ सौतेली

Page No 50

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

मां का सा व्यवहार नहीं करना चाहिये। जयपुर, उदयपुर में काफी मात्रा में दुकानें हैं, अलवर में भी काफी खुल गई हैं लेकिन राजस्थान जयपुर, उदयपुर और अलवर तक ही तो सीमित नहीं है। इतने बड़े राजस्थान में सब स्थानों पर समान रूप से वितरण होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि यहां पर तो इतनी दुकानें हैं कि कोई लेने वाला नहीं है और वहां पर अनाज नहीं मिलने के कारण लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ता है। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये। स्टेट ट्रेडिंग का व्यवहारिक स्वरूप जो आज देख रहे हैं, असली रूप तो बाद में सामने आयेगा लेकिन आज जो भुक्त भोगी हैं, वे आपके व्यवहार को देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब काफी समय ले लिया है आपने।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, दो चार सुझाव दे रहा हूं। अब इसमें क्या किया जाय जिस रूप में हमारी सरकार इस प्रकार से बीच में आ रही है उसका स्वरूप क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारे यहां जो व्यापारी और काश्तकार हैं उनके बीच में सरकार खड़ी होकर संतुलन पैदा करे। सरकार का यह काम नहीं है कि स्वयं व्यापार करे, क्योंकि पुरानी वर्ण व्यवस्था को देखें तो जो क्षत्री लोग राज्य किया करते थे वे यदि व्यापार में हाथ डालते तो अंटाधार कर देते। लेकिन आज सरकार इसमें हाथ डाल रही है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह प्रजातन्त्र का जमाना है, पुराना जमाना नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : हम चाहते हैं कि सरकार बफर स्टोक बनावे और जिसके आधार पर भावों पर संतुलन रखे और जब उसकी आवश्यकता हो तब निकाले। काश्तकारों से खरीदते समय यदि सरकार देखे, पहले निश्चित रेट तय कर दे और जब देखे कि काश्तकार घाटे में जा रहा है तो स्टाक निकाल दे। यदि सरकार देखे कि बाज़ार में भाव तेज़ जा रहा है तो सरकार अपना स्टाक बाज़ार में निकाले, तब तेज़ भाव गिरेंगे और समस्या हल हो जायगी। सरकार को बफ़र स्टोक बनाना पड़ेगा, नियंत्रण रखना पड़ेगा। सरकार बिल्कुल दूर नहीं बैठ सकती। यह नहीं हो सकता कि सरकार निष्क्रिय हो कर बैठ जावे और व्यापारी ब्लैक मार्केटिंग करें या व्यापारियों को खुली छूट दे दें। अभी जो रोक लगाई है वह ठीक ढंग से नहीं लगाई, जो रुपये दे देते हैं उनका माल छोड़ दिया जाता है। सरकार को चाहिये कि वह अपनी निश्चित नीति बनावे और सरकार व्यापारी नहीं बने बल्कि व्यापारी और काश्तकार दोनों के बीच में मध्यस्त बने और जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वे सरकार प्रदत्त हैं स्वयं पैदा नहीं हुई है। सरकार की गलत नीति से जो प्रोब्लम्स पैदा हुई हैं उनको और अधिक नहीं बिगाड़े। यदि सरकार इनके बीच में आयेगी तो १ करोड़ से अधिक का घाटा होगा और इस समय हम तैयार नहीं हैं घाटा खाने के लिये। जो थोड़े से रुपये इस काम के लिये रखे हैं उससे स्टेट ट्रेडिंग होगा नहीं। नागपुर में नेहरूजी ने स्वयं ने कहा है कि I have not worked out the details" और हमारे मन्त्रीजी ने भी कहा हैं कि हमने वर्क आउट

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

नहीं किया। इससे हर स्थान पर क्लर्क जरूर खड़े कर देंगे। प्रत्येक स्थान पर दो चार क्लर्क भेज देंगे और नुकसान उठावेंगे। इस देश की गाड़ी न तो मन्त्रीजी से चलेगी और न देश कांग्रेस से ही चलने वाली है। देश का भाग्य होगा जैसा होगा। इस प्रकार की अस्थिर नीति का प्रयोग हमारे देश में नहीं होना चाहिये। रूस जाकर आ गये। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कनाड़ा में खेती होती है, वहां इतना अधिक अन्न पैदा होता है और आदमी थोड़े हैं। इसी तरह से आस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है, वह आबादी राजस्थान में आ जायगी, वहां इतना अनाज पैदा होता है कि दुनियां भर के देशों में फेंकना पड़ता है। वहां प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट दुनियां के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता, इसलिए सरकार को अपने हाथ में व्यवस्था लेनी पड़ी। मैंने इसलिए निवेदन किया कि सरकार काश्तकार और व्यापारी के बीच में एक एजेन्सी बन जाय, जिस प्रकार आस्ट्रेलिया और अमेरिका के अन्दर सरकार बीच में आई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार अपने हाथ में पूरी व्यवस्था न ले। मैं स्टेट ट्रेडिंग का घोर विरोध करता हूँ और चाहता हूं कि जो व्यापारी है, इन्डस्ट्रियलिस्ट हैं उनको चान्स देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अभी काफी कटौती प्रस्ताव हैं, अगर समय निर्धारित कर दिया जाय तो कम से कम सभी माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिल जायगा। इसलिए १० मिनट...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : एक प्रस्ताव पर १० मिनट ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दो हुए तो २० मिनिट।

श्री अध्यक्ष : आपकी बारी में दो आयें, तो आपका ध्यान रखेंगे। दो पर मौका मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : पार्टी के बेसिस पर समय दिया जाय, तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : कटौती के प्रस्ताव पार्टी बेसिस पर नहीं आये। अभी तक उनको मौका दिया है। जिन्होंने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, जो उनके सपोर्ट में बोलना चाहेंगे, उनके लिये समय कम हो जायगा।

डॉ० बहादुरसिंह : स्टेट ट्रेडिंग के बारे में मन्त्रीजी बोल सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्यों नहीं बोल सकेंगे। तो १० मिनट ठीक रहेंगे।

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। जब मैंने इस शीर्षक को पहले पहल देखा तो मुझे ध्यान आया कि आज कल यह खाद्य की समस्या बहुत गम्भीर हो रही है। कुछ दिनों पहले भोजन के पदार्थों की, खाद्यान्नों की कमी महसूस होने लगी और भाव धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक अर्थ में इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। इसलिए

(डॉ० चन्द्रकला)

राज्यपाल के भाषण में संकेत किया गया कि आगे थोक व्यापार सरकार हाथ में लेगी और यह आशा की जाती है कि उससे खाद्य समस्या धीरे धीरे सुलझ जायगी। जब इस शीर्षक को मैंने देखा तो मैंने समझा कि शायद हमारी सरकार कुछ ऐसी योजना हमारे सामने प्रस्तुत करेगी जिससे एक साफ़ चित्र हमारे सामने आयेगा कि किस तरह सरकार स्टेट ट्रेडिंग को हाथ में लेकर अन्न पदार्थों की योजना को कार्यान्वित करेगी, जिससे आगे चल कर हमारी खाद्य समस्या हल हो सकेगी। लेकिन जब इसके आगे के दूसरे शीर्षक देखने शुरू किये, तो मेरी समझ में नहीं आया, कि इन सब का मतलब क्या हो सकता है। इसी के अन्तर्गत सामुदायिक विकास परियोजना में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा खण्ड का भी उल्लेख है और रबी और खरीफ के बीजों को खरीदने की योजना भी इसमें है। ये सारी बातें इसमें हैं, तो कहां तो सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत और कहां ये सारी दुनियां भर की बातें आ गई हैं। अच्छा तो यह होगा कि मंत्री महोदय जब खड़े होंगे, तब स्पष्ट कर देंगे। लेकिन मुझे जो कुछ मालूम पड़ा उससे यह बात साफ़ है कि हमारी सरकार की खाद्यान्न के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना नहीं है कि किस प्रकार थोक व्यापार को हाथ में लेगी....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (खाद्य एवं रसद मंत्री) : मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं गवर्नमेंट के जो पर्चेजेज़ हैं, उन सबको इस हेड में शामिल कर लिया हैं, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का इसमें है, सीड्स का इसमें है और किसानों से सम्बन्धित जितने पर्चेजेज़ के हैड्स है वे इसमें शामिल कर लिये हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जैसा कि फुलेरा से आने वाले...

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : समझ में नहीं आया। I could not follow. The Government will be purchasing but what and how ?

श्री अध्यक्ष : He will do so when his turn comes.

श्री अर्जुनदास : Why cannot he speak then in advance ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आप अभी बता दें तो लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री अर्जुनदास : He may speak not much but...

श्री अध्यक्ष : जी हां। He would like to be enlightened with the views of the members.

डॉ० चन्द्रकला : इस शीर्षक के अन्तर्गत अन्न क्रय के लिए १० लाख रुपया रखा गया है यानी राज्य के भीतर अनाज का क्रय, राज्य के बाहर अनाज का क्रय, बोरियों का क्रय, तीनों के लिए १० लाख की राशि निर्धारित की है। यह क्रय के सम्बन्ध में है। जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, मैं यह मानती हूं कि अपने प्रान्त की सीमित क्षमता है, अपना प्रान्त खाद्यान्न के उत्पादन में सीमित है, जो हमारी आबादी है, जो हमारे यहां जमीन हैं, उसको देखते हुए जो उत्पादन होता है वह यहां के

(डॉ० चन्द्रकला)

लोगों के लिए काफी है लेकिन कई एक बात हो गई, जिनके बारे में राज्यपाल महोदय ने भी बताया कि रबी की फसल में थोड़ा नुकसान हो गया, खरीफ की फसल देर से बोई गई। इसके अलावा सबसे बड़ा घाटा इस कारण हुआ कि खाद्य के क्षेत्र में, ज़ोन में, अन्न भेजने की वजह से हुआ। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि बम्बई के बन्दरगाह से आया हुआ अनाज यहां डिस्ट्रिब्यूट होता है और जयपुर से गेहूँ वहां चला जाता है। यह भारत सरकार का निर्णय था, इसे हमारी सरकार को मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ा। प्रारम्भ से यह मांग रही कि हम इस ज़ोन में से अलग हो जाय। अपने यहां के व्यापारियों ने भी चिल्लाना शुरू किया था कि जिस तेजी के साथ अन्न बाहर जा रहा है, इस तरह से पता नहीं कि हमारी समस्या और गम्भीर हो जाय और वह हुई, एक गम्भीर समस्या हुई तब जाकर हमारी सरकार को चेतना हुई और कुछ प्रयत्न करने शुरू किये। अगर पहले से इस प्रकार के प्रयत्न कर लेती तो यह नौबत नहीं आती। मैं मानती हूँ कि हमारे यहां जो व्यवस्था है कि किसान अपने परिश्रम से अन्न का उत्पादन करता है, फिर व्यापारी को अपना अन्न सौंपता है और व्यापारी उस अन्न का एक तरह से विभाजन करता है और उपभोक्ताओं तक पहुँचता है। इस तरह खेती में पैदा होकर अन्न व्यापारी के माध्यम से सबके पास तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार व्यवस्था सरकार बनाती और किसान और व्यापारी के बीच एक सुन्दर कड़ी बन सकती ताकि किसान, जो पैदावार करता है अच्छा फ़ायदा उठा पाता और व्यापारी अनुचित लाभ न उठा कर अपने कर्तव्य का पालन करता और सब लोगों को अच्छी तरह अन्न दिया जा सकता तो यह समस्या पैदा नहीं होती। मैं समझती हूँ उत्पादन के सम्बन्ध यह समस्या नहीं है, यह समस्या जरूर है, जैसा कि पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि कॉमर्शियल क्रोप्स की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और अन्न की फसल की ओर कम ध्यान है। इस ओर हमारा ध्यान है या नहीं, यह सरकार जाने। आज किसानों का ध्यान पैसे की ओर ज्यादा है, वह अपने हित का अधिक विचार करता है तथा अपने खाने के लिए कुछ पैदावार कर लेता है। उसके सामने आज प्रान्त और राष्ट्र का लक्ष्य नहीं होता है। इस ओर ध्यान दिया जाय। जहां तक खाद्यान्न के उत्पादन का सवाल है, वहां तक तो ठीक है लेकिन इसके सम्बन्ध में यह सोचना आवश्यक है कि यह समस्या क्यों पैदा हुई, या तो अन्न बाहर निकल गया या व्यापारियों ने सरकार को अच्छी तरह सहयोग न देकर अन्न दबा लिया, इस वजह से हमारे सामने दिक्कत आ गई। सरकार इस तरह की योजना बनायें तो अच्छा है। मुझे इस बजट को देखने से मालूम नहीं पड़ा, मुझे ही नहीं, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि सभी माननीय सदस्यों की इच्छा भी है कि सरकार इस समस्या को किस तरह से हल करने वाली है। तो जहां तक अन्न प्रदाय योजना का सवाल है, सरकार थोड़ा स्पष्टीकरण करेगी, तो अच्छा है। मेरा ख्याल यह है कि समस्या को देख कर, जो सवाल हो, उसके अनुकूल हल निकालना पड़ेगा। इधर उधर की बातों में उलझ कर चलेगी तो हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए इस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपनी

Page No 54

(डॉ० चन्द्रकला)

नीति को स्पष्ट कर लें, योजना को स्पष्ट कर लें, उसके बाद कार्यवाही करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगी कि आज सरकार समझती है कि जो समस्या हमारे सामने पैदा हुई, उसके लिए जिम्मेदार व्यापारी वर्ग है, वे सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सके, इसलिए थोक व्यापार सरकार हाथ में लेकर उनको चुनौती दे दे, यह बात ठीक नहीं होगी और व्यापारियों के सहयोग को लेकर चलना होगा। उनके असहयोग से सरकारी व्यापार नहीं चलने वाला है। इसलिए हमको कृषक का, व्यापारी वर्ग का, जनता का सहयोग लेकर काम करना पड़ेगा। आशा है सरकार इस तरह की योजना बनायेगी, जिसमें सबका सहयोग लेकर रोटी के सवाल को अच्छी तरह हल कर सकेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय अध्यक्ष, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): एक एक करके पेश करना है।

श्री अध्यक्ष: दोनों ही एक साथ पेश कर दें।

डॉ बहादुरसिंह: मैं दोनों ही साथ पेश करता हूं। मेरा पहला कट मोशन अन्न प्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु रखा गया है। माननीय अध्यक्ष, यह तो सभी को विदित है कि हमारे व्यापारी वर्ग ने किस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ किया और किस तरह देश के अन्दर खाद्य कि समस्या को बनाया। यह सत्य है कि राजस्थान के अन्दर और देश में गल्ले की किसी प्रकार की कमी नहीं थी पर इन व्यापारियों की मुनाफ़ा कमाने की मनोवृत्ति थी, उसी के आधार पर इन लोगों ने स्टाक किया और गल्ले को राजस्थान के बाहर बोम्बे में और बोम्बे से वापिस राजस्थान में ले जाने लाने का एक अजीब घन चक्कर बन दिया कि अन्न पर बराबर कीमतें बढ़ती गई। हमारा अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल था। उनकी नीति थी कि किसी भी तरह राजस्थान राज्य की खाद्य-नीति असफल हो। मन्त्री महोदय खुद जानते हैं धौलपुर से लाखों मन चावल बाहर भेजा गया और सरकार की खाद्य नीति को असफल किया व्यापारियों के सहयोग से। मैं तो तभी से मानने लगा हूं कि खाद्य नीति और खाद्यान्नों का व्यापार राजस्थान सरकार के पास रहना चाहिये। जिस प्रकार गन्ना पैदा होता है और सरकार के भण्डारों में जाता है उसी प्रकार अन्न भी सरकार के भण्डारों में जायगा।

मेरा कटौती का प्रस्ताव इस लिये था कि राजस्थान सरकार ने इस विषय पर कम जोर दिया। मैं तो चाहता था कि इसी वर्ष से इस नीति को कार्य रूप में परिणत करना चाहिये था।

कुछ लोग कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना फेल हो गई, मैं इस बात को नहीं मानता, उन्होंने भाखरा बान्ध को नहीं, भाखरा बान्ध पंचवर्षीय योजना की सफलता का ज्वलन्त प्रमाण है और उन लोगों को चैलेंज़ है कि वे कैसे कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना फेल हो गई।

लोगों की धारणा है कि साम्यवादी देशों में जो चीजें होती हैं वे हमारे देश

(डॉ० बहादुरसिंह)

भारत में भी लागू की जाय। अगर कोई अच्छी बात किसी साम्यवादी देश में हैं तो, जैसे विज्ञान है, विज्ञान में उन लोगों ने काफ़ी तरक्की की है, इसको यदि हम नहीं अपनायें तो कोई समझदार व्यक्ति इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होगा और न इस चीज़ को अच्छी बतायेगा। इस चीज़ को हमें जरूर अपनाना चाहिये। वहां पर सहकारी कृषि ने बड़ी तरक्की की है, इस चीज़ को हमने अपनाया है, चूंकि हमारे यहां प्रजातन्त्र है इस लिये हमने इसको कम्पल्सरी नहीं बनाया है, हमने इसको माना है कि यह कम्पल्सरी नहीं होगा। राजस्थान नहर से काफ़ी भूमि प्राप्त होगी उस भूमि का वितरण सहकारिता के आधार पर किया जायगा और सहकारिता के आधार पर उसमें खेती कराई जायगी। आज इस चीज के खिलाफ प्रचार किया जाता है कि पहले तो सरकार ने जागीरें लीं, अब किसानों से सीलिंग का कानून ला कर जमीनें ले ली जायेंगी, जागीरदारी प्रथा के मिटाने के पहले भी इसी तरह की बातें की जाती थीं कि अगर जागीरें ली गई तो बहुत उपद्रव होंगे, तो इसी तरह की बातें सीलिंग के बारे में की जाती हैं।

खाद्यान्नों का मामला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह तो अच्छा हुआ कि देश में शान्ति थी, यदि किसी दुश्मन ने हमारे देश पर हमला किया होता और उस समय यह स्थिति क्रियेट की जाती तो देश का क्या हाल होता यह अच्छा हुआ कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं था उस समय व्यापारियों ने खाद्य स्थिति को बिगाड़ा ताकि हम सावधान हो गये कि भविष्य में यदि कभी हमारे देश पर किसी तरह का संकट आवे और ये लोग गड़बड़ी करें इससे पहले ही हमारे लिये यह आवश्यक हो गया है कि गल्ले का ट्रेडिंग राजस्थान सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है मलेरिया के बारे में। माननीय अध्यक्ष यहां मलेरिया निरोध का अलग विभाग चलता है और इस विभाग में काफी अच्छी फौज भी है। डी. डी. टी. छिड़कना, कुनैन वितरण करना यह काम करते हैं। ये लोग देहातों में जाते हैं और जहां पर गड्ढे हों उनका भरवाते हैं और छप्परों में एंटी मलेरिया की औषधियों को छिड़कते हैं, फिर भी हमें देखने को मिलता है कि मलेरिया निरोध का काम असफल हो रहा है। हमें यह देखना है कि मलेरिया निरोध का काम असफल क्यों हो रहा है? मैं तो इसे बिलकुल असफल मानता हूं। हो सकता है कि सरकार हमें इस प्रकार के स्टेटिस्टिक्स दे दें कि पहले इतने बीमार मलेरिया के होते थे और इस साल इतने कम मलेरिया के बीमार हुए। पर इस बात का प्रमाण नहीं है कि कितना कुनैन बांटा गया, कितना इम्पोर्ट किया गया। आज कहीं उनके बुखार की मात्रा बढ़ती है तो ये मलेरिया वाले जाते हैं, और उन लोगों के छप्परों में डी. डी. टी. छिड़कते हैं, इसको मैं तो सक्सेस्फुल नहीं मानता, मैं तो यह मानता हूं कि मलेरिया निरोध का काम असफल हो रहा है। मुझे इस पर एक कहावत याद आ गई है, एक कहावत बताई जाती है कि एक शहर में मलेरिया फैला तो राज्य की तरफ से मालूम किया गया कि मलेरिया फैलने का क्या कारण है तो अधिकारियों ने

Page No 56

(डॉ० बहादुरसिंह)

रिपोर्ट दी कि शहर में खड्डे बहुत हैं इनमें वर्षा का पानी भर जाने से मच्छर पैदा हो गये और मलेरिया फैल गया। राज्य सरकार की ओर से हुक्म निकाला गया कि तमाम गड्डे भरवा दिये जायं और १॥ लाख रुपया लगा कर तमाम गड्डे भरवा दिये गये। दूसरे साल फिर पानी पड़ा और फिर मलेरिया फैल गया तो अधिकारियों का जवाब तलब हुआ कि क्या कारण है कि तमाम गड्डे भरवा दिये जाने के बाद भी इस साल मलेरिया फैल गया ? अधिकारियों ने जवाब दिया कि तमाम गड्डे भरवा दिये गये जिससे शहर का वर्षा का पानी बाहर नहीं निकला इसलिये मलेरिया फैल गया।

इसी तरह मच्छर मार दिये गये, फिर भी मलेरिया क्यों फैल गया। गांवों में छप्परों में आपने डी. डी. टी. छिड़कवा दिया, पर आपने यह नहीं देखा कि बरसात होगी उससे छप्परों में फिर सड़ंद पैदा होगी और फिर मच्छर पैदा होंगे। इसको रोकने के लिये आपने क्या किया ? तो बजाय इसके कि एक अच्छी खासी फौज रख कर पैसा इस तरह खर्च करें, इससे तो अच्छा यह है कि अपने रहन सहन के तरीके को बदलें, १० हजार रुपये आप इस तरह खर्च करते हैं उसकी बजाय तो इस चीज़ पर खर्च करें कि लोग बाग इस तरह से रहें, एक एन्टी मलेरिया का रहने का स्टेन्डर्ड है, तरीका है, व्यवहार है उस पर गौर करके जोर देना चाहिये।

आज एन्टी मलेरिया कम्पेन है, उसको हम बिलकुल पाश्चात्य ढंग से सोचते है और इस तरह सोचने का एक कारण है, वह यह है कि हमारा मेडिकल साइन्स कोरे पाश्चात्य ढंग से सोचने की है। इसको यदि भारतीय ढंग से सोचें तो खर्चा कम हो जायगा। कुनैन बांटते हैं उसके बजाय अगर आयुर्वेदिक की औषधियां वितरित करें, आयुर्वेदिक की गोलियां वितरित करें तो आज जो आपका खर्चा है उससे चौथाई भी खर्चा नहीं हो।

इसके अलावा स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठ्य पुस्तक है उसमें इस तरह के पाठ रखिये कि मकान के पास में गड्डे नहीं रहने देने चाहिये, अगर गड्डे हों तो उनको भरवा दिया जाय, ताकि वर्षा का पानी उनमें न भर सके।

तो मैं जानता हूं, मंत्री महोदय इसके लिए काफी रुचि रखते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एन्टी मलेरिया कम्पेन जरूर रखिये, लेकिन जो बोर्ड कन्ट्रोल करता है उसमें कम से कम आयुर्वेद के लोगों को, खास तौर पर डाइरेक्टर आयुर्वेद, एक दो और व्यक्तियों को कोऑप्ट कर लीजिये और एक पोर्शन प्रदेश का निश्चित कर दीजिये जहां वे अपने तरीके से ही लोगों को समजाइश करें तो मैं समझता हूँ कि यह काफी सस्ता पड़ेगा और काफी सुविधा जनक भी होगा। बजाय इसके कि डी. डी. टी. छिड़क दें, क्योंकि ऐलोपेथी वाले भी मानते हैं कि एक दफा डी. डी. टी. छिड़क देने के बाद उससे स्ट्रांग डी. डी. टी. की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद और भी स्ट्रांग डी. डी. टी.। इसलिए मलेरिया निरोध के लिए आयुर्वेद की पद्धति से काम लें तो काफी सस्ता पड़ेगा और सुविधाजनक भी होगा।

ग्रेन के स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है उसके सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस ओर मंत्री महोदय को चाहिये कि वे बहुत ही

(डॉ० बहादुरसिंह)

गम्भीरता पूर्वक सोचें क्यों कि यह बोर्डर की स्टेट है, मुनाफ़ाखोर जो अब है वह आपको कभी भी भूखों मार सकता है और कोशिश करेगा इसके लिए क्योंकि मुनाफ़ाखोरी आवश्यक है उनके लिए, इसलिए भी अनाज का आप कम से कम दो साल का तो स्टाक रखिये ही। इसके बाद वितरण की व्यवस्था भी ठीक रखिये और इस सम्बन्ध में जितने अधिकारी हों वे तपे तपाये ईमानदार व्यक्ति होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आजाद हुए लगभग १२ वर्ष हो गये हैं और अंग्रेजों की विरासत में जो हमें खाद्य की समस्या मिली है वह ज्यों की त्यों हैं वह और भी विषम बन गई हैं। सन् ५५ में ऐसा वर्ष आया था कि खाद्य की समस्या में कुछ सुधार हुआ लेकिन फिर भी यह समस्या गंभीर होती गई। अनाज के भाव निरन्तर बढ़ रहे हैं और इसीलिए राज्य सरकार को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है कि स्टेट ट्रेडिंग किया जाय। अब कई माननीय सदस्यों ने खास तौर पर जनसंघ के सदस्यों ने स्टेट ट्रेडिंग का विरोध किया और यह बताया है कि यह तानाशाही मनोवृत्ति पैदा करेगा। एक तो हमने पूर्ण कन्ट्रोल का युग भी देखा है और दूसरा लोअर लेजिस्लेचर का युग भी देखा है जिसमें व्यापारियों को स्वतन्त्रता भी है। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में सोचा जाने लगा है जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का चतुर्थ वर्ष प्रारम्भ हो गया है, ये योजनायें तब तक सफल नहीं हो सकतीं, जब तक कि खाद्य में सुधार न हो क्यों कि खाद्य के भाव यदि बढ़ते हैं तो दूसरे कन्ज्यूमर गुड्स हैं उनके भावों में भी वृद्धि हो जाती है। ये सब खाद्य की समस्या के साथ सम्बन्ध रखते हैं, आज हम देख रहे हैंकि जब खाद्य के भाव बढ़ गये तो दूसरे कन्ज्यूमर गुड्स है उन के भी भाव बढ़ाये गये और बढ़ रहे है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे देश व्यापी समस्या है और देश की समस्या की दृष्टि से ही इसको सुलझाना पड़ेगा। जब भारत सरकार ने अशोक मेहता कमेटी बिठाई और उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आयी और उसमें यह देखा गया कि उनकी यह निश्चित राय है कि न तो पूर्ण तौर पर स्वतन्त्रता दे सकते हैं इसके लिए और न पूर्ण कन्ट्रोल हो वान्छनीय है। क्योंकि यह घातक हो सकता है और इसीलिए यह राय दी कि पार्शियल कन्ट्रोल होना चाहिये और वह किस तरीके से हो सकता है इसके लिए भारत सरकार और नेशनल डवेलपमेंट कौंसिल ने यह तरीका निकाला कि फूड ग्रेन्स का होल सेल का व्यापार अपने हाथ में लिया जाय। इसका नक्शा क्या होगा अभी यह हमारे सामने नहीं है। इस चीज को लेकर मैंने कट मोशन रखा है कि इसके लिए जो दस लाख की धन राशि रखी गई है वह बहुत ही कम है। यदि होल एण्ड सेल का व्यापार करना है तो कम से कम प्रारम्भ में एक करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और उसके लिए दस लाख कोई चीज़ नहीं है। सरकार कह सकती है कि योजना हमारे सामने नहीं है। लेकिन होल सेल ट्रेडिंग फूड ग्रेन्स का सरकार क्यों अपने हाथ में लेना चाहती है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का मकसद यह है कि डिस्ट्रिब्युशन फेयर हो, जो प्रोड्युसर्स हैं उनको नुकसान न

(श्री सोहनलाल भटनागर

हो और जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको भी नुक्सान न हो। यदि यह नीति नहीं अपनाई जावेगी तो खलिहान से अनाज के निकलते ही मुनाफा खोरों की खरीद के कारण प्रोड्युसर्स को काफी नुकसान उटाना पड़ता है, व्यापारी इकट्ठा कर लेते है और तीन चार महीने के बाद जब भाव बढ़ने लगते हैं तो वे उनको बेचते हैं या फिर रोक देते हैं जिससे कि कन्ज्यूमर्स को अधिक हानि होती है। इस दृष्टि से न तो किसानों को इसका कोई लाभ मिलता है, और न हीं कन्ज्यूमर्स को, दोनों ही हानि में रहते हैं और मिलना भी कठिन हो जाता है इसलिए इसका वाया मीडिया यही हो सकता है कि स्टेट ट्रेडिंग किया जावे। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि राज्य सरकार ने यह नीति अपना ली है, वित्त मन्त्री महोदय ने भी अपने भाषण में प्रकाश डाला, मैं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए जो दस लाख की धनराशि रखी है वह बहुत थोड़ी है। रबी की फसल आने वाली है और भाव गिरने लगे हैं, यह एक अच्छा कदम होगा सरकार के लिए भी कि अनाज का व्यापार करे और यदि अपनी नीति को सरकार कार्यान्वित नहीं करेगी तो जिस मकसद से यह कदम उठाया जा रहा है उसमें सफलता मिलने वाली नहीं है, रबी की फ़सल आने से भाव तो गिर जावेंगे और फिर बढ़ जावेंगे। तो इस तरह से किसानों को और कन्ज्यूमर्स को दोनों को ही नुक्सान होने वाला है। इस दृष्टि से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस नीति को शीघ्र से शीघ्र अच्छी तरह से कार्यान्वित करें।

दूसरा मेरा कट मोशन है वह इस सम्बन्ध में है कि तमाम म्युनिसिपल एरियाज़ में फेयर प्राइस शोप्स नहीं खोली गई हैं और केवल बड़े २ शहरों में ही खोली गई हैं। अध्यक्ष महोदय मैंने कई बार राज्य सरकार से निवेदन किया और खाद्य मन्त्री जी से मिला भी। उनका कहना यह है कि दूसरी जगह के लिए स्टाक नहीं है। नाज का भाव गिर रहा है तो मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मैं यह निवेदन करता हूं कि म्युनिसिपल एरिया पांच हजार की आबादी वाले गांवों में भी है। जब दस हजार की आबादी वाले एरियाज़ में खोल चुके हैं तो दस हज़ार और पाँच हजार की आबादी वाले जो बीच के गांव हैं वहां क्यों नहीं फेयर-प्राइस शोप्स खोलते हैं, वहां के लोगों को क्यों २५) ३०) मन का गेहूँ खाना पड़े, जब कि यहां के लोगों को १४॥) मन का गेहूं देते हैं। मैं आपको बताऊं कि दस हजार और पांच हजार के बीच के जो कस्बे हैं उनमें ६५ प्रतिशत ऐसे लोग रहते हैं जिनका कृषि से ताल्लुक नहीं रहता है, या तो वे मध्यम वर्ग व्यापारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं। इस दृष्टि से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि छोटे २ कस्बों के व्यापारी और कर्मचारियों की आमदनी बहुत कम है तो सरकार को यह देखना चाहिए कि ऐसे कस्बों में फेयर-प्राइस शोप्स खोलें जिनसे कि उनको अनाज कम भाव में तो प्राप्त हो सके।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ४० के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कई ने इसके विरोध में अपने

(श्री भीमसेन)

मंतव्य व्यक्त किये हैं और आशंका प्रकट की है कि अगर स्टेट अपने हाथ में अन्न का व्यापार लेगी तो इससे असफलता ही हाथ आवेगी।

कईयों ने यह भी कहा कि पहले भी सरकार ने जो अन्न का व्यापार किया था उसमें एक करोड़ के करीब की हानि हुई थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये माननीय सदस्यों का ध्यान गंगानगर शुगर फैक्टरी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह गवर्नमेन्ट अन्डरटेकिंग है इस समय। पहले यह नुकसान में चल रही थी। पर जब से सरकार के हाथ में आई तब से ६ लाख वार्षिक का मुनाफा दे रही है। यह तो अन्न में, व्यापार में, सरकार को हानि होगी, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, हाल ही में सारे देश में जो अन्न का भाव बढ़े और जिस तरह से बढ़े उसको देखते हुए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे लाभ होगा। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। किसान और उपभोक्ता दोनों इससे लाभान्वित होंगे। पर हाथ में लेने से पहले सरकार को साधनों की पूरी तैयारी करनी होगी। उसको यह भी सोचना होगा कि इससे जो असर इस के ट्रेड करने वाले आदमियों को होगा वह भी सोचना होगा और साथ ही यह भी सरकार को सोचना होगा कि इतने लम्बे चौड़े व्यापार के लिये उनके पास ट्रेन्ड पर्सन्स हैं या नहीं। अगर ट्रेन्ड पर्सन्स नहीं होंगे तो पहले की तरह हानि उठाने की सम्भावना है। यह मैं मानता हूँ। गंगानगर शुगर फैक्टरी इसलिये ठीक चल रही है क्योंकि वहां ट्रेन्ड पर्सन्स इस व्यापार के जानने वाले व्यक्ति सरकार के पास हैं। इसी तरह से अगर ट्रेन्ड पर्सन्स इस व्यापार में सरकार के पास होंगे तो सफलता प्राप्त कर सकेगी। इतना निवेदन करना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में कट मोशन मूव किया, पर मैं खास तौर से अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति हो, इस पर अपने विचार कहना चाहता हूं।

सही माने में देखा जावे तो जनतन्त्र में सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि वह जनता को सहूलियत से उचित भाव पर खाने के लिये अनाज दे, पहनने को कपड़ा दे, और अन्य आवश्यक वस्तुएं दे ताकि जनता अपना जीवन स्तर अच्छा बना सके। अब कोई माने या न माने पर यह निश्चित है कि जनतन्त्र में जनता को ठीक भाव में अनाज आदि उपभोग्य वस्तुएं मिल सके इसका उत्तरदायित्व राज्य पर है। अब जो राज्य यह उत्तरदायित्व न निभा सके, वह राज्य कितनी भी, कुछ भी योजनाएं बनाएं, अच्छा राज्य नहीं कहा जावेगा।

आज जो स्थित है यह है कि अनाज का देश में खुला व्यापार है, हर व्यक्ति की मनोवृत्ति कमाने की होती है मार्केट देखकर वह चलता है क्योंकि वह अधिक कमाना चाहता है, अपनी पूंजीं अगर वह नहीं बढ़ाता है तो उसका टिकाव मुश्किल से होता है। यह आज पूंजीवादी मनोवृत्ति है, जिसकी शिकार आज जनता हो रही है। आज उसको जनता की मंहगाई की चिन्ता नहीं,

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसको चिन्ता है तो यही कि किसी तरह उसकी पूंजी बढ़े। तो ऐसी स्थिति में जनता को राहत देना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। उसको इस योजना के बारे में कुछ करना होगा। सरकार कुछ न करे यह ठीक नहीं। यह हो सकता है सरकार प्रबन्ध किस तरह से करे। सरकार किस तरह इस समस्या को हल करे, इसके लिये अलग अलग सोचने के तरीके हो सकते हैं, यह बात अलग है। मैं समझता हूं कि आज तक देश में जो स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली रही है इससे हमारे राज्यों ने भी काफी नुकसान उठाया है और जनता ने भी। इसको आज सभी महसूस करते हैं। अभी तक राजस्थान सरकार एक ज़ोन में थी बम्बई मध्य प्रदेश और पंजाब मिलाकर। पर अब वह एक ही ज़ोन रह गया है राजस्थान का। जब यह बात है तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि राज्य की क्या हालत है? कितनी पैदावार वहां होती है और कितनी खपत है। इस पर सोचना चाहिये।

मैंने कल परसों इस सम्बन्ध में यहां प्रश्न पूछा था, पर चूंकि समय हो चुका था, इसलिये यहां सप्लीमेन्टरी प्रश्न नहीं पूछे जा सके, पर उनका जवाब एडवान्स में मुझे मिल गया था। मैंने पूछा था कि यहां कुल कितना बाजरा और गेहूं खपता है और कुल कितना उत्पन्न होता है, कितना गेहूं और दूसरा अनाज बाहर गया और बाहर से कितना यहां आया। इसके फिगर्स को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये फिगर्स सिर्फ रेलवे से जो अनाज बाहर गया उसके हैं, ट्रक आदि का ज़िक्र नहीं है। पर जितना गया उसको देखें तो आसानी से कहा जा सकता है कि ७५ प्रतिशत से ज्यादा अनाज यहां से बाहर चला गया। और १५,५६,००० मन तो अकेले गंगानगर से गया।

२ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब असल में तो कितना गया, क्या गया यह अलग बात है, वह फिगर मैं नहीं कहना चाहता, पर सरकार के ही फिगर्स को सही मान कर चलें तो इससे स्पष्ट है कि यहां की जनता को गत वर्ष और इसके पहले भी समय समय पर जो जो अन्नाभाव के कारण और इसके भावों के चढ़ने के कारण जो जो कठिनाइयां उठानी पड़ी उसका सबसे बड़ा कारण यह ज़ोनल व्यवस्था थी। मैं अभी बम्बई और नागपुर गया था। वहां बड़ी बड़ी फर्मों वालों से बात की। तो मालूम हुआ कि नागपुर में इस समय ६० प्रतिशत गेहूँ गंगानगर से आ रहा है। तो इस वस्तु स्थिति को देखना है। पर खुशी यह है कि अब वह ज़ोनल व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अब यह भी मैंने पूछा तो कि कितना कौन कौन सा अनाज कितनी मात्रा में यहां होता है और उसकी कितनी कितनी डिमान्ड है। पर बाजरे का कुछ बताया बाकी का सर्वे इतना कराया नहीं, पर अन्दाज से बताया कि औसतन ६० लाख टन बाजरा बताया और इस प्रकार से गेहूं और दूसरे अनाज के बारे में बताया। सरकार के फिगर्स के आधार पर अन्दाज़ लगाएं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे यहां पर कोई करीब १६ करोड़ मन अनाज पैदा होता है और डेढ़ करोड़ की यहां की आबादी है। इसमें सभी छोटे बड़े खाने वालों का अन्दाज़ लगावें तो उनको खिलाने के बाद भी बहुत काफी अनाज हमारा बच

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहता है। ऐसी हालत में जितना हमें चाहिये उससे भी ज्यादा अनाज हमारे यहां पर पैदा होता है तो बचे हुए का क्या किया जाय यह समस्या हमारे सामने आवेगी। इससे एक बात तो यह होगी कि भाव बढ़ नहीं सकेंगे। पर साथ ही हमें एक और दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि जब हमारे यहां इतना पैदा होता है और देश के दूसरे हिस्सों में कमी रहती हैं और लोग भूखों मरने लगते हों और अनाज के भाव वहां बहुत बढ़ जाते हों तो यह हमारी सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि बाकी के अनाज को वह स्वयं बाहर भेजने की व्यवस्था करे। तो ऐसी हालत में इन सब बातों को मद्दे नजर रख कर सरकार को एक व्यवस्था सोचनी होगी। यहां की आवश्यकता की पूर्ति करनी है, यहां के भाव नहीं बढ़ने देना है और बाकी बचे हुए को बाहर भेजना है इसके लिये सरकार को व्यापार अपने हाथ में लेना जरूरी है। और इस दृष्टि से सरकार इस सारे मामले की सर्वे करावे। सरकार के पास सारे आंकड़े रहने चाहिये और सही और पूरे पूरे आंकड़े रहने चाहिये, व्यापार की दृष्टि से यह बहुत जरूरी काम है। अब यह तो हुई स्थिति हमारे यहां की और हमें उसको देखते हुए क्या करना चाहिये इसकी। अभी सुखाड़ियाजी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग इस बारे में बुलाई थी, उस समय भी हमने कहा था कि जबतक यह ज़ोनल व्यवस्था दूर नहीं होगी, तब तब राजस्थान की अनाज की समस्या हल नहीं कर सकते।

पर अब वह ज़ोनल व्यवस्था समाप्त हो गई। यह प्रसन्नता की बात है। अब मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार को अनाज का व्यापार करते समय जो वस्तुस्थिति मैंने बताई है उसको खयाल में रखना चाहिये अब इस बारे में किस तरह की व्यवस्था हो इसके बारे में मध्यप्रदेश के बारे में मैंने कुछ पढ़ा। वहां उन्होंने क्या किया है कि अनाज के भाव १३) मन बांध दिये। पर अन्तिम रूप से निश्चय करने में वे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट का इन्तज़ार कर रहे हैं। यहां भी सरकार ने स्पष्ट अपनी नीति इसलिये नहीं की है कि वे भी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

परन्तु फिर भी मैं इतना ज़रूर महसूस करता हूं कि १९५४ के पहले जो हमारे यहां व्यवस्था थी, काफी सीमा तक ठीक थी, दुकानदारों को लाइसेन्स देकर सरकार कन्ट्रोल करती थी और भाव बांध रक्खे थे। तो उस हिसाब से अनाज बराबर मिलता रहा और हर आदमी को, जिस की आमदनी बन्धी हुई थी यह विश्वास था कि एक रुपये का इतना बाजरा और इतना गेहूँ तो मिल जावेगा और इस आधार पर शान्ति से वे अपनी जिन्दगी चलाते थे। पर ५४ के बाद ज्यों ही यह व्यवस्था हटी, भावों में काफी घटबढ़ आई। गेहूँ कभी २०।२२ (और २५) मन तक बढ़ गया। तो इस समय अनुभव के आधार पर तो मैं इतना कह सकता हूं कि कि अनाज की व्यवस्था इसी तरह सरकार अपने हाथ में ले ले तो हर साधारण व्यक्ति को कम से कम एक निश्चित भाव के अनुसार अनाज दे सकती है यह हम कह सकते हैं। पर गत समय में ५४ के बाद जो व्यापार सरकार ने अपने हाथ में लिया वह ठीक नहीं था। उसमें सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा रहा। और अकॉउन्टस कमेटी की रिपोर्ट को देखने पर तो यह मालूम हुआ कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

अनाज के व्यापारियों के लिये सरकार को, राशिनिंग और सिविल सप्लाईज़ के बड़े अधिकारियों को चकमा देना मामूली बात थी। यहां तक मैंने देखा कि बीकानेर में सरकार जौ को बेचना चाहती थीं, दो तीन व्यापारियों ने दरख्वास्त दी कि सात रुपया एक आने में खरीदने के लिये। इसके अगेन्स्ट में कुछ उन्होंने अमानत भी जमा कराई और एक महीने का समय भी मिला। इसके आधे घण्टे के बाद जयपुर के दो व्यापारी आये कि हम ७।) रुपया देते हैं, हमें दिया जावे यह। पर उन्हें कहा गया कि ७ रुपया एक आने में एग्रीमेन्ट हो गया है इसलिये आप को नहीं दे सकते। उसी में यह रहेगा। परन्तु इसके बाद क्या होता है ? महीने दो महीने में भाव गिरता है बाजार में। वे व्यापारी कहने लगे कि सिक्योरिटी जावे तो हर्ज नहीं पर इस भाव में तो अब हम नहीं खरीद सकते इसके बाद वही जौ ५ रुपया दस आना के भाव में जाता है और इसमें भी आखिर में सरकार ने सिक्योरिटी तक उनको माफ कर दी और इसी तरह यहां तक हुआ कि ८ रुपये के भाव वाला जौ एक दूसरे मामले में ३) तक चला गया। ८) का ३ रुपये दस आने में गया। तो यह जो सरकार ने अपने समय में व्यापार किया इससे तो स्पष्ट ज़ाहिर है कि ठीक ढंग से सरकार ने कुछ किया नहीं। करोड़ों का इस सिविल सप्लाई विभाग में नुकसान भोगना पड़ा और इस तरह से तो यह स्पष्ट मानना पड़ेगा कि सारे राज्य का व्यापार अगर सरकार हाथ में ले लेगी तो संचालित नहीं कर सकेगी। आपके इस व्यापार में लाखों मन अनाज खराब हो गया, यहां तक कि बोरियां गेहूँ से भरी हुई थीं, पर लेने गये तो बूरा हुआ है। ऐसे केस भी कई जगह आये। इस आधार पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अनाज के व्यापार को जहां सरकार ने अपने हाथ में लिया उसमें गड़बड़ी होगी और उसका ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकेगी इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस ओर सोच समझ कर कदम लें।

सरकार यह समझती हो कि सारे अनाज के व्यापार को अपने हाथ में ले लेने से ही समाजवाद हो जायगा। यह ख्याल ग़लत है। अगर वह यह समझती है कि इसका राष्ट्रीयकरण न कर इसका समाजीकरण करना है तो यह समझ में भी आ सकता है। सरकार अनाज के व्यापार का यदि समाजीकरण करती है तो बड़े बड़े जो व्यापारी है या थोक व्यापारी है या अनाज के लाइसेन्स होल्डर व्यापारी है सभी का सहयोग लेकर राजस्थान व्यापारी एक निगम बनाना चाहिये। निगम बनाकर और उसके द्वारा माल खरीद कर सहकारी समितियों द्वारा उसका वितरण करवाना चाहिये। यह समाजीकरण होगा इससे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी छोटे व्यापारियों को और बड़े व्यापारियों को सब को राहत मिलेगी। इस तरह से जो व्यापारी होर्डिंग करके रखते हैं उनकी वह व्यवस्था इसी तरह से टूट सकती है। आपकी अनाज के व्यापार के संबन्ध में क्या नीति है यह अभी आपको भी स्पष्ट नहीं है। अगर सरकार अनाज व्यापार को अपने हाथ में लेती है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह लेने का तरीका इस प्रकार का होना चाहिये। नहीं तो होगा क्या कि जिस प्रकार पहले नुकसान हुआ उसी प्रकार का नुकसान और उससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो लोग पहले इसमें काम करते थे उनको निराशा होती थी उसी प्रकार की निराशा का सामना फिर करना पड़ेगा। एक ओर जब समाजवादी समाज रचना की व्यवस्था के बुनियादी सिद्धान्त को हमने मान लिया है तो वैसी हालत में हमें सभी व्यापारियों का इसमें सहयोग लेना चाहिये। यदि इसमें कुछ व्यापारी रहेंगे उसमें सरकार के शेयर होल्डर्स रहेंगे और व्यापारी रहेंगे तो जो अनाज खरीदा जायगा उसको खराब नहीं होने दिया जायगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर आपने जब किया एक जिले से दूसरे जिले में माल नहीं भेजा जा सकता उसके लिये भी सरकार द्वारा परमिट दिया जाता था। आप बीकानेर में ही क्या जयपुर के लिये आपने दो व्यापारी चुने थे उनको कहा गया कि तुमको परमिट देते हैं और उन्होंने परमिट प्रणाली द्वारा मुनाफ़ा उठाया। दस दिन पहले ही मैं और सरदारशहर से आनेवाले माननीय सदस्य अचानक बाजार में चले गये। बाजार में हमने देखा जौ जिस व्यापारी को दिया गया वह टौंक के इलाके से उसको लाया और आठ रुपया मन के भाव से लाया था और उसने यहां चौदह रुपया मन के भाव से बेचा और वह जौ भी बहुत सड़ा और निकम्मा था फिर भी जनता उसको खरीदती थी क्योंकि इन दो व्यापारियों के अलावा दूसरों को परमिट नहीं मिला हुआ था वैसी हालत में जैसा भी मिलता जनता खरीदती थी। सरकार ने इससे केवल दो व्यापारियों को मुनाफे की गुंजाइश रखी। उन दो आदमियों में एक तो सत्ताधारी ग्रुप या रहनुमा समझें, वे थे और दूसरे भी इन्हीं के ग्रुप के आदमी थे। इस तरह से जब आप ऐसे लोगों को परमिट देते हैं तो लोगों के दिल में एक प्रकार से स्वाभाविक रूप से शंका पैदा हो जाती है, उनका दृष्टिकोण बन जाता है कि अपने आदमियों को कुछ न कुछ दें। हमारे गंगानगर इलाके का उदाहरण दूं वहां चना बहुतायत में था। वहां दाल, आटा आदि के नाम से एक सोसाइटी बनी थी उसको सारा गेहूं बांट दिया। आखिर आप कोई नियम बनाते हैं तो वह सब के लिये समान रूप से लागू होना चाहिये। वहां एक सोसाइटी ऐसी भी बनी जिसके अपने फार्म आदि कुछ नहीं छपाये, वाउचर्स वगैरह भी वह सादे कागज पर काटती थी सरकार की उस पर महरबानी रही तो उसको सब तरह का नफ़ा मिल गया। जब इस तरह एक आदमी को नफ़ा मिल जाता है और दूसरे लोग हैरान होते हैं तो यह स्वाभाविकसा बन जाता है कि दूसरे लोग आपसे नाराज होंगे। ऐसी हालत में दूसरों का कहने का हक है और यदि उसमें लोग यह भी कहें कि इसमें भ्रष्टाचार है, सरकार ने कुछ लेकर यह किया है यह भ्रम हो सकता है किन्तु इस भ्रम को मानने का एक बायस रहता है। एक बार नहीं दस बार लोग कहेंगे जब कि आप सैकड़ों आदमियों से व्यापार छीनकर उस पर नियन्त्रण करके एक आदमी को नफा पहुँचाना चाहते हैं तो सारे लोग यही समझेंगे इसमें कुछ न कुछ लिया दिया गया है। इस तरह मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अनाज के व्यापार के संबन्ध में सरकार का दृष्टिकोण साफ़ होना चाहिये। मेरा दृष्टिकोण साफ है राष्ट्रीयकरण न होकर समाजीकरण होना चाहिये और उसमें हर व्यापारी का सहयोग लेते हुए उसके साथ साथ नियन्त्रित भाव से माल लेकर बेचने का मार्जिन कुछ निश्चित करके कोआॅपरेटिव

(श्री मुरलीधर व्यास)

बेसिस पर माल वितरण किया जाना चाहिये। अगर अपने पास आवश्यकता से अधिक माल है तो राजस्थान के किसी व्यापारी के ज़रिये नहीं बल्कि दूसरी स्टेट के मांग करने पर कि हमें इस माल की आवश्यकता है तो स्टेट उसको वह माल दे। यदि इस तरह से सरकार ने किया तो इससे राजस्थान की जनता को भी लाभ होगा और स्टेट को भी लाभ होगा।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में खाद्यान्न का संकट है। जब कि देश में खाद्य की संकटापन्न स्थिति है तो उस हालत में उसका प्रभाव हमारे राज्य पर भी पड़ना स्वाभाविक है। हमारे राजस्थान प्रान्त में अन्न के अभाव के कारण काफी हलचल मची हुई है और अन्न की कीमतें भी बढ़ रही हैं और खाने के लिये अच्छा गल्ला उपलब्ध नहीं होता। ऐसी हालत में सरकार का इस ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है और सरकार का कर्त्तव्य है कि इस स्थिति का डटकर मुकाबला करे और उसका उपयुक्त हल सोचे। और शायद इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर सरकार ने व्यापार को अपने हाथ में लेना निश्चय किया है। जहां तक हम इस कारण पर विचार करते हैं तो मालूम होता है कि किसान और व्यापारी लोग गल्ले की भारी तादाद अपने भंडार में रखते हैं ताकि लोग भूखे मरें। जहां तक किसान का प्रश्न है वह बीज के लिये गल्ला रखता है इसके अलावा खाने के लिये और इसके अलावा भी कुछ सुरक्षित रूप में गल्ला वह रखता है क्योंकि कुछ ऐसा समय भी आ सकता है जिसमें देवी प्रकोप हो जाय या सूखा पड़ जाता है तो वैसी हालत में कुछ गल्ला बेचता है।

लेकिन जहां तक व्यापारी लोगों का प्रश्न है व्यापारी लोगों की मनोवृत्ति होती है कि वह गल्ला छिपाकर रखें और वह यह चाहता है कि कम कीमत में गल्ला खरीदा जाय और उसकी अधिक से अधिक कीमत उसकी कमाई जाय, यह दृष्टिकोण व्यापारी का रहता है। इसलिये हमें इस प्रकार की जो दूषित मनोवृत्ति व्यापारी की बन जाती है उस पर रोक लगानी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे जितना अनाज हम पैदा करें, कितना ही उत्पादन में वृद्धि करें हमारी अन्न की समस्या हल हो नहीं सकती। आज केवल यह कह देने से कि व्यापारी लोग अनाज को जमा करते हैं इसी के कारण खाद्य संकट है यह उचित नहीं है। प्रश्न यह नहीं है। हमारे सामने खाद्य संकट की स्थिति इसलिये आई कि कुछ तो देश के विभाजन के बाद हमारा जो उपजाऊ इलाका था वह काफी पाकिस्तान में चला गया है। वर्मा से जो चावल मिलता था वह भी बन्द हो गया है और साथ ही सरकार को उत्पादन वृद्धि पर अधिक से अधिक शक्ति लगा लेनी चाहिये वह शक्ति सरकार नहीं लगा रही है। आज वास्तव में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है लेकिन जितना पैसा लग रहा है उसका दसमांश भी फल नहीं मिल रहा है। आज किसानों को रकम देते हैं लेकिन उनको देते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं। ज़ो किसान तकावी के नाम से रुपया लेकर व्यापार में लगा देता है या विवाह शादी में लगा देता है लेकिन साधारण कृषक को बिल के लिये या उत्तम बीज के लिये तकावी नहीं मिल पा रही है और यही कारण है कि उत्पादन वृद्धि ज्यादा

(श्री रामनारायन वर्मा)

होनी चाहिए और जो कि सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर उचित कदम नहीं उठा रही है और इससे उत्पादन वृद्धि नहीं होती है और जब उत्पादन वृद्धि नहीं होती तो जो हमारे सामने प्रश्न है वह हल भी नहीं हो सकता।

आज सरकार इस प्रकार का एलान करती है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और कीमतों को घटाना चाहते हैं। वास्तव में कीमतें घटनी चाहिए और सस्ता अन्न साधारण लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन यह तब ही सम्भव हो सकता है जब कि गल्ला अधिक उत्पन्न हो। प्रश्न यही नहीं है कि कीमतें घटनी चाहिएं लेकिन जहां हम यह सोचते हैं कि कीमतें घटनी चाहिएं वहां यह भी विचार करना चाहिए कि कीमतें कितनी घटनी चाहिएं। अगर आज कीमतें घटा देते हैं, वास्तव में यह सही है कि आज जो कीमतें चल रही हैं वह अधिक हैं और जो कम आय वाले लोग हैं वह परेशान हैं लेकिन साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि कीमतें कितनी घटनी चाहिएं। क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका प्रभाव देश के करीब २०-२५ प्रतिशत लोगों पर पड़ता है। हमें घटती हुई कीमतों पर भी रोक लगानी होगी क्योंकि उसका प्रभाव देश के ८०-८५ प्रतिशत लोगों पर पड़ेगा और वह होंगे किसान। क्योंकि अगर काश्तकारों को उनकी खेती के उचित दाम नहीं मिलेंगे तो उसकी पैदावार अधिक करने के प्रति उदासीनता होगी और जब वह सारी ही चीजें मंहगी खरीदेगा तो उसको भी उसके अनाज का उचित दाम मिलना चाहिए और जब उसको उचित दाम मिलेंगे तब ही वह दिलचस्पी से काम करेगा। तो जहां हमें बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगानी होगी वहां हमें घटती हुई कीमतों पर भी रोक लगानी होगी। इसलिए इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना होगा।

सरकार ही व्यापार का सारा काम करे ऐसी मेरी मान्यता नहीं है, पर सरकार को इसमें कुछ हद तक नियंत्रण रखना होगा। लेकिन सारा व्यापार अपने ही हाथ में ले तो मैं निश्चिततः कह सकता हूं कि हमारी सरकार फेल होगी। इसलिए जिस सीमा तक सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जब फसल पैदा हो और बाज़ार में आये तो उस समय सरकार को भी क्रय करना चाहिए और व्यापारियों को भी खुली छूट रहे खरीदने की। लेकिन साथ ही इसके कि व्यापारी वर्ग खरीदे तो वहां सरकार को भी खरीदना चाहिए। इससे किसान जब अपनी फसल को बाजार में लाते हैं तो उनको कीमतें कम मिलती हैं और कम कीमत पर व्यापारी लोग खरीद कर अन्न को अपने भण्डारों पर जमा कर लेते हैं और फिर महंगे भाव पर समय आने पर बेचते हैं। तो जिस समय बाजार में गल्ला आ जाये उस समय सरकार को भी खरीदना चाहिए ताकि बाज़ार भाव ठीक रहें और जिस समय व्यापारी लोग मंहगा बेचें उस समय सरकार अपना इकट्ठा किया हुआ अन्न जनता में उचित भाव पर बेचे। जब काश्तकार के पास गल्ला नहीं रहता है तो व्यापारी लोग इस गल्ले को दबा लेते हैं और सरकार के पास गल्ला रहेगा तो उसको वह उचित समय पर निकाल लेंगे और इससे कीमत नहीं बढ़ेगी। इस तरह से सरकार को इतना ही दखल उसमें देना चाहिए, व्यापारी को भी खरीदने की छूट देनी चाहिए। अगर

(श्री रामनारान वर्मा)

व्यापारियों को एक दम बन्द कर दिया जायेगा तो सारे व्यापारी परेशान होंगे और वह बेकार हो जायेंगे और अगर सरकार व्यापार में अपनी सारी शक्ति लगायेगी तो इससे उसकी शक्ति का अपव्यय होगा और अगर यह शक्ति सरकार उत्पादन की ओर लगाये तो इससे उत्पादन बढ़ सकता है। मैं जहां तक समझता हूं सरकार व्यापार में पूर्णरूपेण सफल होगी क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता रहेगी, व्यापारी जन्म से व्यापारी होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार का व्यापार करने में अधिक खर्च होगा और व्यापारी सस्ते में ही काम निकाल लेते हैं। इस तरह से गल्ला मंहगा हो जायेगा और इसलिए बाज़ार में भी गल्ला मंहगा बेचना पड़ेगा। लैवी सिस्टम में कई अन्न भण्डारों में लाखों मन गल्ला बेकार होगा। उसमें यहां तक देखा गया कि व्यापारी और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर बोरियों में रेत मिलाई और इस तरह जनता को खराब अन्न खाने को मिला। अगर पूर्णरूपेण सरकार ने अपने हाथ में लिया तो निश्चिततः वह फेल होगी और इस पर जो सरकार ने दस लाख रुपया रखा है तो मेरा ख्याल है उसके अनुभव में ही सारा रुपया खर्च होगा। मेरी धारणा है कि सरकार इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ४० के सम्बन्ध में खाद्यानों को जन साधारण के लिए उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की योजनाओं पर विचार करने के लिए यह कटौती का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि चालू वर्ष में खाद्यान्न समस्या बहुत ही गभीर और चिंतनीय हो गई थी। राज्य सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक योजना तैयार की और उस योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न भागों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गई। गल्ले का निर्यात बन्द किया गया और गल्ले का आवजाव राजस्थान के अन्दर भी नियंत्रित किया गया और कलेक्टरों को यह अधिकार दिये गये कि वह गल्ले को सीज़ कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। जो योजना बनाई गई थी राज्य सरकार की ओर से, उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही प्रभावशाली योजना थी और मैं समझता हूं और मेरा विश्वास है कि अगर उस योजना पर प्रभाव-शाली तरीके से चला जाता, उसके कार्यान्वित करने में आवश्यक सख्ती बर्ती जाती और सतर्कता रखी जाती तो राज्य के अन्दर खाद्यान्नों की जो आज स्थिति है वह स्थिति नहीं होती। इसको कुल जिम्मेदारी उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गल्ले की जो स्थिति है हमारे राज्य के अन्दर जिसके बारे में राज्य सरकार की ओर से बहुत संतोष व्यक्त किया गया है वह वस्तु स्थिति के विपरीत है। आज भी राजस्थान के अन्दर कई हिस्से हैं उपाध्यक्ष महोदय, जहां कि लोगों को लम्बी कतार में सुबह से दोपहर तक एक एक रुपये के गल्ले के लिए इन्तजार करना पड़ता है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद उनको अन्न मिल पाता है दोपहर बाद कई लोग निराश होकर और

(श्री रामेश्वरदयाल)

हताश होकर लौट जाते हैं। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गेहूं के भाव २० रुपये प्रति मन से ३५ रुपये प्रतिमन राज्य के अन्दर मौजूद हैं। इसके लिये कहा जाता है कि गल्ले के भाव में काफी गिरावट हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, गल्ले के काफी ऊंचे भाव हैं। फिर छोटे कर्मचारी, छोटे मुलाज़िमान और मध्यम श्रेणी के लोग और गरीब तबका किस तरह से अपना गुज़र चलावे और अपने परिवार का पेट भरे, यह हमारे मंत्रीजी के लिये विचारणीय बात है। तो आज जो स्थिति है उपाध्यक्ष महोदय, उसकी कुल ज़िम्मेदारी राज्य सरकार पर है, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी मुझे क्षमा करेंगे।

खाद्यान्न की जो समस्या है वह दो बातों पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि अच्छा गल्ला लोगों को खाने के लिये मिले। दूसरी बात यह है कि सस्ता गल्ला मिले। इन दो बातों को ठीक प्रकार से राज्य सरकार हल कर देती तो हम यह कह सकते थे कि इस समस्या का समाधान हो गया है और इसका प्रभावशाली हल निकल गया है। लेकिन आज स्थिति उसके विपरीत है। अब देखना यह है कि क्यों ऐसी स्थिती हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को पॉवर्स दिये हैं सील करने और सील करने के लिये लेकिन आखिर में गल्ले का भाव डिमान्ड और सप्लाई की फोरसेज़ पर होता है। यदि गल्ला ज्यादा तादाद में मार्केट में है तो कीमत नीचे जायगी और यदि गल्ला कम तादाद में है तो कीमत ऊंची जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज भी कहता हूं जिससे माननीय सदस्य सहमत हों कि हमारे राज्य में गल्ले की कमी नहीं है। यह खाद्यान्न की समस्या बनावटी है, आर्टिफिशियल है, यह मैन मेड है, देवी कोप नहीं है........

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Man made or home made ?

श्री रामेश्वर दयाल : you know better. तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यदि जिलाधीशों या कलेक्टर लोगों को जो पॉवर्स दिये गये थे उनके अन्तर्गत यदि वे गल्ले के स्टॉक को ठीक प्रकार से पकड़ते और स्टॉक पकड़ कर बाज़ार में लाते हैं बेचने के लिये तो मैं समझता हूं काफी तादाद में गल्ला मिल सकता था। आज भी काफी संग्रह है लोगों के पास लेकिन उसको बाजार में नहीं लाया जाता, फिर भी हम स्टेट ट्रेडिंग की बात करते हैं। इससे अच्छे गल्ले और स्वास्थ्य देनेवाले गल्ले की बात करें तो सस्ती दूकानों पर जो गल्ला बेचा जाता है वह आस्ट्रेलिया से मंगाया हुआ गेहूं बेचा जाता है। यदि सरकार इस रुपये से राजस्थान का स्थानीय गल्ला खरीदने और बिकवाने का प्रबन्ध करती तो वह पैसा हमारे किसान और व्यापारी वर्ग को मिलता और साथ ही लोगों को अच्छा अन्न खाने को मिलता और बीमारियों का शिकार नहीं होना पड़ता। राज्य सरकार ने ब्लेक मार्केटियर्स और ब्लेक मेलर्स और गल्ले के तस्कार व्यापारियों के विरूद्ध सख्त कदम नहीं उठाया। यदि राज्य सरकार आज भी गल्ले में ब्लेक मार्केटिंग, काला बाज़ार, चोर बाज़ार पर्मिटस और लाइसेन्सेज़ का दुरूपयोग करनेवालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही करती और इसी प्रकार से यदि उन लोगों के खिलाफ़

(श्री रामेश्वरदयाल)

जो इस प्रकार की तथा अन्यान्य तरह की समाज विरोधी कार्यवाही करते हैं, यदि सख्त कार्यवाही राज्य सरकार की ओर से की जाती तो मैं समझता हूं गल्ले का टोटा प्रान्त में नहीं होता और जनता भूखों नहीं मरती। इन तमाम कार्यवाहियों को करने में राज्य सरकार की ओर से शिथिलता बरती गई, ढिलाई लाई गई है इसलिये आज इस प्रकार की भयानक स्थिति हम देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत संतोष और प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार ने इस स्थिति का सामना करने के लिये स्टेट ट्रेडिंग की योजना के साथ हमारे सामने आ रही है। मैं स्टेट ट्रेडिंग योजना का स्वागत करता हूं और समझता हूं कि यदि इसको ठीक ढंग से कार्यान्वित किया गया तो योजना अच्छी है। मैं समझता हूं इससे जो मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है वह रुकेगी और जो ब्लेक मार्केटिंग की प्रवृत्ति है वह भी बन्द होगी और काफी तादाद में लोगों को सस्ता व अच्छा गल्ला खाने को मिलेगा। योजना बहुत अच्छी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि इसको कार्यान्वित करने में ढ़िलाई व शिथिलता बरती जावे, यह राजस्थान के डेढ़ करोड़ आदमियों के भाग्य का सवाल है, यदि यह योजना असफल होती है तो १॥ करोड़ लोग भूखों मरेंगे। क्योंकि उस समय व्यापारी साथ नहीं देंगे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारियों के हित का राज्य सरकार को ख्याल नहीं है। यह संकेत मिला है राज्यपाल महोदय के भाषण में और वित्त मन्त्रीजी के भाषण में कि राज्य सरकार उपभोगताओं और किसानों के बीच हित में समन्वय करना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन राज्य सरकार भूल जाती है कि इस समस्या के साथ उन बेचारे व्यापारियों का भी भाग्य बंधा है जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपना परम्परागत व्यापार कर रहे हैं। उनके बारे में सरकार की क्या नीति होगी कोई संकेत नहीं मिलता। मैं समझता हूं शायद यह पॉइन्ट राज्य सरकार की निगाह से ओझल हो गया होगा। अब मैं समझता हूं मन्त्रीजी अब इस पर विचार करेंगे। यह भी तीसरा वर्ग है। व्यापारियों के बारे में मेरी यह मान्यता है कि हर व्यापारी चाहे वह छोटा व्यापारी हो या बड़ा कोई समाज में उसका स्थान है। वह भी उदर पूर्ति करे अच्छे तरीके के साथ और उसके साथ भी न्याय होना चाहिये। तो मैं समझता हूं इस दृष्टि से व्यापारी वर्ग का हित भी ध्यान में रखा जायेगा स्टेट ट्रेडिंग की योजना तैयार करते समय और इसे कार्यान्वित करते समय।

उपाध्यक्ष महोदय, योजना बहुत अच्छी है लेकिन उसकी रूप रेखा का इस सदन को अब तक पता नहीं चला है। बहुत मुमकिन है वह सचिवालय के किसी कमरे में बन्द होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो योजना है.......

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह तो प्रस्ताव है, योजना कहां है ?

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये इसलिये मैं भी यही कह रहा हूँ कि आज यह योजना हमारे सामने नहीं है, स्टेट ट्रेडिंग की बात कही जाती है लेकिन आज हम इस स्थिति

Page No 69

(श्री रामेश्वरदयाल)

में नहीं हैं कि जो कह सकें कि इस योजना के सम्बन्ध में कुछ विवेचन अथवा टीका कर सकें...

एक माननीय सदस्य : बजट में भी योजना शब्द लिखा हुआ है।

श्री रामेश्वरदयाल : जो प्रावधान बजट में रखा गया है वह बहुत हल्का है, बहुत थोड़ा है और मैं समझता हूं छोटासा व्यापारी भी जो पूंजी लगाकर अपना व्यापार करता है उससे भी बहुत कम प्रोविजन रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में सैंकड़ों मंडियां हैं। यदि इन मंडियों में बड़े व्यापारी व्यापार करते हैं तो वे कम से कम २० लाख रुपयों की पूंजी से कम नहीं लगाते इतनी पूंजी लगाकर उनको काम करना पड़ता है। हमारी राज्य सरकार भी इस काम के लिये २० लाख रुपये रखती है जिसमें एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा भी शामिल है। इतनी सी रकम से राज्य सरकार उन तमाम मंडियों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है जो मुश्किल होना है।

एक माननीय सदस्य : २० लाख कहां है, १० लाख ही रहे हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : I am sorry १० लाख से तमाम राजस्थान की मंडियों के गल्ले के व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, यह राष्ट्रीयकरण किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से तमाम गल्ले पर राज्य सरकार का नियन्त्रण होगा, ये तमाम बातें इस समय असम्भव सी मालूम हो रही है जब तक कि विस्तृत योजना हमारे सामने नहीं आती है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग बहुत अच्छी बात है लेकिन इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही सावधानी बर्तनी पड़ेगी, बड़ी सतर्कता बर्तनी पड़ेगी और इसके लिए अभी से पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, यदि धन की पर्याप्त व्यवस्था समय पर नहीं हुई तो यह योजना खतरे में पड़ सकती है और मुझे सन्देह है, भय है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो योजना लोगों के कल्याण के लिए बनाई है, लोगों को सस्ता गल्ला सस्ते दामों पर दिलाने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, वह व्यवस्था कहीं दुर्व्यवस्था में परिणित नहीं हो जाय। माननीय उपाध्यक्ष, मेरा सुझाव है कि राज्य सरकार इस वक्त एक प्रयोगात्मक स्थिति में है, एक्सपेरीमेन्टल स्टेज़ में है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस योजना के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का सहारा लेना चाहिए और इसके लिए तीनों वर्गों की, जिसमें किसान भी शामिल हों, जिसमें उपभोक्ता लोग भी शामिल हों और जिसमें व्यापारी भी शामिल हों, इन तीनों की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हर ज़िले के अन्दर, हर मंडी में बनानी चाहिए और उनके सुपुर्द सरकार के नियन्त्रण में गल्ले के थोक व्यापार का काम इनके सुपुर्द करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं सदन के समक्ष कि अगर राज्य सरकार इस योजना को नौकरशाही के आधार पर चलाना चाहती है, जो ब्यूरोक्रेटिक मेन्टेलिटी का है तो मुझे भय है कि कहीं यह योजना सफल

(श्री रामेश्वरदयाल)

नहीं हो सके। क्योंकि आखिर व्यापारी कुछ टैक्निक रखता है, इसलिए इसमें ट्रिक ऑफ ट्रेड चाहिए, इसमें अनुभव होना चाहिए और जिन भाइयों को इसमें अनुभव है, जिनमें कार्य क्षमता है, उनका सहयोग हर प्रकार से लेना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और इनके सहयोग के साथ इस योजना को कार्यान्वित करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय मैंने जो सुझाव उनके सामने रखे हैं उन पर विचार करके अगर इनको ठीक समझें तो कार्यान्वित करने की भी कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, बज़ट के अन्दर जो स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गई है और जिसके लिये मांग की गई है, मैं उसका विरोध करता हूं। इस आधार पर, जैसा हमने बज़ट स्पीच में पढ़ा कि मार्च, १९५८ से राजस्थान के अन्दर भाव में वृद्धि चलती आ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट ने तब से ही उन भावों की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये और कुछ सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिये थे कि जिनके आधार पर भाव एक दम नीचे आ सकते थे और हमारे प्रान्त के अन्दर एक खाद्यान्न के अभाव की समस्या दिखाई जा रही थी वह मिट सकती थी। उन सुझावों में जो महत्वपूर्ण सुझाव था वह यह था कि राजस्थान को एक अलग जॉन बनाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान की इस मांग को माना है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने भी कुछ ऐसे कदम उठाये थे, जैसे व्यापारियों ने गल्ला होर्ड कर रखा था जैसी कि शिकायत की गई थी कि व्यापारियों ने गल्ला संचय कर रखा है, व्यापारियों के उस संचित गल्ले को फ्रीज करने के लिये और सीज़ करने के लिए कदम उठाये। बाहर परमिट से अनाज जा रहा था उसको रैस्ट्रिक्ट किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने आपकी एक मांग को माना है, आपने कुछ कदम उठाये हैं और इस नये बजट के अन्दर १०० करोड़ रुपये विकास और कृषि की योजनाओं के नाम पर रखे हैं तब समझ में नहीं आता जब तक इन सारी बातों का प्रयोग न हो जाय उससे पहले सरकार स्टेट ट्रेडिंग की बात किन आधारों पर कहती है। मैं यह चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने और पंडितजी ने एक योजना को उठाया है और जिस योजना को राष्ट्रीय योजना का नाम दिया है हमारी राजस्थान सरकार उस योजना को मान कर उसका अन्धा-नुकरण करना चाहती हैं। राजस्थान की परिस्थिति का उसमें विचार नहीं है। इसके समर्थन में एक बात और कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार ने इस पर विचार किया होता और विधान सभाइयों के सामने कुछ साहित्य होता तो यह बात न आती। १० लाख रुपया स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर रखते हैं तो इसके साथ कुछ साहित्य होना चाहिये कि आखिर क्या योजना है, आप किस प्रकार से थोक व्यापार को हाथ में लेंगे। अगर इस प्रकार का साहित्य बजट के साथ साथ विधान सभाइयों के हाथ में आता तो आज इस बात का निर्णय कर सकते थे कि राजस्थान गवर्नमेंट की स्टेट ट्रेडिंग की योजना है उस योजना

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के ऊपर किस प्रकार विचार किया जाय। यह मेरा ही आरोप नहीं है बल्कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने भी आरोप लगाया है। आप इस प्रकार की योजना हाथ में लेंगे जिस पर आपने किसी प्रकार से विचार नहीं किया है। आज स्टेट ट्रेडिंग का प्रश्न केवल राजस्थान के सामने नहीं है बल्कि देश के विभिन्न प्रान्तों के सामने प्रमुख समस्या के रूप में आया है। अभी बंगलोर सेशन में जन संघ ने जो थोक व्यापार सरकार हाथ में लेनेवाली है उसका विरोध किया। उसके बाद नागपुर कांग्रेस सेशन में इस प्रस्ताव के विरोध में पंडितजी ने प्रस्ताव रखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स और केन्द्रीय सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेगी। पंडितजी ने पत्रकारों को कहा था कि इस चीज़ का विश्लेषण अभी नहीं किया है, इस को आंका नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग किन आधारों पर होगा, हम इस योजना को स्वीकार करते हैं। आखिर इस योजना को स्वीकार किया और देश के सामने एक प्रश्न आया। इसका जनसंघ ने विरोध किया। आज सारे देश की आंखें इस ओर लगी हुई हैं। साम्यवादियों ने भी स्टेट ट्रेडिंग का समर्थन किया है। आज कोई भी बोलने खड़ा होता है तो कहता है कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये। प्रजा समाजवादी दल के सदस्य ने भी कहा कि स्टेट ट्रेडिंग को अपने हाथ में लेते हैं तो समाजवाद की ओर बढ़ेंगे। आज समाजवाद की परिभाषा लोग अपने अपने तरीके से करने लगे हैं, लोहिया का समाजवाद अलग है, कृपलानी का समाजवाद अलग है, नेहरू का समाजवाद अलग है, ख्रुश्चेव का समाजवाद अलग है। समाजवाद की एक परिभाषा नहीं है। चीज़ एक है, उसको अलग अलग तरीकों से लेते हैं, यह चीज़ देखने को मिलती है। आखिर समाजवाद के विषय में स्पष्ट नहीं है उसकी ओर आंख मूंद कर बढ़ रहे हैं। आंख मूंद कर बढ़नेवालों के लिए कह देंगे कि प्रगतिशील लोग हैं। रूस के साहित्य में प्रगतिशीलता का प्रचार किया जाता है और उसके विरोध में जो जाता है उसको पूंजीवाद का समर्थक और प्रतिक्रियावादी और न जाने क्या क्या कहा जाता है। मैं इन बातों में न पड़ते हुए निवेदन करूंगा कि जितनी पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था है, वह पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था पर पहले कब्जा करती है। उसके बाद शासन तन्त्र को अपने कब्जे में लेती है। मैं इस पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता। उसी तरह जो समाजवादी व्यवस्था है वह शक्ति के आधार पर शासन को हाथ में लेती है और फिर आर्थिक साधनोंको अपने कब्जे में लेती है। इस तरह से शासन तन्त्र, चाहे पूंजीवादी हो जो अर्थ व्यवस्था को पहले और शासन को बाद में कब्जे में रखती है। चाहे समाजवादी व्यवस्था हो, जो शासन को पहले और बाद में आर्थिक साधनों को लेती है। ये दोनों शासन तंत्र हैं उनके लिए कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं, एक ओर अमेरिका प्रचार करता है दूसरी ओर रूस प्रचार करता है। मैं निश्चत रूप से कह सकता हूं कि दोनों में कमियां हैं। भारत ने एक तटस्थता की नीति को स्वीकार किया है। उसके साथ ही साथ डेमोक्रेटिक लाइन पर चलने का, लोकतंत्र के तरीके पर चलने का निश्चय किया है। आखिर यह तरीका क्या है ? वह यह है कि व्यक्ति को शासन तंत्र के अन्दर पूरे रूप से समभागी होने की सुविधा मिले, वह राष्ट्र के शासन तंत्र में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अपना भी कुछ योगदान दे, वहां ही लोकतंत्र चल सकता है और आदमी का सर्वांगीण योग तब मिलेगा जब कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्पादन में और उत्पादन का जो उपभोग होता है इन दोनों में स्वतंत्र हो। जब तक वह स्वतंत्र रूप से उपभोग न कर सकेगा, उत्पादन पर स्वतंत्र रूप से अधिकार नहीं होगा तब तक वह सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं कहलाया जा सकता। जब आदमी उपभोग करने में स्वतंत्र होगा, उत्पादन करने में स्वतंत्र होगा, तब ही वास्तव में दिल और दिमाग उसका स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र रूप से अपनी राय प्रगट कर सकता है। इसी आधार पर भारत सरकार ने विकेन्द्रीकरण की नीति को माना है। मैं भी विकेन्द्रीकरण की नीति का समर्थक हूं। मैं यह कहूंगा और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि संविधान ने गारन्टी दी है कि वह हर आदमी के हाथ को, करोड़ों लोगों के हाथों को रोजी देंगे, रोटी देंगे पेट भरने के लिए, चिकित्सा के साधन देंगे। जब कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारन्टी है हर एक हाथ को काम देने की तब किस प्रकार व्यापारी के हाथ में काम का अधिकार है उसको स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर छोड़ना चाहते हैं? इसके बाद प्रश्न आखिर खड़ा होता है कि आखिर हमारा राज्यतंत्र समाजवाद राष्ट्र की तरह है जो सत्ता हथियाने के बाद आर्थिक साधनों पर कब्जा करना चाहता है और आदमी को मजदूर मात्र बना कर रख देना चाहता है। उन समाजवादी, साम्यवादी राष्ट्रों की तरह देश के नौजवान नागरिकों को, करोड़ों हाथों को मजदूर बना कर रख देना चाहता है। एक महत्वपूर्ण समस्या हमारे सामने आकर खड़ी होती है। देश और हमारे प्रान्त के सामने खाद्य समस्या विकट हुई! अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई। लोगों को खाने को अन्न नहीं मिला। लोगों ने इस पर विचार किया है पर जिस तरह विचार करना चाहिये उस तरह से विचार नहीं किया है, उस प्रकार से माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश नहीं डाला है। राजस्थान के समक्ष दो तरह की समस्याएं आईं, एक तो खाद्यान्नों के बहुत बढ़े हुए भाव और दूसरी समस्या यह कि खाद्यान्नों का अभाव। आस्ट्रेलिया से मंगाये गये खराब अन्न की दूकानें खोल कर हमारी सरकार ने भूख को कम करने की कोशिश की है। अन्न के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न के बारे में हमारा राजस्थान आज तक आत्म निर्भर रहा है। यहां यह अन्न का अभाव क्यों हुआ और खाद्यान्नों के भाव जब कि समान रूप से सामान्य चले आ रहे थे तो वे एक दम इतने ऊंचे क्यों हुए? इसके लिये दोषी राजस्थान सरकार है, उसके भाव डगमगाते हुए हैं, उसके दिमाग में कोई निखरी हुई बात नहीं है कि ऐसा कदम उठाये जो कि ठोस कदम हो। मुख्य मंत्रीजी ने भाषण देते हुए कहा कि ठोस कदम हमने उठायें हैं। मैं कहता हूं कि ये ठोस कदम नहीं हैं ये तो डगमगाते हुए कदम हैं। इसके साथ ही हमारे शासन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह पूंजीपतियों के हाथ में खेलता रहता है। नौकरशाही सारी की सारी पूंजीपतियों के हाथ में खेलती रहती है, पूंजीपतियों के हाथ में चलती रहती है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं।

चारां में एक व्यापारी अपना अनाज बाहर भेज रहा था जब कि बाहर अनाज

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भेजना बन्द था। एस. डी. एम. ने सारा का सारा अनाज फ्रीज किया जब कि उस अनाज का ६ रुपये का भाव बाज़ार में था। तो व्यापारी का अनाज १३ रुपये मन के भाव से बिकवाया गया। मैं एस. डी. एम. साहब से जाकर मिला तो उन्होंने कहा कि कर्मचारी व्यापारी से मिल कर ऐसा कर रहे हैं, अब इस चीज़ को रोक दिया गया है, अब यह चीज नहीं होगी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारा सारा शासन तन्त्र इन व्यापरियों से, पूंजीपतियों से मिला हुआ है। इसका एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं, शिवजी माधवजी नामकी बारां में एक फर्म थी। अब तो जॉन। मिट गये, पहले जॉन्स थे। राजस्थान सरकार को पर्मिट देने के अधिकार नहीं थे। उस वख्त भी ज़ॉन से बाहर भेजने के पर्मिट दिये गये। यह सब बताता है कि हमारी राजस्थान सरकार की खाद्य नीति दोषपूर्ण है और पूंजीपतियों के हाथ में चलनेवाली है जिससे हमारे राजस्थान में खाद्यान्नों का अभाव हुआ।

यह कहा गया कि ३५, ३१-के भाव हों उस समय व्यापारी होर्ड करते हैं। ऐसे बेवकूफ व्यापारी नहीं। उस समय उन्होंने चोरी छिपे बाहर भेजा है, राजस्थान का अच्छा अनाज नागपुर में जाकर बिका है जब कि हम आस्ट्रेलिया का सड़ा हुआ अनाज खा रहे थे।

राष्ट्रीय तरीके पर इस समस्या पर विचार करें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि श्री जगदीशप्रसादजी माथुर ने बताया हमारी योजना का आधार ग़लत है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, खाने पीने का स्तर बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और भी कई कारण हैं, जिनके आधार पर कह सकता हूं कि यदि राजस्थान सरकार बढ़ते हुए जीवन स्तर, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करती तो यह समस्या पैदा ही नहीं होती। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया राजस्थान में इतना खाद्यान्न पैदा होता है कि यदि राजस्थान सरकार खरीद कर रख लेती तो यह समस्या पैदा नहीं होती।

अब इसका एक सोल्यूशन राजस्थान सरकार हमारे सामने रखती है और वह सोल्यूशन यह है कि फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग कर देंगे। मैं कह सकता हूं कि आज तक की जो सरकार की असफल खाद्यान्न नीति है, गलतियां हैं उनको छिपाने के लिये यह चीज रखी है।

जो उत्पादक और उपभोक्ता हैं उनके बीच में व्यापारी हैं वे लाभ कमाते हैं। इससे किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान होता है तो ये बिचोलिये खत्म होने चाहिये। आज की परिस्थितियों में उन मध्यस्थों को खत्म करने का हल होता है उस पर हमारी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने विचार नहीं किया है।

हम मध्यस्थों को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को अपने अनाज की अच्छी कीमत मिले और जो खाद्यान्न खानेवाले हैं उनको अच्छा खाद्यान्न मिले, अच्छा अनाज मिल जाय। इसके लिये कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसाइटीज़ बनायें और इसके ज़रिये उत्पादकों से खरीदने की और उपभोक्ताओं को वितरण करने की व्यवस्था की जाय। इससे किसानों को उनके अनाज का अच्छा पैसा मिलेगा, और उपभोक्ताओं को खाने को अच्छा अनाज ठीक कीमत पर

Page No 74

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मिलेगा। इसके लिये कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसाइटीज़ बनाइये। स्टेट ट्रेडिंग के काम के लिये १० लाख रुपया सरकार द्वारा रखा गया है इस सम्बन्ध में मेरे कई साथियों ने बता दिया है कि १० लाख रुपया नाकाफी है स्टेट ट्रेडिंग के लिये। इतना रुपया तो एक एक व्यापारी इन्वेस्ट करके काम करता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारियों को खत्म करने की जो यह योजना है वह तो इन व्यापारियों के हाथों को और भी मजबूत करेगी, यह वास्तव में एक गलत योजना है। इसलिये इस काम को कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसायटीज को देना चाहिये।

इसके साथ और भी बातें हो सकती हैं। फ़सल को काश्तकार रोकता है तो हमें सोचना चाहिये कि कितनी जन संख्या है? इतना राजस्थान में अन्न पैदा होता है उसको राजस्थान सरकार अपने पास ले ले और भाव बढ़ने से रोके ताकि खाद्य समस्या कभी पैदा ही न हो सके। वास्तव में यह खाद्यान्न की समस्या एक बनाई हुई समस्या है। इसका इलाज, स्टेट ट्रेडिंग नहीं है, यह तो दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों को खुश करना है कि हमने साम्यवाद अपना लिया है।

आज हमारे पास जन शक्ति काफ़ी है। ज़मीन पर कस कर मेहनत से खेती करने-वाले लोग बहुत हैं। उनका उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं? देश की जलवायु के अनुकूल यदि कोई बात हो सकती है तो यही कि कोऑपरेटिव ट्रेडिंग सोसाइटीज़ के ज़रिये यह काम किया जाय।

इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग को वापिस ले लें।

३ म० प०

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ८५-के भाग 'क' में मैंने एक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, राज्य की अनाज की नीति के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया यह पहले देखना पड़ेगा। देश में ऐसी कौन-कौनसी परिस्थितियां इस स्थिति के लिए जिम्मेदार थीं? देश में गतवर्ष में कई प्रान्तों में अधिक वर्षा के कारण फ़सल बिगड़ गई और कई प्रान्तों में सूखा पड़ जाने के कारण पैदावार कम हुई। इसके साथ ही साथ राजस्थान में कोई स्थिर खाद्य नीति नहीं थी और स्थिर खाद्य नीति न होने के कारण ही हमारा अधिकतर अनाज अन्य राज्यों में चला गया। मैं निवेदन करूं कि रामगंज मंडी और भवानीगंज मंडी कोटा डिविज़न की प्रमुख मंडियां हैं। केवल भवानी गंज मंडी से तीस लाख मन और रामगंज मंडी से ५० लाख मन अनाज बिहार और उड़ीसा में चला गया। मोटे अनाज के साथ गेहूं भी बाहर निकल गया। यदि कोई स्थिर नीति खाद्य के विषय में हमारे यहां होती तो समय रहते ही अनाज बाहर जाने से रुक जाता। मैं नहीं कह सकता कि राजस्थान सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया और चूंकि भारत सरकार से यह विषय सम्बन्धित था इसलिए समय रहते हुए हम अलग ज़ोन में

(श्री सम्पतराज जैन)

नहीं रह सकें और आज बॉम्बे के जॉन से अलग हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में यह कार्य हाथ में लिया गया है वे परिस्थितियां ऐसी होगई हैं कि कुछ प्रान्तों में तो फसल खराब होगई और कहीं सूखा पड़ गया और हमारे यहां से अनाज बाहर भी निकल गया और इस कारण भाव काफी चढ़ गये, २५),२६)रु० मन गेहूँ के हो गये, कहीं इससे भी अधिक हो गये। इन परिस्थितियों से घबरा कर देश में यह निर्णय लिया गया कि अनाज का थोक व्यापार राज्यों को अपने हाथ मे लेलेना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी खाद्य नीति स्थिर न होने के कारण आज हमको ये दिन भी देखने पड़े हैं।

खाद्य नीति के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो है उत्पादन और दूसरा पहलू है वितरण, ये दोनों ही यदि ठीक प्रकार से संयोचित हों तो वही सही खाद्यनीति कही जा सकती है। जहां तक उत्पादन बढाने का सवाल है मैं कहूँगा कि सरकार द्वारा छोटी २ सिंचाई योजनाओं पर कम ध्यान दिया है और उनको नजरअन्दाज ही कर दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि बजट में रकम तो रख दी जाती है लेकिन वह रकम ही खर्च नहीं हो पाती। झालावाड़ के लिए दो लाख रुपया मंजूर किया। ७०,८० तालाब फूटे हुए हैं कई दफा प्रस्ताव रखा गया। लेकिन एक भी पैसा मंजूर नहीं किया गया। खाद्य का उत्पादन बढ़े तो फिर कैसे बढ़े? २० हजार रुपया पंपिंग सेट के लिए दिया गया। आठ, आठ प्रार्थना-पत्र होते हुए भी एक भी नहीं दिया गया। जब छोटी सिंचाई योजना का यह हाल है तो फिर उत्पादन कैसे बढ़ सकता है? इसलिए मैं कहूँगा कि जब तक उत्पादन और वितरण संयोजित रूप में नहीं होंगे आपकी खाद्य नीति किसी हालत में सफल नहीं हो सकती। आज भी यह है कि उत्पादन और वितरण दोनों अलग अलग के जिम्मे हैं, उत्पादन के लिए अलग मंत्री है तो वितरण के लिए अलग और दोनों के लिए अलग अलग मंत्रालय से अलग अलग इन्तज़ाम होते हैं। खाद्य समस्या की जिम्मेदारी है वह दो बातों के लिए है एक तो दैवी विपत्ति और दूसरी राज्य सरकार की कोई खाद्य नीति नहीं होने के कारण। ६ नवम्बर को खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री ने इस विधान सभा में भाषण दिया था। माननीय सदस्यों ने काफी सुझाव भी दिये थे और निवेदन भी किया था कि काफी गल्ला बाहर निकाल दिया है, निकास बन्द करना चाहिये। उस पर मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री ने यह जवाब दिया था कि आज देश में ऐसी परिस्थिति है और जहां अधिक मंहगाई है? हमारे यहां गल्ला अधिक है तो बाहर भेजना चाहिये। देश की स्थिति के लिहाज से यह ठीक हो सकता है लेकिन आज हम देखते हैं कि राजस्थान में बड़ी भारी मुसीबत आ गई है और लोगों को बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है, बाहर गल्ला निकाल देने से। ६ नवम्बर को तो यह कहा गया और उसके बाद १६ नवम्बर को यह स्थिति पैदा हो गई कि तहसील में जहां गल्ला था वहां दूसरी तहसील में जाने से रोक दिया गया, एक जिले से दूसरे जिले में जाने से रोक दिया गया। यह क्या खाद्य नीति है? दस दिन पहले जो बात कही गई थी, दस दिन बाद एक दम उल्टी बात कर दी गई, पहले की बात को बिलकुल बदल दिया गया। यदि यही हाल है और यही खाद्य नीति है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा चाहे राज्य सर-

(श्री सम्पतराज जैन)

कार खाद्य का व्यापार अपने हाथ में ले ले। पुराना अनुभव खाद्य के व्यापार में हमारा यह रहा है कि आज हम यह देखते हैं कि एक करोड़ रुपया घाटे के रूप में लगा जो इस बजट में डाल दिया गया। जिन लोगों के हाथ में यह काम था उन कर्मचारियों का यह उदाहरण है। यदि उत्पादक और उपभोक्ताओं को लाभ हो तो काम करने के लिए कोई भी तैयार हो सकता है चाहे वह राज्य सरकार हो या और दूसरी कोई भी एजेन्सी हो। किसी को यह स्थिति सौंपी जा सकती है लेकिन दोनों यदि लाभ न हो तो ऐसी स्थिति में जो कदम उठाया जावे वह सोच समझ कर ही उठाना चाहिये।

जब गल्ला सरकार खरीदती थी तब लेवी सिस्टम था। काश्तकारों का गल्ला खराब बता कर वापिस कर दिया जाता था और इसी से काश्तकार बहुत परेशान थे। उनसे फिर पैसा ले लिया जाता था या रुपया दो रुपया मन कम देकर वही गल्ला जो पहले खराब बता दिया जाता था तोल लिया जाता था, उनको नायब तहसीलदार या तहसीलदार को इस प्रकार से पैसा देकर गल्ला तुलवाना पड़ता था। जब वे तुलवाते थे तो कम तोला जाता था। फिर उन्हीं कर्मचारियों के द्वारा गल्ले के गोदाम में सेंध लगवा दी जाती थी और फिर जब लोगों को तुलवाया जाता था तो कम तुलवा दिया जाता था या कम बता दिया जाता था कि गल्ला खराब हो गया। इस प्रकार से आप देखियेगा कि सरकार को यह कार्य सरकार के हाथ में होने के कारण उनके कर्मचारियों द्वारा ही काफ़ी नुकसान दे दिया जाता था और लोगों को भी और उत्पादकों को भी काफ़ी नुकसान और परेशानी उठानी पड़ती थी। ये काफ़ी डिटेल्स की बातें हैं जिनको मैं १५ मिनट में सम्पूर्ण नहीं कर सकूंगा क्योंकि सिर्फ मुझे १५ मिनिट ही समय मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : १० ही मिनट का समय है।

श्री सम्पतराज जैन : पहले १५ बताया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिए तो है ही नहीं।

श्री सम्पतराज जैन : अतः मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार की जो थोक व्यापार गल्ले का करने की नीति है वह स्पष्ट नहीं है। एक नारा देश में लगा है कि सरकार को थोक व्यापार गल्ले का करना है और हाथ में लेना है इस व्यापार को। लेकिन यह किस तरह से होगा, क्या स्थिति रहेगी इसके वितरण की और इकट्ठा करने की, यह इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। केवल प्रस्ताव ही प्रस्ताव हैं। अखबारों के जरिये या अन्य तरीकों से यही रूपरेखा सामने आयी है कि सरकार चन्द थोक व्यापारियों के जरिये यह गल्ला खरीदेगी। सरकार इस व्यापार को हजारों, लाखों व्यापारियों के हाथों से लेकर चन्द व्यापारियों के हाथों में यह काम देना चाहती है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम विकेन्द्रीकरण की ओर जा रहे हैं और एक ओर इस प्रकार की कार्यवाही से केन्द्रीयकरण को और पुष्ट कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा कि सबसे पहले बंगाल सरकार ने चावल खरीदा। एक मंडी में मैं बताऊं कि दो सो काश्तकारों का चावल आता था। पचास काश्तकारों से तो खरीद

(श्री सम्पतराज जैन)

लेते थे और बाकी के १५० काश्तकारों के लिए कह दिया कि कम भाव से खरीदेंगे क्योंकि सरकार को इतने भाव से ही मंजूर है। फिर उन लोगों से निर्धारित भाव से कम भाव पर खरीदा। जो माननीय सदस्य अखबार पढ़ते हैं वे इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं समझता हूं कि यह चन्द थोक व्यापारियों के हाथ में देने से परिणाम निकलता है। आज इस प्रकार से जो मंहगाई दिखाई दे रही है उसका परिणाम ही यह सरकार की नीति है। इस प्रकार की मंहगाई के लिए सरकार की जिम्मेदारी हो सकती है। यदि थोक व्यापार सरकार ने अब भी उनके हाथ में सौंप दिया तो वे निर्धारित मूल्य से कम भाव पर उत्पादकों से खरीदेंगे और उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर नहीं मिल सकेगा। इस प्रकार से दोनों को ही हानि होने वाली है।

मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि सरकार अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में न ले। लेकिन यदि स्थिति सुधर गई है, यदि उपभोक्ताओं को सस्ता मिलता हो तो निश्चिततः हाथ में ले लीजिये।

मगर मैं आप से निवेदन करूं कि अनाज के थोक व्यापार को हाथ में लेने का क्या असर पड़ेगा इसको नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। हमारे व्यापारी, दूकानदार, दलाल, तोलनेवाले ये सब व्यक्ति थोक व्यापार को सरकार द्वारा हाथ में लेने से बेकार हो जायेंगे। और उत्पादक को सीधा व्यापारी के हाथ में बेचने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। इससे उन उपभोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि इससे उपभोक्ता को अच्छा अनाज खाने के लिये नहीं मिल पायगा और सही कीमत पर नहीं मिल पायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि थोक और खेरूज व्यापारियों को यह आदेश दे दिया जाय कि वे पांच सौ मन से ज्यादा और खेरूज व्यापारी १०० मन से ज्यादा अनाज का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। और राजस्थान से बाहर जाने वाले गल्ले पर नियन्त्रण लगा दिया जाय। और सरकार द्वारा भावों के सन्तुलन को कायम रखने के लिये प्रत्येक मंडी में एक गेहूं का भंडार स्थापित किया जाय ताकि भाव में तेजी न आने पावे। इन उपायों के द्वारा थोक व्यापार भी अगर सरकार हाथ में न ले तो भी काम चल सकता है और अगर थोक व्यापार को ही हाथ में लेना है तो निम्न सावधानियां बरती जानी चाहिये ताकि उपभोक्ताओं को नुकसान न उठाना पड़े।

गल्ले का अगर सरकार व्यापार ही करना चाहती है बड़े बड़े थोक व्यापारियों के हाथ में यह कार्य न सौंपकर व्यापारी, तोलनेवाले और उपभोक्ता इन सब की सहकारी समिति बना कर उनको यह काम सौंपा जाय। इससे क्या होगा जितने बेकार आदमी होंगे उनको भी किसी हद तक काम मिल जायगा चाहे पार्ट टाइम ही काम क्यों न मिले, जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ उत्पादकों को उनके ऊपज का उचित मूल्य मिले उसके लिये सरकार भाव तय कर सकती है और उसके लिये ज़िला वाइज समितियां होनी चाहिये जिसमें ६० प्रतिशत काश्तकार और ४० प्रतिशत उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होने चाहिये और वे ही भाव तय करें। इससे यह नहीं होगा कि सारे

(श्री सम्पतराज जैन)

राजस्थान में एक ही भाव से खरीदा जाय बल्कि अलग अलग जिलों की जैसी जैसी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार खरीदना पड़ेगा। अनाज काश्तकारों को उचित मूल्य पर मिले, इसके लिये ग्राम पंचायतों, तहसील पंचायतों को यह हिदायत कर दी जाय और उनको अनाज की देखरेख सौंपनी पड़ेगी ताकि ठीक स्थान पर जाकर वे अनाज को देखें। अधिक तोलने और पैसे कम देने की जो बात है वह भी न हो पायगी और अनाज की देख रेख भी अच्छी हो सकेगी।

इसके अलावा खैरूज व्यापारियों को मुक्त हस्त से लाइसेन्स देने पड़ेंगे जिससे वे उपभोक्ताओं को किसी भी समय बेच सकें। जिस वक्त भी उपभोक्ता चाहे उनसे अनाज ले सकते हैं। अगर माल बेचने का काम चन्द व्यापारियों के हाथ में सौंप देंगे तो इससे उपभोक्ताओं को बड़ी तकलीफ होगी। उसके अलावा वे निश्चित समय पर ही दूकान खोलेंगे इसलिये मैं निवेदन करूंगा जितना भी धान खैरूज व्यापारी चाहें उनको बेचने के लिये दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष: यदि आपके पास लिखा हुआ है तो माननीय मंत्री महोदय को दे दीजिये।

श्री सम्पतराज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सिर्फ पॉइन्टस लिखे हुए हैं इसके अलावा लिखा हुआ पढ़ने का नियम भी नहीं है। लिखा हुआ लाता तो कम से कम दस और पन्द्रह पृष्ठ तक हो जाते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मोटा अनाज जितना भी है उसको नियन्त्रण से मुक्त रखा जाय जैसे जवार, मक्का, बाजरा, जौ, चना। इसके साथ साथ अब सवाल यह सामने आता है कि सरकार यह चाहे कि वह हमेशा के लिये अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेले और सरकार द्वारा ही अनाज के व्यापार का संचालन किया जाय। वैसी सूरत में मेरा यह निवेदन है कि योग्य, अनुभवी और ईमानदार जो भी व्यापारी मिले उनको सरकार अपनी सरविस में एम्पलोय करले बिना किसी डिग्री या किसी प्रकार के सर्टिफिकेट के। उसको उसके अनुभव के आधार पर उसको सरकारी नौकरी में रख लिया जाय और उसके अनुभव का सरकार फायदा उठाये अगर सरकार को हमेशा के लिये ही थोक व्यापार करना है तो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर आप उपरोक्त बातों को लागू कर सकते हैं तो थोक व्यापार को अपने हाथ में लें और पूरी तरह से सोच विचार कर हाथ में ले जल्दबाजी में या नारों से प्रभावित होकर किसी प्रकार का कदम उठाना उचित नहीं होगा। इससे न उत्पादकों को और न उपभोक्ताओं को ही फायदा हो सकेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा डिविज़न से आनेवाले माननीय सदस्य का अभी अभी भाषण सुना। उपाध्यक्ष महोदय, किसान लोग अपनी खेती को अपनी हवनशाला समझते हैं या व्यायाम शाला कहिये, उससे जो धान निकलता है वह उस हवनशाला की चिनगारियां हैं। वैसी हालत में किसको अधिकार है उसकी चिनगारियों के मूल्यांकन

(श्री मूलचन्द डागा)

करने का ? एक बहुत बड़ा सवाल है मिल से जो कपड़ा निकलता है उसका आप मूल्यांकन नहीं कर सकते वैसी हालत में अपने तन की मेहनत, अपना खून पसीने की तरह बहाने के बाद जो किसान अपना धान पैदा करता है उसका आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं क्या इसका अधिकार आपको है ? सारा किसान का कुटुम्ब, उसके सारे बच्चे, उसकी धर्मपत्नी, उसकी दादी उसका परिवार का वृद्ध से वृद्ध और छोटा से छोटा बच्चा जब खेत में जाकर काम करता है तब जाकर वह धान पैदा करता है और उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं आप जिनको पता नहीं कितना पसीना आता है गर्मियों में खेत में काम करने वालों को। क्या उस किसान को अधिकार नहीं कि वह अपना अनाज ४० रुपया मन के हिसाब से बेचे ? आज जिस किसान के पैदावार का आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं उस किसान के बच्चे को स्कूल में पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती वैसी हालत में आप किस प्रकार से यह अधिकार चाहते हैं कि हम उसकी उपज का मूल्यांकम करें ? किसानों को अधिकार होना चाहिये कि अपनी पैदावर ४० रुपया मन बेचे। अब हम लोग चाहते हैं कि उसकी पैदावार पर भी हम अधिकार कर लें क्योंकि अभी तक उसका दिमाग विकसित नहीं हो पाया है। वह किसान जो आज हजारों रुपये का उत्पादन करता है लेकिन फिर भी वह आज कर्ज़ में डूबा हुआ है वह ऊपर आ नहीं पाता कभी आपने इस ओर भी ध्यान दिया है ? आप समाजवाद का नारा लगाते हैं और चाहते हैं कि किसान जो भी पैदावार करे हम उसका मूल्यांकन करें। आज होता क्या है कि एक किसान जब अपनी पैदावार कर लेता है उसके बाद भी वह उठ नहीं पाता क्योंकि उस समय महाजन उसके खेत पर पहुंच जाता है और चाहता है कि वह उस अनाज को कम कीमत पर खरीद ले। लेकिन आज वह समय नहीं रहा अब तो महाजन गांव में बैठा रहता है और किसान खुद अपनी गरज़ से उसके पास आता है क्योंकि वह सोचता है कि महाजन ही उसके वक्त पर काम आता है!

हम चाहते हैं कि हमारी सहकारी समितियां, बैंकस इस तरह के हों जो किसानों को उनके वख्त पर कर्ज़ा दे सकें। लेकिन आज तक वह हो नहीं पाया है वैसी हालत में हम जिसको मुनाफ़ाखोर कहते हैं उनके हाथ में किसान को जाना पड़ता है। आप थोक व्यापार को अपने हाथ में लेकर चाहते हैं कि इस प्रकार की जो मुनाफ़ाखोरी होती है वह दूर करदी जाय, यह ठीक है लेकिन हमारी हिन्दुस्तान की सरकार भी इसके लिये तैयार नहीं हो सकती। जो आंकड़े हमारे पास हैं उनसे यह साफ़ प्रगट होता है कि जो गेहूं की उपज है उसमें से सिर्फ ३५ प्रतिशत गेहूं बाजार में बिकने के लिये आता है, ३३ प्रतिशत चावल और २५ प्रतिशत दूसरा अनाज। सारा अनाज करीब दो करोड़ टन हिन्दुस्तान की मंडियों में बिकने के लिये आता है और उसकी कीमत होती है ८०० करोड़ रुपया जो न तो हिन्दुस्तान की सरकार के पास है और न हमारे पास तो फिर हम किस प्रकार से थोक व्यापार कर सकेंगे ? हमारे यहां जो गोदाम हैं अनाज के रखने के उसमें सिर्फ ४० लाख टन ही अनाज रख सकते हैं। १६० लाख टन रखने की जगह नहीं वैसी हालत में १६० टन अनाज रखने के लिये हमें व्यापारियों के गोदाम देखने होंगे।

(श्री मूलचन्द डागा)

तो सवाल यह है कि आपके पास आदमी नहीं, रकम नहीं और आप स्टेट ट्रेडिंग के नाम से १६० टन का धन्धा करना चाहते हैं। हमने रफी अहमद किदवई की बात को भुला दिया। उन्होंने कहा था कि कन्ट्रोल के ढोल को गले में डालने से और उसे पीटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। उससे पहले के फूड मिनिस्टर फेमीन मिनिस्टर कहलाये और कई तरह की बातें हुई पर जब वे आये तो साफ कहा कि मैं इस कट्रोल के मामले को नहीं रखना चाहता। उनने अपनी कलम की एक ही नोक से उसको खतम कर दिया। आज आप उसी गलती को फिर दोहराना चाहते हैं। १६० लाख टन का व्यापार करना चाहते हैं और फिर इस मामले को अपनी भ्रष्ट मशीनरी के हाथों में देकर व्यापारियों को फिर चोरी करने की छूट देना चाहते हैं।

आज आपके शराब के ठेके में क्या होता है? यही होता है। आप मुकर्रर करते हैं कि इस भाव से शराब बेचो। इसका मतलब यह हुआ कि आपने उनको इजाजत दे दी कि खूब पानी मिलाओ, और जो गरीब जिनका सारे दिन भर की मेहनत से दिमाग खाली है उनको पानी पीला कर शराब की कीमत वसूल की। आपने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाई उसका यह हाल हुआ। आपने सस्ते अनाज की दूकानें खोली। कहा ८ आने मन देंगे। इसमें सभी है व्यापारी का मुनाफा, उसका लाने का खर्चा, छीजत का खर्चा, म्यूनिसिपल टैक्स तो अब वह सारा सफर करें इस आठ आने में। उसको बचेगा क्या? तो अब वह क्या करेगा? कम तोलेगा, कुछ भी करेगा, कई तरह की बेईमानियां करेगा और अपना मुनाफा तो बचावेगा ही। उसका आटा पिसवाकर अलग बेचेगा। जिनकी आदत हो चुकी है कम कपड़ा देने की, कम नापने की, कम तोलने की उनकी एक फौज आप देश में तैयार कर रहे हैं और उनके हाथ में सारा काम देने जा रहे हैं। भारत सेवक समाज स्थापित किया आपने। अब यह करने का इरादा कर रहे हैं। यह सारी मशीनरी क्या बिजनैस करेगी? आप लेखा समिति की रिपोर्ट लिखें, लाखों करोड़ों का घोटाला इस मशीनरी द्वारा किया गया। आज तक सफाई नहीं। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। खाद्य मन्त्रीजी सीना ठोक कर कहें कि क्या वे इस स्थिति के प्रति जागरूक हैं, क्या वे जागरूक हैं इन सरकारी अधिकारियों के प्रति, इनके कारनामों के प्रति। नहीं हैं। वे ऐसा नहीं कह सकते कि....

श्री उपाध्यक्ष : कहने भी नहीं दिया जावेगा, सीना भी नहीं ठोकने दिया जावेगा।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) उनका सीना भी छोटासा है।

(हंसी)

श्री मूलचन्द डागा : सरकार की नीति मुनाफाखोरी खतम करने की है। पर आप का रास्ता क्या होगा? लाइसेन्स सिस्टम आपका ठीक था। उनके पास कितना स्टॉक है, क्या है, कितना बेचा कितना बैलेन्स है आप एक लिमिट कर दीजिये। उनसे सूचना इसकी लीजिये। इससे आपको मालूम हो जावेगा। फिर राजस्थान भर में कितना अनाज पैदा होता है, कितना खर्चा होता है, कितना आपके पास बचेगा आपको इससे

(श्री मूलचन्द डागा)

अन्दाज़ हो जावेगा, कि व्यापारियों के कोठे में कितना अनाज है ।

लेकिन किसी ने कहा था कि सरकारी मशीनरी अपना कलेवर बढ़ाना चाहती है । स्टेट ट्रेडिंग का तो बहाना है । महरबानी करके अपने खुद के ट्रेड को स्वच्छ कर लें, अपने खुद की मशीनरी ठीक कर लें । फिर नये नये पचड़ों में टांग डालने की कोशिश करें । व्यापारियों की करामातों को पहचानना और उन तक पहुँचना मुश्किल है । उनका दिमाग बाजार के ट्रेन्ड पर रात दिन लगा रहता है । वह सारे हिंदुस्तान की मंडियों को ध्यान में रखता है । आंकड़े उसके दिमाग में भरे हैं । जोड़ बाकी करना उसकी अंगुलियों का काम है । आपकी मशीनरी वही जोड़ बाकी करने में घंटों लगा देगी । फिर आपके सारे आंकड़े फर्जी हैं, फर्जी होते हैं । मैंने पूछा पटवारी तहसीलदार से, धान के आंकड़े मांगे । कितना धान तुम्हारे एरिया में पैदा होता है पर सब फर्जी हैं । सारे आंकड़े अनुमानित हैं, फर्जी हैं । इन फर्जी आंकड़ों पर आप अपनी इमारत बना कर कहते हैं इतना धान है, इतना पैदा हो जावेगा । श्रीमान् मैंने दो बातें रक्खीं । आपने कहा कि हमारी यह पॉलिसी है, पर आपने इसके लिए जो रकम रक्खी वह खुद बताती है कि आपका यह व्यापार करने का इरादा नहीं है । हम असेम्बली में डिस्कस करना चाहते हैं, लोगों के दिमाग बनाना चाहते हैं पर न तो दस हज़ार से ट्रेड होगा न कुछ होगा । अलबत्ता यह होगा कि सर्विस में अपने कुछ आदमियों को लगा दीजिये । १० लाख में दो तीन लाख तो आप का, बाकी खर्चे में । महाजन तो तैयार हैं, आप हमाल को २००) माहवार दे दीजिये, तोलने वाले को ढाई सौ महीना दे दीजिये । सब कोऑपरेटिव सोसायटियां बनाने लगेंगे, सब उसके मेम्बर बन जावेंगे । आप समझते हैं अगर ये मध्यवर्ती शृंखलाएं काटने से हमारा सब काम सुधर जावेगा तो काट दो, बड़ी अच्छी बात है । आप मुनाफाखोरी समाप्त करना चाहते हैं कर दें, पर जो मुनाफाखोरी पहले वे करते थे वह अब सरकार करने लगेगी यह नीति आपकी इस तरह से स्पष्ट है । सीधा सवाल है । आपने लाइसेन्स सिस्टम निकाला, वह देखा हुआ है, उससे ठीक हिसाब से काम चलता था । आपको और किसी नये प्रपंच में जाने की जरूरत नहीं है । जैसे पहले बोलने वाले एक वक्ता ने कहा कि रिटेल डीलर्स की एसोसियेशन बना कर आप उनको धान दीजिये । अभी आपके सस्ते धान की दुकानें हैं । उन की क्या हालत है, सब जानते हैं तो हमें इस तरह के व्यापार में नहीं जाना चाहिये और काश्तकारों के धन का मूल्यांकन हुआ है या नहीं, होना चाहिये या नहीं और किया जावे तो इसके लिये बोर्ड बनाएं । मेरी तो सलाह है खाद्य मन्त्रीजी से कि, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग एक समिति हो और उसमें काश्तकार हों, छोटे छोटे काश्तकार हो, ट्रेक्टर चलाने वाले हैं पर नीचे दर्जे के हो । वे बैठकर सोचें कि आखिर जिले की खाद्य समस्या किस तरह से हल की जा सकती है, और उसकी सुविधा अनुसार नियम बनाकर हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप की उन्नति की सोच सकता है । उसको कितना गेहूं चाहिये, कितना चावल चाहिये, कितना क्या चाहिये ? किसान को कितना कितना चाहिये, क्या भाव फिक्स करना चाहिये ? यह सब उन पर छोड़

(श्री मूलचन्द डागा)

दीजिये। न कि सरकार अपने हाथ में लेकर एक विषय इसे बनावे और सारा गोलमाल करे। जब कि वह दूसरे काम भी अच्छी तरह से नहीं कर सकती।

तो मेरा प्रस्ताव यह है कि जो गलतियां गुज़रे ज़माने में आपने की थीं उनको मत दोहराइये, जिनकी वज़ह से हमें पश्चाताप करना पड़ा, जन लेखा समितियों ने बड़ी बड़ी रिपोर्टें लिखीं, कहा गया कि लाखों मन अनाज कीड़े मकोड़े खा गये। वे छोटे मोटे कीड़े नहीं होंगे, बड़े बड़े लोग जावेंगे और सारा गायब कर देंगे। यह होगा, हुआ था। कारण साफ है। हमारे में अभी राष्ट्रीय भावना नहीं जगी है। सरकारी कर्मचारियों में राष्ट्र के नाम पर काम करने की भावना नहीं जगी है कि मैं राष्ट्र का हूं, और राष्ट्र के लिये मर मिटना जानता हूं। आज भी उन कर्मचारियों में स्वार्थ की भावना अपना वक्त रखती है। इसलिये इस ट्रेडिंग के जो पहले के तजुर्बे हमारे हैं उन पर काम करना चाहिये, न कि नये तरीके अख्तियार किये जावें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में स्टेट ट्रेडिंग को लेकर जिस प्रकार की चर्चा चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि विषय यह इतना गम्भीर है कि इसके ऊपर यदि खुलकर वाद-विवाद किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरी यह खुश किस्मत है कि सदन में अब काफी समय भी बचा है और सिवाय मेरे व मावली से आने वाले सदस्य के अलावा और शायद बोलने वाला भी अब कोई नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्यों नहीं बोलेंगे ? बहुत बोलेंगे।

(अनेक आवाजें "हम बोलेंगे, हम बोलेंगे")

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपको बुलाना चाहते थे, इसलिये कहा है। खैर।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा लगता है कि आज संसार के कई प्रगतिशील देशों में जहां चन्द्रलोक की यात्रा की बात की जाती है, आये दिन समाचार-पत्र पढ़ते हैं, आज फलां जगह से स्पुतनिक छोड़ा गया, उसने इतनी यात्रा की, इसकी फी घंटा इतनी रफ्तार है, जब इस प्रकार की बातें हमारे देश के नागरिकों को सुनने को मिलती हैं तो यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि उस प्रगति की ओर वह कुछ जलन के स्वभाव से देखें। आज यह बात सही है कि हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं कि हम इस स्पुतनिक की दौड़ के अन्दर कुछ भाग ले सकें। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि हमारे देश के नेताओं ने इस स्पुतनिक की दौड़ में दूसरे प्रकार से भाग लेने की चेष्टा की है। समय समय पर रूस में स्पूतनिक छोड़ा जाये तो हिन्दुस्तान के अन्दर एक नारा लगाया जाये। दोनों कुछ बराबर से चलते हैं। हमारे देश में भी स्पूटनिक की तरह से एक नारा लगा, स्टेट ट्रेडिंग का। एक तरफ स्पूतनिक छोड़ा जाता है विज्ञान की प्रगति के आधार के ऊपर और हमारे देश में नारा दिया जाता है अपनी कमजोरियों को छिपाने की दृष्टि के आधार पर। आज यह कहा जाये कि स्टेटे ट्रेडिंग के बाद में कोई अव्यवस्था नहीं होगी, जनता को सस्ता अनाज मिलेगा और इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, ताज्जुब होता है कि उस सारी

(श्री मूलचन्द डागा)

व्यवस्था के लिए बजट में केवल १० लाख रुपये का प्रावधान रखा गया। तो कुछ ऐसा लगता है कि १० लाख रुपया केवल एक टोकन ग्रान्ट है। टोकन ग्रान्ट होने के नाते हमें यह स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि सरकार के सामने कोई योजना नहीं है। एक दिल्ली में नारा लगा था, हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने एक बात छोड़ी थी। अब उनके सामने खड़े होकर कोई कुछ कहेगा यह सम्भव नहीं है इसलिए उनको खुश करना जरूरी है और खुश उसी रूप से किया जा सकता है कि हमारे बजट के अन्दर कोई विचार योजना नहीं है, जिसके लिए कहें कि कोई वर्क आउट की हुई योजना है उसके आधार पर टोकन ग्रान्ट रखी जाये। कौन सी योजना है? किस ढंग से आपको इम्पलीमेन्ट करना है, कहीं कोई विचारबद्ध योजना है? मैं समझता हूं मेरा कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। माननीय खाद्य मंत्री जी स्वयं ही बता देंगे कि हमारी योजना क्या है। ऐसी स्थिति में जिसके बारे में विचार नहीं किया हुआ, जिस पर योजना नहीं बनाई हुई उस नीति को लेकर आगे चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दृष्टि के हमें पिछला अनुभव काम में लाना चाहिये। मैं स्वयं नहीं कहूंगा लेकिन मावली से आये हुए माननीय सदस्य एक बात को स्वीकार करेंगे और वह यह है कि सरकार और व्यापारी यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं कहता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति व्यापारिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो हमारी परम्पराएं हैं, हमारे देश के शासन की परम्पराएं हैं, हमारे कुछ मोटे मोटे सिद्धांत हैं उनके अन्दर इसका समावेश हुआ है कि सरकार को व्यापारिक मनोवृत्ति से अलग रखा जाये। यदि सरकार अपने हाथ में सारा व्यापार ले लेती है तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि खाद्यान्न के अलावा अन्य मामलों में सरकार जन हित की दृष्टि से न सोच कर व्यापारिक दृष्टि से सोचेगी। और यह भी एक ऐसी व्यापारिक संस्था बन जायेगी जिससे जनता के लिए परेशानी होगी। यही कारण है कि जब से कन्ट्रोल लागू हुआ उस समय से अब तक यदि सारे हिन्दुस्तान के नक्शे को देखें तो हिन्दुस्तान में जब से कन्ट्रोल लागू हुआ और उसके बाद में जो अनाज पड़ा था उसका क्रय-विक्रय हुआ। और जब आवश्यकता हुई और हमने अनाज खरीदा तो उस सारी खरीद में कितने ही लाख रुपये का घोटाला हुआ। राजस्थान में, ताज्जुब की बात होगी कि पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में इसका उल्लेख है कि ९ करोड़ रुपये के वाउचर्स नहीं मिले। एक करोड़ के नहीं, दो करोड़ के नहीं, तीन करोड़ के नहीं बल्कि ९ करोड़ रुपये के वाउचर्स नहीं थे। यह मैं नहीं कहता कि पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी में उसका उल्लेख है। इसमें लाखों रुपये का घोटाला है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अब तक जिस मशीनरी के आधार पर, हमने स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर कन्ट्रोल के समय में जो व्यवस्था की थी उसमें कितने सफल हुए हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाज़त से पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी की अब तक की जितनी भी किताबें हैं जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और इस कन्ट्रोल के विषय में सरकार की खाद्यान्न नीति के विषय में खाद्यान्न का किस प्रकार से प्रबन्ध सरकार ने किया है इसके विषय में जो जो आइटम्स लिखे हुए हैं उनका जिक्र करूंगा। अगर मेरे साथ उदारता के साथ समय के बारे में बर्ताव किया जाये तो मैं पांच मिनट में सदन के सामने

Page No 84

(श्री मूलचन्द डागा)

वह रिपोर्ट्स रख सकता हूं। इससे मालूम होगा पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के इस बारे में क्या विचार हैं। तो सबसे पहले सन् १९५३-५४ की जनलेखा समिति की रिपोर्ट है उसके बारे में बताऊंगा...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपके साथ समय की कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना सा निवेदन करूंगा, इसमें लिखा है :

"The Committee expressed strong dissatisfaction at a situation in which any officer, however placed, could refuse to render accounts of the public money entrusted to his charge." उसी के एक पेज पर लिखा है :

"The Committee were informed that the preparation of these stock accounts had now been taken in hand. In view of the fact that upto 31-3-1953, the withdrawals of the department exceeded its receipts by nearly 3.50 lakhs and the value of the stocks on that date, as roughly estimated by the departmental authorities, was Rs. 130 lakhs, this question assumes grave importance." यह है इसी कमेटी का पेज़ २६ जिसमें लिखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेकिन आपका कटमोशन तो चीप ग्रेन के बारे में है ?

श्री भैरोंसिंह : यहीं आ जाऊंगा। चीप ग्रेन इसलिए नहीं मिलता कि आपने स्टेट ट्रेडिंग का कन्फ्यूजन लोगों में पैदा कर दिया है। दूसरा है :

"Defalcation cases. The Civil Supplies Department, however, figures prominently so far as such cases are concerned. There are 22 cases involving over Rs. 2,22,000/- and none of these had been finalised uptodate despite the fact that some of these cases were many years old. The departmental proceedings were not instituted in time as required by Govt. rules and orders," इतना तो गबन हुआ है और ११ केसेज़ बने हैं :

"The Committee takes a serious view of the matters relating to this department and are constrained to observe that this is due to a more or less complete absence of any control or supervision by the Administrative department and would suggest that a thorough enquiry be conducted early in the running of this department...." यह तो है पहली रिपोर्ट। उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट है उसमें भी यह डिपार्टमेन्ट के सामने गया है और उसमें लिखा है :

The above irregularities which are very serious disclose a very sad and unsatisfactory state of affairs. It would be observed that whether it is the maintenance of accouts or transactions with third parties or the recovery of the arrears: on account of super-administration charges or the maintenance of stock accounts and verification of stores or any other matter relating to this department the conditions are extaemely disappointing." उसी के एक पेज पर लिखा है

(श्री भैरोंसिंह)

"The Committee however, noted with regret that at certain places vouchers worth crores of rupees were still lying in bundles and were not easily traceable that in the physical verification of foodgrains upto the year ending 31 st March, 1953, there was a shortage to the extent of Mds. 96,915-27 worth Rs, 16,10.577-9-7......"

जिसकी कीमत है १६,१०,५७७ रुपये। इस प्रकार की चीजें गायब हैं :

"......that disprep-encies were noticed during the reconciliation of amounts paid into and withdrawn from the treasuries had not been adjusted so far and that accounts for a sum of Rs. 1,29,00,000/- had not been rendered by subordinate officers even upto this day." यह तो हिसाब पेश नही किया है उसके बाद में तीसरी रिपोर्ट आती है सन् १६५५-५६ की उसमें भी इसी डिपार्टमेन्ट को क्रिटिसिज्म किया गया है जिसमें लिखा है।

"This department holds the distinction of having secured a prominent place in all the three Audit Reports so far laid before the House and examined by the Public Accounts Committee. Similarly it holds the distinction of having consistently deserved the serious attention of the Public Accounts Committees of the various.. years."......Inspite of the eritical attitude of the previous Committee in respect of the various matters relating to this Department, it is understood, little attention was paid to the toning up the working of the Department, as would be evident from the numerous defects and irregularities noticed by the Audit Department in the Accounts of the year 1952-53 which are enumerated in the Audit Report at pages 31 and 32". इस प्रकार से और भी इसमें कई बातें दी हुई हैं, लेकिन अन्तिम रिपोर्ट, मैं एक रिपोर्ट को छोड़ देता हूं, अन्तिम रिपोर्ट जो अभी जनलेखा समिति ने पेश की है वह रिपोर्ट इस बात का सुबूत है कि केवल सरकारी मशीनरी ही नहीं बल्कि सरकार को संचालन करने वाले व्यक्ति भी, जब उनके हाथ में इस प्रकार का काम आता है तो भी सारे नियमों का उल्लंघन कर किसी भी व्यक्ति को नाजायज लाभ पहुँचाने में नहीं हिचकिचाते। इस दृष्टि से इस प्रकार के आदेश जारी कर देते हैं जिनमें राजस्थान की जनता को केवल सौ डेड़ सौ का ही घाटा नहीं बल्कि लाखों रुपयों का घाटा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय मैं उसी के बारे में जनलेखा समिति की रिपोर्ट के पेज ४२ का थोड़ा सा आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। पेज ४२ पर लिखा है कि सचिव एवं उप-सचिव, नागरिक रसद विभाग की जानकारी में तो यह निर्णय था ही। मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठ भूमि समझा देता हूं, बाद में इसका कुछ हिस्सा पढ़ दूंगा। इसमें लिखा है कि १,७१,४४४ का नुकसान हुआ उसके बजाय यदि अनाज ६ रु. ८ आ. मन से बेचा जाता तो ३ लाख का लाभ होता। जो कीमत तय की गई थी वह उप सचिव नागरिक रसद विभाग की जानकारी में था और उनकी जिम्मेदारी थी कि मंत्री मंडल के उपरोक्त आदेशानुसार अनाज बेचने का समय पर प्रबन्ध करते। पेज ४२ पर जो कुछ

(श्री भैरोंसिंह)

लिखा है वह इस प्रकार है :

'सचिव एवं उप सचिव, नागरिक रसद विभाग, को तो जानकारी में यह निर्णय था ही, अतः उनकी यह जिम्मेदारी थी कि मंत्रि मंडल के उपरोक्त आदेशानुसार अनाज बेचने की समय पर कार्यवाही करते; किन्तु समिति की राय में इससे खाद्य मंत्री का दायित्व भी किसी तरह से कम नहीं होता। मंत्रि-मंडल में इस सम्बंध में किये गये वाद विवाद एवं उसके निर्णय से वे पूरे परिचित थे अतः उन पर इसका दायित्व अधिक हो जाता है, विशेष कर उस स्थिति में जब कि समिति यह समझने में असमर्थ है कि मंत्रि-मण्डल के नौ रुपये से लेकर दस रुपयों तक में माल बेचने के निश्चित आदेशों के बावजूद भी किन स्थितियों में और क्यों बगैर मंत्रि मंडल की पूर्व स्वीकृति के भाव घटाने का निर्णय लिया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय के वश में इस सम्बंध में की गई बैठक अनोपचारिक थी, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति अनाज के मामलों को निपटाने के लिए नियुक्त किया जाना नहीं पाया जाता। साथ ही यह भी नहीं मालूम होता कि अनाज के बेचने के सिलसिले में जो नियम हैं उनका पूरी तौर पर पालन न किये जाने की दशा में तत्कालीन सचिव, उप सचिव तथा संचालक अधिकारियों ने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया हो। भूतपूर्व रसद सचिव से इस बारे में ज़ानकारी लेने पर यह कहा गया कि सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो सका है। इसके लिए मंत्रि-मंडल की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि एक बार इस सम्बंध में मंत्रि-मंडल के आदेश हो जाने पर समिति की राय में दूसरे तरीके पर निर्णय लेने का अधिकार सिवाय मंत्रि-मंडल के किसी को नहीं था।

आगे इसका जो सार है वह चार लाइन में लिखा हुआ है जो इस प्रकार है "उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस अनाज को बेचने में सामान्य तरीकों तथा आवश्यक बातों का उल्लंघन किया गया है जो समिति की राय में स्वाभाविक नहीं है। अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इन मामलों की जांच कराई जाकर समिति को सूचित किया जाय, अच्छा हो यदि यह जांच हाई कोर्ट के एक जज़ द्वारा कराई जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि किस कदर गड़बड़ी हुई है। ५७-५८ की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति कांग्रेसी था, उसमें कांग्रेस का उल्लेख है, इसलिये सरकार ने कुछ अनाज खरीदा और झालावाड़ में खरीदा था, अनाज खरीदने का जो उन्होंने भाव बता दिया उस भाव पर अनाज खरीद लिया लेकिन सरकार को उससे घाटा हुआ। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है कि वह कांग्रेसी था उन्होंने इतना भाव बता दिया, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। ऐसा लगता है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था स्टेट ट्रेडिंग होने पर जो लोग उनके दल के होंगे उनकी हिमायत की जायगी, यह बात समझ में आ सकती है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अब तक तो सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स रखती थी अब यदि सरकार ने अनाज का व्यापार अपने हाथ में

(श्री भैरोंसिंह)

ले लिया तो वह एक समस्या के रूप में खड़ा हो जायगा। अन्न की समस्या तो आज भी है और उसके साथ ही साथ सरकार भी समस्या बन कर समाधान के लिये प्रस्तुत होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा उपाय करे जिससे अनाज के व्यापार पर नियंत्रण हो जाय, अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस चीज के लिये जनता मांग करती है वह सस्ता अनाज नहीं मिलेगा। अशोक मेहता ने जो रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की थी उसमें अच्छे सुझाव थे उनको सरकार स्वीकार करती और रेट फिक्स करती और यह तय करती कि ऊंचे से ऊंचे भाव क्या हो सकते हैं और नीचे से नीचे भाव क्या हो सकते हैं। इसके बाद भी यदि इन भावों में ज्यादा फर्क आने लगे तो उसका नियंत्रण सरकार को करना है। उसके लिये सरकार एक बोर्ड बनाकर एक व्यापारिक नीति निर्धारित कर सकती है जिसमें मुनाफाखोरी का दृष्टिकोण न हो। अगर व्यापारी की तरफ मुनाफाखोरी का दृष्टिकोण हुआ तो व्यापारिक मनोवृत्ति में जकड़ जायेंगे। दृष्टिकोण यह हो कि जनता को अनाज दिलाना है। यदि भाव मंहगा है तो नियंत्रण करने के लिये सरकार यदि व्यापार में प्रवेश करती है तो कर सकती है। जयपुर में एक उद्योगपति हैं जिनका नाम शायद आप सबने सुना होगा वे है सेठ सोहनलाल दूगड़। ये अगर बाजार में जाकर चांदी खरीदने लगते हैं तो चांदी का भाव मंहगा हो जाता है और यदि वे चांदी बेचना शुरू करते हैं तो भाव गिर जाता है, एक आदमी यदि सारे देश के चांदी सोने के भावों का नियंत्रण कर सकता है तो मैं समझता हूं सरकार के लिये कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बफर स्टाक बनाया जा सकता है। सीजन के ऊपर अनाज खरीद कर स्टाक मेन्टेन किया जा सकता है। अगर बाजार में अनाज की रेट नीची जाती है तो अनाज रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है और यदि भाव ऊंचे होने लगते हैं तो सरकारी गोदाम में से अनाज रिलीज करने से बाजार में अनाज मंहगा नही होगा। इससे व्यापारी ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते और काश्तकारों को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। सरकार को चाहिये कि राजस्थान में एक इस प्रकार की पर्मानेन्ट व्यवस्था करदे, एक बोर्ड कायम करदे जो सारी दुनिया की कीमतों का प्राइस इन्डेक्स सामने रखकर दूसरी चीजों की कीमत कितनी घटती बढ़ती है उनको देखते हुए हर सीजन में गल्ले की ऊंची से ऊंची और नीची से नीची रेट तय करदे। और यह तय करदे कि सरकार को अनाज खरीदना है। इस रेट पर बफर स्टॉक मेन्टेन किया जायगा और जब चाहेंगे रिलीज़ करेंगे। जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि रबी क्रोप बहुत अच्छी हुई है, यदि इस आशा में रहें और सारी व्यवस्था ढीली करदी गई यह सोच कर कि गेहूं, जौ वगैरा काफी पैदा होगा और अनाज की समस्या हल होगी, तथा अल्प वेतन वालों को तनख्वा ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ेगी यदि इसमें ही रहे तो इस साल ३० रु० मन गेहूँ का भाव हो गया था, लेकिन आगे चलकर अनाज बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। सरकार को सारी स्थिति को सामने रख कर पर्मानेन्ट व्यवस्था करनी पड़ेगी और यदि पर्मानेन्टली अनाज के भाव पर कंट्रोल करने की चेष्टा की तो हम सफल हो सकते हैं।

अब सवाल आता है टैक्सेशन इन्क्वायरी

(श्री भैरोंसिंह)

का इस कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उसमें स्टेट ट्रेडिंग का उल्लेख आया है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अनाज से सारी सरकारों को घाटा हुआ है, टेक्निकल आदमी ट्रेन्ड नहीं थे इसलिये घाटा हुआ है। हिन्दुस्तान में इस प्रकार की परम्पराएं है कि एक क्लास व्यापार करती आई है, बाकी लोग दूसरा धंधा करते आये हैं तो जिसके संस्कार व्यापार करने के हैं वे ही मुनाफा उठा सकते हैं। आज यदि मुझ से कहा जाय व्यापार करने के लिये तो निश्चय जानना चाहिये कि घाटा होगा। और जो व्यापारी काम करने वाला है उसको घाटा नही होने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग जैसे मसले को छोटासा मसला समझ कर यदि चलाने की कोशिश करेंगे तो व्यवस्था होने वाली नहीं है। सरकार को चाहिये कि छोटे छोटे क्षेत्रों में भी चीफ प्राइस शोप्स कायम करे और इस एजेन्सी की मार्फत अनाज की बिक्री करावे और मैं समझता हूं इस प्रकार से बिक्री होती रही तो किसी भी प्रकार का घाटा होने वाला नहीं है। हर जगह आज अनाज की दो प्रकार कमी आती है, एक आती है, अगर लोगों की पर्चेजिंग पावर कम हो, दूसरी इसलिए आती है कि अनाज कम होता हो। कई प्रकार के अकाल हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे हुए कि लोग अनाज खरीद नहीं सकते थे अनाज बाजार में पड़ा रहता था। दूसरे प्रकार का अकाल यह होता था कि अनाज नहीं है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। उस स्थिति में सरकार को चाहिए कि अगर एक तरफ पर्चेजिंग पॉवर पर्चेजिंग केपेसिटी में कमी हो, तो लोगों को इस प्रकार की सब्सिडी दे, ताकि अनाज सस्ता मिले। इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जिन लोगों को ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिलती हैं, वे अधिक फायदा न उठायें। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन दोनों व्यवस्थाओं के मुकाबले में यह व्यवस्था हुई कि जिनको अनाज मिलना चाहिए, जिनकी पर्चेजिंग पॉवर कम हो गई हैं, उनको अनाज नहीं मिलेगा। सरकार में इस प्रकार के तत्व हैं, जो पैसे वाले हैं, वे उन दूकानों पर जाकर अनाज खरीदेंगे और गरीबों का नम्बर नहीं आ सकेगा

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

जो प्रभावशील व्यक्ति हैं, वे क्यू से आगे जाकर अनाज ले आयेंगे, गरीब व्यक्ति क्यू में खड़ा रहेगा, जब उसका नम्बर आयेगा, तब कहा जायगा कि १० बोरी खत्म हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष, अगर इजाज़त हो....

श्री उपाध्यक्ष : इजाज़त काफी हो चुकी है। २० मिनट हो चुके हैं, पांच मिनट पुस्तकों के लिए काट दिये।

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनिट और दें।

कुछ माननीय सदस्यों ने पंच वर्षीय-योजना की ओर संकेत किया कि जिन्होंने पंच-वर्षीय योजना को स्वीकार कर लिया है, हम इस बात के लिए मजबूर हैं कि उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग के प्रिन्सिपल को स्वीकार कर लिया है। यह ठीक है कि पंच वर्षीय योजना में स्टेट ट्रेडिंग के लिए लिखा है लेकिन कुछ सलेक्टेड कामोडिटीज़ के लिए है। उसमें यह जिक्र नहीं है कि फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग करने वाले हैं। यह हो सकता है कि इस पर

(श्री भैरोंसिंह)

उस समय विचार हुआ हो, लेकिन वह विचार स्पष्ट नहीं था। इस वर्ष अनाज की कमी हुई, उसको लेकर सारी चीजों के दोष व्यापारियों के ऊपर मंढ़ने की दृष्टि से और स्वयं बचने की दृष्टि से स्टेट ट्रेडिंग की बात हमारे सामने रखी जाती है। हम चाहते हैं कि जितनी बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं, उनको नेशनेलाइज़ किया जाय, यह काम नहीं होता लेकिन गल्ले के व्यापार को सरकार नेशनेलाइज करेंज़, उसे हाथ में ले, तो यह किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। इस प्रकार सरकार के लिए तो घाटे का सौदा होगा ही, लेकिन जो रेटस काश्तकार के पास कन्जयूमर के थ्रू जा सकती हैं, व्यापारी के पास होकर जा सकती है, उसमें और सरकारी मशीनरी के थ्रू जाने वाली रेटस में अन्तर रहेगा। जो सरकारी खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर, उसके आधार पर कोस्ट लगाई, ट्रान्सपोर्टेशन की कास्ट लगाई तो चीज और मंहगी होगी। इसलिए मैं मानता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जल्दी से जल्दी एक कमेटी बनावें उस कमेटी के अन्दर एक्सपर्टस रखें, जो एक्सपर्टस सारी चीजों को देख कर, भावों को देख कर, राजस्थान के लिए रेटस फिक्स अप कर दें। वह सरकार को यह भी एडवाइस दे कि किस समय भाव गिरने वाले हैं, किस समय अनाज सस्ता होने वाला है, किस समय हानि होने वाली है। उस सरकारी मशीनरी से सरकार को सारी सूचनायें मिल जाय और उस के बाद सरकार बफर स्टाक में वृद्धि करने के लिए, बफर स्टाक को रिलीज करने के लिए निर्णय ले और चीज ग्रेन शाप्स के मार्फत गल्ला जनता तक पहुँचाये, तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती है।

दूसरी बात एक मिनट में कहना चाहता हूं। अशोक मेहता इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख आया है कि हमें खाने की आदत में परिवर्तन करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि कुछ माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि हम आज जो अनाज खाते हैं, वह ज्यादा खाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमें भूखे रहना चाहिए लेकिन आप किसी खेत में या किसी कुए पर काश्तकार के पास जाकर बैठें तो आप देखेंगे कि अगर उसके पास दूध, दही या छाछ है तो वह अपना काम दो तीन रोटी में चला लेगा लेकिन यह प्रत्यक्ष बात है और कोई भी देख सकता है कि जिसके पास दूध नहीं है, दही नहीं है, छाछ नहीं है, वह सूखी रोटी खायगा लेकिन तीन की जगह छः खायगा। यह चीज मानी हुई है, इसका अनुभव किया है इस स्थिति के अन्दर इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। कि हमें खाने के साथ साथ कुछ दूसरे फूड तैयार करने चाहिए। हिन्दुस्तान की अच्छी किस्म है कि हमारे यहां पशु धन को महत्व दिया गया है, गो धन को महत्व दिया गया है। यह बदकिस्मती है कि इस शासन के सत्तारूढ़ होने के बाद गो-धन खत्म हो गया है जो सब्सटीट्यूट फूड हमारे यहां बहुतायत में प्राप्त होता था, उसको नष्ट करने की चेष्टा की है और अन्न का कन्ज्यम्पशन काश्तकारों में बढ़ा है और जो रिच डाइट गो-धन के कारण मिल सकती थी वह नहीं मिल पा रही हैं, इसलिए लोगों को मजबूर होकर अन्न ज्यादा खाना पड़ता है। इस स्थिति के अन्दर अन्न के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इस सारी स्थिति को रख कर मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से विचारधारायें प्रस्तुत की गई हैं, स्टेट ट्रेडिंग या

Page No 90

(श्री भैरोंसिंह)

विरोध किया गया है, इन सब के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर, सारे तथ्यों के आधार पर सरकार निर्णय लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे राजस्थान सरकार की, जनता की भलाई होगी। यह विचार रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : will please move both the cutmotions.

श्री पी० के० चौधरी : I will move within two minutes.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन एक साथ मूव होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : This is another one to discuss the purchase and distribution of Rabi seeds.

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले मूव कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : He has moved from the same Head ?

श्री भैरोंसिंह : सेम हैड में है।

श्री पी० के० चौधरी : They are not placed together.

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो सैकिंड कट मोशन है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Have you closed the debate on the first motion that was moved ?

श्री उपाध्यक्ष : No, No. You yourself are debating on the issue You will have a chance when you may support it.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कट मोशन है रिगार्डिंग पर्चेजिंग एन्ड डिस्ट्रिब्यूशन आफ रबी सीड्स, उसको मैं मूव करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिस्ट्रिब्यूशन आफ सीड्स हुआ था, रबी कम्पेन में, इसके अन्दर जो डिस्क्रीपेन्सीज़ थीं, जिस ढंग से यह हुआ था, इस कट मोशन के द्वारा मैं उसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रबी कम्पेन के दौरान में जो भी सीड डिस्ट्रिब्यूट किया गया, जो पंजाब का खराब वीट था, जिसको डिस्ट्रिब्यूट किया गया। उसमें लगभग ६० पर्सेन्ट ७० पर्सेन्ट ठीक था, लेकिन बाकी का यूजलेस सीड था। मेरा सुझाव है सीड डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में, वह यह है कि इस ढंग के सीड के डिस्ट्रिब्यूशन का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाता है सीड डिस्ट्रिब्यूशन के लिए और आम तौर से किसान जो सीड रखते हैं, वह उस सीड को बेच देते हैं और इस उम्मीद में बैठते हैं कि सरकार से अच्छा सीड मिलेगा लेकिन असल में अच्छा सीड नहीं मिलता है और किसान खुद का सीड बाजार में बेच देता है, तो उनको बड़ा

Page No 91

(श्री भैरोंसिंह)

नुकसान होता है। इसलिये गवर्नमेंट की सीड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, उसके लिए मेरी तो राय है कि अच्छे सीड को गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करें और सलेक्टेड एरिया में करें।

दूसरी बात यह है कि सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत के जरिये किया है। कुछ मिसाले ऐसी आई है, उनमें से दो मिसालें सवाल के ज़रिये पेश की थीं। जो सरपंच छत्रपुरा पंचायत, कोटा डिविज़न में है, उसने ६०० मन सीड लेकर बाजार में बेच दी थी जितने अपनी सोसायटी के आदमी हैं, उनके, सारे के सारे आदमियों के अंगूठे दिये थे। इन्सीडेन्ट ऐसा हुआ था कि जितने आदमी सोसाइटी के मेम्बर बने, उन्होंने १० रुपया नहीं दिया था तो कहा कि अंगूठा लगा दो। सीड १०, १२ रुपये के भाव से बाजार में जाता था तो स्टेट सीड को बाजार में बेचा था, पता नहीं गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया या नहीं। तो मेरा मत है कि इन्डिस्क्रिमिनेटली सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके जो इम्प्रूव्ड सीड है उसको डिस्टीब्यूट करें और उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मार्फत डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके अलावा कई इन्स्टेन्स ऐसे भी आये हैं कि पंचायतों की तरफ से डिमान्ड आई कि हमको २००० मन सीड चाहिये। उनको डिमान्ड के माफिक सीड उनको पहुंचा दिया पर यूज नहीं किया गया और बाद में पूछा तो कहा कि हमने तो यूज नहीं किया वापिस ले जाओ। तो इस तरह डबल ट्रान्सपोर्ट चार्जेज़ का खर्चा उस पर बढ़ गया। मेरा सुझाव है कि सीड डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है वह इम्प्रूव्ड सीड के लिये ही रखनी चाहिये और इसके डिस्ट्रिब्यूशन की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर रेस्पोन्सिबिलिटी रखनी चाहिये। इन्डिस्क्रिमिनेटली इसका डिस्ट्रीब्यूशन न हो, ऐसी गवर्नमेंट व्यवस्था करे। यही मुझे इसमें कहना है।

४.१ म० प०

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)
(श्री मदनसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : अभी तो कुछ और अमेंडमेंट्स हैं श्री जगदीशप्रसाद माथुर का एक है, डॉ० चन्द्रकला का और पी० के० चौधरी का। आप पेश नहीं करना चाहते ?

श्री पी० के० चौधरी : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलिये।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, सदन के समक्ष अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में चर्चा चली और कईयों ने अपनी राय इस सम्बन्ध में प्रकट की कि सरकार को अनाज का व्यापार, अनाज की दुकानें, अपने हाथ में लेनी चाहिये। और इसके साथ ही कई माननीय सदस्यों ने जिनमें एक मैं भी हूं, जो इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि सरकार को अनाज की दुकानें अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिये। अनाज की दुकानों को अपने हाथ में लेने का सरकार ने कारण यह दिया है कि देश में अनाज कम पैदा हुआ, राजस्थान में भी कम पैदा हुआ, इसलिए कमी रही। एक कारण तो यह दिया है, दूसरा कारण यह दिया कि बनिये स्टॉक करते हैं। उधर तो कहते हैं कि अनाज कम पैदा हुआ और इधर कहते हैं कि बनिये स्टॉक करते हैं और तीसरी बात यह कही जाती है कि अनाज बाहर जाता है।

(श्री मदनसिंह)

तो ये तीनों परस्पर विरोधी बातें हैं । अनाज अगर पैदा नहीं हुआ तो उसका स्टॉक कैसा ? पैदा नहीं हुआ तो बाहर क्या निकाला, कैसे निकाला । तो ये तीनों बातें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरी बात से मेल नहीं खाती । तो इससे ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि किसी दूसरे पर इसका इल्जाम लगा कर हम सारी चीजें हाथ में ले लें और यही देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि दिन पर दिन सरकार हर चीज़ अपने हाथ में लेती जा रही है । यह सरकार की पॉलिसी है न कि नाज की कमी, पर दूसरों को बुरा बता कर इस तरह व्यापार हाथ में लिया जाता है तो यह अच्छी चीज़ नहीं है ।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, आज हिन्दुस्थान में हर एक को मालूम है कि किसानों से जागीरों और रियासतों के टाइम में अनाज लिया करते थे, पैसे नहीं लिया करते थे तो इस तरह राजाओं और जागीरदारों के पास बफर स्टॉक रहता था और वह अनाज शहर में बेचते थे जिससे अनाज का भाव संतुलित बना रहता था अगर व्यापारी अनाज मंहगा भी करते तो यह अनाज बाजार में पहुँच जाता था और इस बफर स्टॉक के कारण अनाज महगा नहीं हो पाता था । पर इसी पार्टी ने देश के अन्दर बड़ा आंदोलन किया और यह सिद्ध किया कि जो अनाज पैदा करता है उससे अनाज नहीं लिया जाय, इसीलिये सेटलमेंट रेट्स मुकर्रर हुईं । आज उसी पार्टी की सरकार उस सिद्धान्त को तोड़ती है और किसान जो स्वतन्त्रता से अनाज बेच सकते थे वह आप अपने हाथ लेना चाहते हैं और दुनियां को बताना चाहते हैं कि हम ठीक इन्तजाम कर सकते हैं, तो यह तो वही जागीरदारों और राजाओं के जमाने वाली बात हुई ।

किसान यह आशा कर रहा था कि अगर मैं स्वतन्त्र होऊंगा तो अपने अनाज को अपनी इच्छा के माफिक बेचूंगा । श्री भैरोंसिंहजी ने बफर स्टॉक के बारे में सुझाव दिया है, उस सुझाव को लेकर व्यवस्था करना चाहते हैं तब तो ठीक है नहीं तो मैंने तीन बातें बताईं कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि व्यापारियों ने गड़बड़ी की, इस कारण अनाज मंहगा हुआ, इसलिये सरकार यह अनाज का व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है और दूसरी बात सरकार यह कहती है कि अनाज बाहर निकाल दिया, होर्डिंग कर लिया और तीसरी बात यह कहती है कि अनाज पैदा नहीं हुआ इसलिये कमी हुई तो ये तीनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती ।

व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि अनाज उस समय भी काफी था और इस समय भी काफी है, व्यवस्था के नियम यदि तगड़े हों तो व्यापारियों के पास अनाज रहते हुए भी रेट्स मुकर्रर किये जायं तो अच्छी तरह से प्रबन्ध हो सकता है । आज सोने जैसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करने देते, बाहर जाने से रोके रखते हैं तो फिर अनाज को रोक रखने की कौनसी बड़ी बात है । इस तरह हर चीज़ को अपने हाथ में लेने की बात वह करता है जिसके हाथ में पॉवर नहीं हो । अनाज भी मैं ही बेचूंगा क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है, प्रबन्ध करने की ।

यदि सरकार इसी पर तुली हुई है तो मैं मन्त्री महोदय को सुझाव दूंगा कि अगर

Page No 93

(श्री मदनसिंह)

आपके यह जंची हुई ही है तो फिर अनाज के साथ साथ मिर्चा का व्यापार भी शुरू करिये, धनिये का व्यापार भी करिये, इनकी भी कमी आने वाली है, हल्दी नमक, तेल इनकी भी कमी आने वाली है, इनका भी व्यापार शुरू कीजिये। जनता के पास किसी भी प्रकार का साधन न छोड़िये कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके।

आज बिड़ला जैसे का व्यापार सरकार अपने हाथ में लेती तो सब सरकार की सराहना करते पर गांवों में दो दो मन अनाज बचाते हैं उनके लिये सरकार कह रही है कि ये लोग होर्डिंग करते हैं। अगर लोग अनाज कोचोरी से छुपा लेते हैं और सरकार को पता नहीं चलता है तो यह सरकार की कमजोरी है, इस तरह से तो सरकार अनाज की व्यवस्था किस प्रकार करेगी?

अभी सारा हिन्दुस्थान जानता है कि आपकी व्यवस्था कैसी है, जो अपने खुद के कपड़ों की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरों के कपड़ों की क्या रक्षा करेगा?

मन्त्री खाद्य एवं रसद् विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : आपके जैसा इन्तजाम हो कि दूसरों के कपड़े भी उतार लें?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : हमारे इन्तजाम में कपड़े उतार कर ठंड के टाइम में वापिस तो दे देते थे, आपके इन्तजाम में कपड़े उतार कर वापिस भी नहीं देते कहते हैं भाई हमारे पास क्या धरा है?

(अनवरत हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेवी किस जमाने की है?

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि तीन पीढ़ी का इन्तज़ाम कर रहे हैं, अनाज का प्रबन्ध करके। मेरा यह निवेदन है कि अगर आपको यह व्यवस्था आपके हाथ में लेनी ही है फूड ग्रेंस या स्टेट ट्रेडिंग करना ही है तो आप किसी तरह का बहाना न बना कर कानून बना दें। कभी बनियों पर लांछन लगाते हैं और कभी कहते हैं भारत सरकार हमें इस तरह करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिये घोटाला हो रहा है। अनाज को बाहर मत जाने दीजिये, और दो चार वर्ष में अन्दाज लगे कि इससे ठीक भाव हो सकते हैं तो इस योजना के माफिक आप काम कर सकते हैं। स्टेट ट्रेडिंग के लिये जिस तरह बनियों पर इल्ज़ाम लगाया कि होर्डिंग करते हैं बाहर भेजते हैं, गड़बड़ी करते हैं उसी तरह कल किसानों पर आप लांछन लगायेंगे कि किसान अच्छा अनाज पैदा नहीं करते, इसलिए स्टेट खुद हल चला कर पैदा करे तो अच्छा अनाज पैदा हो सकता है। तीन पर लांछन लगा है। ठीक है इसकी कोई बात नहीं। कल यह भी कहेंगे कि जितने भी काश्तकार हैं वे अनाज ठीक तरह से पैदा नहीं करते। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब से सरकार अनाज का काम हाथ में लेगी किसान कम अनाज पैदा करेंगे, खाने जितना पैदा कर लें और दूसरी चीजें पैदा करें। पपीता आदि चीजें हैं, किसान पपीता लगायगा, फिर अनाज को छोड़ कर पपीता का ट्रेडिंग आपके हाथ में आजायगा। मुझे निश्चित रूप से मालूम है वार टाइम में पूरा कन्ट्रोल अनाज का सरकार के हाथ में था तो मध्यभारत के किसानों ने यह कर दिया

(श्री मदनसिंह)

था कि केवल एक साल खाने का अनाज पैदा करते और फिर दूसरी चीजें पैदा करते। इसी तरह से जब गवर्नमेंट वास्तव में इसका कन्ट्रोल हाथ में लेगी तो निश्चित रूप से आपको और हमको मालूम होगा कि वास्तव में क्या है ? क्योंकि किसानों के दिमाग में यह आयगा कि इतना ही पैदा करो, जहां कि गवर्नमेंट अपने पास से इस प्रकार से अनाज न ले सके। तो फिर निश्चित रूप किसानों पर इल्ज़ाम लगाया जायगा कि किसानों का अनाज पैदा करने का ठीक तरीका नहीं है, बस सरकारी टेक्टर्स चलेंगे और कोआपरेटिव बेसिस पर सरकारी नियंत्रण रहेगा और जितना काम किया उसको उतना पैसा दिया जायगा। स्टेट ट्रेडिंग भी उसी हालत में होगा जब स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ज़ होगी। इसमें भी सन्देह है कि इसकी घोषणा तो कर दें लेकिन ठीक प्रकार से वितरण कर सकते हैं या उत्पादन करा सकते हैं तो इस तरह से यह होगा कि जिस तरह से आज व्यापारियों के हाथ से अनाज का व्यापार छीन रहे हैं उसी प्रकार से किसानों के हाथ से भी उन पर उत्पादन पूरा न करने का इल्ज़ाम लगा कर उनके पास से खेती छीन ली जावेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ठंडे दिमाग से विचार होना चाहिये। यह एक नई चीज़ है। इस तरह से लाखों की जान की बाजी खेली जाय यह उचित नहीं है। वैसे इस गवर्नमेंट के लिए यह नई चीज़ नहीं हैं, लाखों की जानें गई, लाखों का माल लूटा है और आखिर यही सबसे बड़ा कारण होगा कि किसान ठीक तरह अनाज पैदा नहीं कर सकता है इसलिए जमीन इन्डिविजुअल बेसिस पर नहीं रह सकती, और वह कोऑपरेटिव बेसिस पर हो। इस अनाज के थोक व्यापार को हाथ में लेकर सरकार इस प्रकार से दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहती है कि इधर तो व्यापारियों के हाथ से यह व्यापार छीन ले और उधर काश्तकार को कह देगी कि ठीक खेती नहीं कर रहे हो इसलिए कोऑपरेटिव बेसिस पर होगी। जब इन्डिविजुअल काश्त नहीं रहेगी। मैं इन तरीकों का विरोध करता हूं

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस हैड के नीचे स्टेट ट्रेडिंग का जो रखा गया है उस स्टेट ट्रेडिंग से गवर्नमेंट की मंशा क्या है ? वह स्टेट ट्रेडिंग कैसा हो ? क्या यह स्टेट ट्रेडिंग ८ लाख का जो बजट रखा गया है जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, मलेरिया कन्ट्रोल, रबी खरीफ आदि, सब शामिल है उससे यह सम्भव हो सकेगा ? क्या सरकार स्टेट ट्रेडिंग के नाम से ट्रेड करना चाहती है इसको अपने हाथ में लेना चाहती है, वही स्टेट ट्रेडिंग है, जो कि हम अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार ग्रेन का स्टेट ट्रेडिंग अपने हाथ में लेना चाहती है, यदि वही यह है कि जैसा माननीय सदस्य ने संकेत किया कि ८ लाख के बजट से स्टेट ट्रेडिंग कैसे होगा ? जब वह स्टेट ट्रेडिंग नहीं है जो कि अखबारों में पढ़ रहे हैं तो बात दूसरी है। रबी का बीज़, फर्टीलाइजर्स, मलेरिया कन्ट्रोल के लिए भी यह रखा गया है उनको खरीदना और डिस्ट्रिब्युशन करना। लेकिन स्टेट ट्रेडिंग जिसके लिए अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं, चीप ग्रेन लेना, इकट्ठा करना और बेचना, डिस्ट्रिब्युशन भी करना

Page No 95

(श्री अनोपसिंह)

उसके साथ, यदि इसका मतलब यही है तो बड़े संकट की चीज़ हमारे लिए हो जायेगी। मुझे आपको याद दिलाते हुए कोई खास खुशी नहीं हो रही है कि बहुत अर्से पहले जब लड़ाई के वक्त और बाद में धान की लेवी लेकर गवर्नमेंट उसको बेचा करती थी, सस्ते गल्ले की दूकानों के थ्रू और इकट्ठा करती थी अपने गवर्नमेंट कर्मचारियों के थ्रू गवर्नमेंट मशीनरी के थ्रू कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के थ्रू और अलग अलग शोप्स, पर बेंचा करती थी यदि वही सिस्टम वापिस शुरु हो गया तो यकीन मानिये कि देहात में खास कर किसानों में निराशा का वातावरण फैल जावेगा जिसको शायद आगे जाकर दूर करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियेन्सेज़ हैं। जब हमारी तहसील में लेवी लगाई गई थी तो लोग सोचा करते थे कि कम से कम इससे बचने का तरीका बता सके, ज्यादा से ज्यादा बचने का मौका दे सके उस जैसा भला आदमी कोई नहीं। किसी तरह से बचना हैं तो लेवी से बच जाओ, चाहे तहसीलदार या कलेक्टर साहब को कुछ देना पड़े, चाहे पंचायत को पटवारी को ही कुछ देना पड़े, किसी तरह से दे दिला कर बच जाओ। क्यों डरते थे लोग ? एक तरफ तो गवर्नमेंट लेकर बेंचती थी। और वह खुद किसान बेंचता था दोनों में काफी अन्तर था। जो किसान को मार्केट प्राइस मिल सकती थी वह गवर्नमेंट प्रोक्योमेंन्ट प्राइस से नहीं मिल पाता था। दोनों में, मार्केट प्राइस में और प्रोक्योमेंन्ट प्राइस में, काफी अन्तर था। किसान खुद महसूस करते थे कि हम मेहनत से तो कमाते हैं उसका उसको फायदा नहीं मिलता। गवर्नमेंट सस्ते भाव में प्रोक्योर्मेन्ट के रूप में लेकर बेंचती थी। इससे किसान को हार्ट-बर्निंग होती थी। रास्ते चलते कोई तहसीलदार आगया या और कोई सरकार का आदमी आगया वही लेकर इस प्रकार अनाज चला जाय, इससे उनको बड़ा दुःख होता था और एक तरह की निराशा सी उनके दिल में रहती थी। जब उसको अनाज की जरूरत पड़ती तो कोई उसको नहीं देता, देते तो सड़ा गला। और वह भी वक्त पर नहीं। इससे किसान बड़ा दुःखी और परेशान अपने को महसूस करता था। जबरदस्ती से उसके पास न होते हुए भी उससे ली जाती थी और कहा जाता था कि नहीं तुमको इतना देना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह उसको तुलवाने के लिए भी जाना पड़ता था। जो एजेन्ट थे वे कमीशन लेते थे और तोलने में इतना घोटाला होता था कि कोई अन्दाज नहीं, मेरे सामने एक दफा चेक हुआ और मैंने वापिस धान किसान के पल्ले में डलवाया। इसलिए मैं कहूंगा कि लेवी के नाम से किसानों में जो निराशा का भाव आयगा उसको आप आगे फिर मुश्किल से ही मिटा सकेंगे। एक तरफ तो कहते हैं कि तुम्हारा यह फर्ज है कि देश के लिए खूब पैदा करो और दूसरी तरफ प्रोक्योरमेन्ट प्राइसेज़ पर उसके धान को ले लेते हो, कम तोल पर भी। जब उसको अनाज की जरूरत होती है तो उस बेचारे किसान को कोई भी सहायता नहीं देता। उन एरियाज़ को भी देखिये जहां तीन चार साल में जाकर कहीं अच्छी फसल होती है। वे लोग तीन चार साल के लिए खाने के लिए अनाज रखते हैं। लेकिन उन लोगों पर यह लेवी लगादें कि नहीं तुमको देना पड़ेगा तो बताइये उनकी सहायता के लिए कौन जावेगा, कोई नहीं, वक्त पर कोई नहीं पूछेगा।

(श्री अनोपसिंह)

और मान लीजिये कुछ पैदा नहीं हुआ तो वैसी हालत में क्या सरकारी कर्मचारियों के दरवाजे खट खटायेंगे तब क्या उसके बच्चों को वह मर जाने देगा इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि किसानों को दर दर का भिखारी बना कर के उसकी चीज़ आप लेना चाहते हैं चाहे उसके बाद उसको कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात और हो नहीं सकती। जो बेचारे पैदा करते हैं वे तो भूखों मरेंगे और होगा क्या कि सरकारी कर्मचारी हैं उनके बंगले खड़े हो जायेंगे और वे मालोमाल हो जायेंगे। वे सोचेंगे अबतो लेवी का तरीका आ गया है जितना कमाना हो कमा लिया जाना चाहिये। जब राजस्थान के सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की बात सुनेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी वे यह भी सोचेंगे कि अब तो रिश्वतखोरी का बाज़ार खूब गर्म होगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जो किसान अपनी मेहनत से कमाता है क्या आप उसको दबा कर रखना चाहते हैं? स्टेट ट्रेडिंग का अगर मतलब यही है कि प्रोक्योरमेंट किया जायगा फूड ग्रेन्स का तो समझिये बड़ा मुश्किल हो जायेगा। मान लीजिये आप तो उनसे जो भाव आप फिक्स्ड करेंगे उसके अनुसार लें लेंगे, आपने कभी यह भी सोचा कि जब किसान को लोहे के सामान की या सीमेंट के सामान की आवश्यकता होती है कपड़े की आवश्यकता होती है, उस समय उसको जो बाजार भाव होता है उसके अनुसार लेना पड़ता है वैसी हालत में जब उसको अपनी आवश्यकता की चीज़ों की प्राप्ति के लिये बाज़ार के भावों पर आश्रित रहना पड़ता है तो आप उसकी ऊपज जो वह बहुत मेहनत से पैदा करता है उसके भाव निर्धारित कर लेना चाहते हैं, तो यह कहां का न्याय है? उसको अपनी पैदावार ज्यादा से ज्यादा पूंजी पर बेचने का क्यों अधिकार नहीं है चाहे उसकी बला से शहर के लोग भूखों मर जाय क्यों नहीं शहर के लोग भी उनको अपना माल सस्ते कीमत पर देते हैं। जो मेहनत से पैदा करता है अपने बीज के लिये रखता है अकाल की अवस्था में वह बचा कर रखता है तो आप उस पर अधिकार क्यों करना चाहते हैं।

आप कहेंगे कि किसान बनिये के पास जाता क्यों है? वह इसलिये जाता है कि उसकी आवश्यकता की तमाम चीज़ों को आप पूरा नहीं कर सकते। आपके यहां कोई कपड़े की दूकान नहीं, सीमेंट की नहीं जो सस्ते भाव पर उसको सीमेंट या कपड़ा दे सके इसके अलावा आपके पास वक्त बेवक्त जो पैसे की जरूरत आ जाती है उसको पैसा देने की व्यवस्था नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रूल्स और रेगुलेशन्स ऐसे हैं जिसके कारण जब चाहो तब उसको पैसा नहीं मिल सकता। मान लीजिये उसकी लड़की की शादी हो या उसके वृद्ध पिता की मृत्यु पर कफन चाहिये उसके लिये सोसाइटी कर्जा नहीं देती वैसी हालत में उसके लिये लाज़मी हो जाता है कि वह बनिये के पास जाय, वह उससे दब कर जाता है और अपनी गरज से जाता है, उस वक्त वह भी उससे एक का डेढ़ ले लेता है, क्योंकि इसके लिये आपकी व्यवस्था नहीं उसको लेना पड़ता है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा हर चीज़ के अन्दर जब तक स्टेट ट्रेडिंग न हो जाय केवल धान के लिये क्योंकि वह शहरों में पैदा नहीं होता और वहां के लोगों के लिये यह आवश्यक है

(श्री अनोपसिंह)

इसलिये इसका ट्रेडिंग आप करने जा रहे हैं तो यह उचित नहीं है और न यह किसानों के हित में ही। इससे जो जो समस्यायें खड़ी हो जायेंगीं उसको फेस करना आगे जाकर आपके लिये बड़ा मुश्किल हो जायगा। किसान यह नहीं चाहता कि दूसरे भूखों मरें, लेकिन वह यह तो चाहता है कि उसने जो मेहनत की है उसका पूरा रेट मिले। अगर उसको नहीं मिलता है तो यह समस्या ऐसी की ऐसी खड़ी रहेगी। इसके लिये आपको देखना होगा कि किसानों में किस प्रकार का वातावरण चल रहा है इससे काश्तकारों में बड़ी निराशा पैदा हो रही है। आप चाहते हैं कि एक तलवार से इधर तो व्यापारियों का और उधर किसानों का गला काट दें यह उचित नहीं है। यह आपकी छुरी दोनों तरफ वार करने वाली है वैसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि आप आज के किसान से यह उम्मीद न करिये कि वह अपना माल कम कीमत पर दे देगा वह सोचता है, कि मैं जब दूसरों के पेट के लिये अनाज पैदा करता हूं तो वह यह भी चाहता है कि उसका पेट पालने वाला भी कोई न कोई होना चाहिये। जब उस पर आपत्ति आती है उस वक्त न कोऑपरेटिव काम करती है और न पंचायत उस समय किसी प्रकार का क्रेडिट सिस्टम नहीं रहता और जरूरत पर कोई कुछ नहीं देता। मैं एक किसान के दृष्टिकोण से अर्ज करूंगा कि अगर खेती किसान करता है तो उसका खरीदने वाला बनिया ही हो सकता है और कोई नहीं।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोरम अब तक तो है।

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा मान लीजिये सस्ती धान की दुकानें होंगी तो उन पर लम्बा सारा क्यू लगा हुआ दिखाई देगा, एक तरफ तो क्यू से धान मिलेगा और दूसरी तरफ लम्बी क्यू लगेगी, लेवी का धान तुलवाने की। एक तरफ कर्मचारी सामने बैठे हुए हैं जो उससे लाभ उठाने वाले हैं इस तरह से दोनों तरफ जनता को दिक्कत होगी और उधर सरकारी कर्मचारियों के गुलछर्रे उड़ेंगे। पहले राशनिंग के समय में काफ़ी लोगों के बंगले बन चुके और अब सरकारी कर्मचारी इसी इन्तजारी में खड़े हैं कि लेवी लगने वाली है हमारा भी कुछ पेट भरेगा। और इसके लिये राज्य कर्मचारी इस तरह का सर्टिफिकेट लेने के लिये कि हमने इतना प्रोक्योरमेन्ट कर दिया तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ पटवारी भी तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे और तहसीलदार कलेक्टर और कलेक्टर कमिश्नर से वाहवाही लेना चाहेगा कि इस एरिया के अन्दर इतना धान इकट्ठा कर लिया गया। लोग तो अपने सर्टिफिकेट के चक्कर में रहेंगे और जो किसान अनाज की पैदावार करता है उसके लिये मुश्किल हो जायगी। जो व्यापारी थोड़ा बहुत मुनाफ़ा कमाकर अपना पेट भरना चाहता था वह व्यापारी भी मर जायगा। फायदा किसको होगा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को नहीं लेकिन जिनके बड़े बड़े बंगले हैं या जिनके बंगलों की नींव गड़ गई है उनके बंगले खड़े हो जायेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह मत व्यक्त करते हुए सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा स्टेट ट्रेडिंग का वे विरोध करें अगर स्टेट

(श्री अनोपसिंह)

ट्रेडिंग मतलब लेवी प्रोक्योरमेन्ट ही है तो उसका विरोध करके उसको हटाई जाय ।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : अब तो मेरे ख्याल से माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (खाद्य मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या के सम्बन्ध में जो मांग रखी गई उस पर जो वाद विवाद हुआ और जो कट मोशन्स रखे गये उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि खाद्य समस्या का जो सबसे खराब दौर था उससे हम गुजर चुके और इससे जो समस्या पैदा हो गई थी वह केवल चन्द दिनों की मेहमान है और वह भी समाप्त होने वाली है । खाद्यान्न की कीमतें राजस्थान में बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस सप्ताह के लेटेस्ट फीगर्स मेरे पास हैं उससे ज़ाहिर होता है कि लाल गेहूं की कीमत १५॥ रुपये मन है आम तौर पर बीस रुपया मन से इसकी ज्यादा कीमत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : सबसे महंगा कहां है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से बाड़मेर में है वह २३ रुपया है । इसी तरह से लाल गेहूँ और सफेद गेहूँ दोनों तरह के भावों का है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज १५॥) को टच कर रहे हैं । प्राइसेज पहले के मुकाबले में सब जगह कम होते जा रहे हैं । यह जरुर है कि कुछ स्थानों पर अब भी ज्यादा है । लेकिन इस समय जैसी परिस्थिति है और फेयर प्राइसेज़ शाप खुली कई हैं उसकी स्थिति यह है कि लोग गई जगह वहां से अनाज़ नहीं ले रहे हैं । बीकानेर से हाल ही में ४०० टन अनाज वापिस भेज दिया ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : इसलिये लौटा दिया कि वह खराब था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक तो खराब था नहीं । सभी जगह वही गेहूँ गया, उसकी और जगह आज भी बहुत डिमान्ड है । राजस्थान में करीब चालीस हजार टन आया था, अगर वह खराब होता तो सभी जगह से यही जवाब मिलता, तो यह सही नहीं है कि खराब है, पर बात यह है कि वहां अब डिमान्ड नहीं है । आज भी दूसरे दूसरे हिस्सों से इन दुकानों को खोलने की मांग आ रही है । अब डिमान्ड यों भी नहीं है कि लोगों को मालूम है कि फसल बहुत अच्छी है, और थोडे दिनों में नई फसल बाज़ार में आने वाली है । इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं । किसी वजह से हो, जो समस्या विकट थी वह अब चन्ददिनों की मेहमान है और बहुत आसानी आने वाली है ।

अब सवाल यह है कि आइन्दा के लिये क्या हो ? इसको लेकर माननीय सदस्यों ने दोनों ओर से अपने अपने विचार प्रकट किये । अब स्टेट ट्रेडिंग का स्वरुप क्या होगा, इसकी डिटेल्ड स्कीम क्या होगी, इसके बारे में थोडे दिन पहले अर्ज किया गया था कि प्लानिंग कमीशन इस मामले को अभी एग्ज़ामिन कर रहा है । हमारे पास भी राय के लिये यह मसला आया था । हमारी जो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

राय थी वह हमने उनको भेज दी है। अब डिटेल में प्लान हमारे पास आने वाला है। तब हम और अधिक इस पर प्रकाश डाल सकेंगे। अभी तो यह तय हुआ है कि स्टेट को इसमें ट्रेड करना है।

अब इसमें एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि स्टेट ट्रेडिंग से वही पुराना लेवी वाला जमाना आने वाला है जब काश्तकार से लेवी वसूल की जाती थी और जिसमें एक करोड का लगभग नुकसान हुआ था। तो मैं यह अर्ज करूं कि लेवी जैसी चीज राजस्थान में नहीं होने वाली है और स्टेट ट्रेडिंग का यह अर्थ है कि लेवी काश्तकार से वसूल होने वाली है, कतई नहीं है और मैं खुद भी इसके खिलाफ़ हूँ।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : उस वक्त आप इन्कार हो जावेंगे, याद रखियेगा जो कुछ आज आप कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप लेवी न करके कुछ और कर देना।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपकी बात सन्तोष और सब्र से सुनी थी, अब आप भी सन्तोष से मेरी बात सुनें। अगर मेरी बात दिमाग में नहीं बैठे तो फिर इन्कार कर देना, पर अभी सुन तो लें। मैं इस बारे में फिर से यह विश्वास दिलाता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग में इसका स्वरुप लेवी जैसा नहीं होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। कम्पलसरी अन्न खरीदने की बात न कभी ध्यान में आई है न आने वाली है।

श्री मदनसिंह : इससे भी वर्स्ट बात आने वाली है!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस पर तो आयन्दा विचार करेंगे। आप यह ख्याल रक्खें कि इस तरह की बातें काश्तकारों के सामने आएंगी, सब परेशान होंगे, लेवी की जैसी बात होगी, करोड़ों का नुकसान हो जावेगा ऐसी सूरत नहीं है, और न होने वाली है। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात।

इसके बाद यह भी कहा गया कि प्रोक्योरमेंट जैसी चीज़ हो जानी चाहिये। मैं अर्ज करूंगा कि प्रोक्योरमेंट की जो बात है वह तो पर्सनल बातें हैं, आइन्दा क्या शक्ल आने वाली है इस बारे में तो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस बारे में अभी मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता। इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं। यह भी हम मानते हैं कि यह आसान नहीं है। इसका जो अन्तिम स्वरूप होगा वह तो मैं बाद में ही बता सकता हूँ। पर इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हम अन्न मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिये खरीदना चाहते हैं और उसी के जरिये बेचना चाहते हैं। मोटी सी बात यह मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ। इसके बारे में किसी भी विद्वान्, विचारक ने और इकोनोमिस्ट ने कभी भी खिलाफत नहीं की है।

गांव के आदमियों की, किसानों की, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसायटी होनी चाहिये। इसमें काश्तकार के पास जो सरप्लस अनाज होगा और जो वह बेचना चाहेगा वही लिया जावेगा, काश्तकार से जबर्दस्ती कुछ भी नहीं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिया जावेगा। पर उसको बेचना पड़ता है यह मानना ही चाहिये। उसको अपनी जरूरत का अनाज रखने के बाद दूसरी जरूरत की चीजों के लिये बाकी बचा अनाज बेचना पड़ता है और इसकी इस बेचने की मजबूरी का फायदा आज व्यापारी उठाता है। वह उससे चीजें दामों में खरीदता है, उसको होर्ड करके रखता है, और फिर स्केअरसिटी का फायदा उठाकर उसको बहुत ऊंचे दामों में बेचता है। इससे उपभोक्ता को बहुत नुक्सान होता है और किसान को भी पूरा पैसा नहीं मिलता। तो इसलिये यह स्कीम दोनों के लिये भी फायदेमन्द है। दो साल पहले ५५ में स्लम्प आया था बाज़ार में। कीमतें बहुत कम हो गई थीं। तो स्टेट की तरफ से सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से स्वयं ने अच्छे दामों पर काश्तकारों से अनाज खरीदा था। यह तो स्टेट ट्रेडिंग का एक अंग है। इसमें हम काश्तकारों को उनके अन्न का और परिश्रम का उचित मूल्य देना चाहते हैं, और खरीददार को भी उचित कीमत पर पहुँचाना चाहते हैं। इसमें कोई किसी तरह की गड़बड़ की बात नहीं है। काश्तकार को और उपभोक्ता को निश्चय ही लाभ पहुंचेगा इससे इसमें किसी तरह के शक—शुबहा की गुंजाइश नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द (साचौर) : On a point of order, Sir, तो क्या सरकार टेन्डर के ज़रिये खरीदेगी या किस तरह खरीदेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी रूपरेखा क्या होगी वह अभी तै नहीं हुई है, जब होगी तो उसे हाउस में रक्खा जावेगा। पर मिसाल मैं रक्खूं कि टेन्डर तो नहीं पर इस तरह का कुछ होगा जैसा अभी गंगानगर में चना पिछली बार हुआ। भारत सरकार ने बाजार की कीमत देखकर जब करीब ६) १०) रुपये मन का बाजार भाव था तो साढ़े दस रुपया मन का भाव मुकर्रर किया और उसी भाव पर चना खरीद लिया। वह चना सरकार उसी भाव पर सप्लाई कर रही है। उसमें न काश्तकार से लेवी ली गई न काश्तकार को कोई दिक्कत हुई।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : भाव मुकर्रर करने का क्या आधार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वही तो कह रहा हूँ। योजना अभी पूरी तैयार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : फिर बिना योजना बने दस लाख का प्रोविज़न बजट में कैसे रख दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो टोकन डिमान्ड है। यह नीति है हमारी करने की। अब डिटेल वर्क आउट हो रही है। हमने यह घोषणा की है कि हमारी नीति स्टेट व्यापार करने की है इसलिये यह टोकन डिमान्ड रक्खी है। नीति हमारी कोई नहीं है ऐसा नहीं है। नीति तो डिक्लेअर कर दी है हमने। इसमें शक—शुबाह नहीं। उसकी डिटेल तैयार हो रही है।

श्री मोहरसिंह (राजगढ़) : आपने भाव मुकर्रर करने की नीति क्या निर्धारित की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे हिन्दुस्तान के ही भाव तय करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार की मौजूद है और वही मुकर्रर करती है और हमारे वहां बाजरे की कीमत वह क्या मुकर्रर करेंगे, इसके लिए लिखा है....

श्री मदनसिंह : अकर आपकी नीति है तो फिर व्यापारियों को क्यों बदनाम करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय व्यापारियों के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, मैं कहता हूं कि उनको बदनाम करने की क्या बात है। बंगाल में जो अकाल पड़ा उसका गुर उठाकर यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां बंगालमें ४०लाख आदमी इसलिए मर गए कि अकाल के समय में वहां के व्यापारियों ने अनाज को अपने पास स्टोर कर लिया जिसके कारण लाखों आदमी भूखों मर गए

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : वह तो फॉरिनकन्ट्री वालों की करतूत थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप सुन तो लीजिए....

अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि व्यापारी लोग काश्तकारों को परेशान करने के लिए उनसे सस्ता अनाज खरीदते हैं और फिर मौके पर आकर उसे बहुत मंहगा देते हैं, और कीमतें बढ़ाने के लिए ही अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं। तो मैं ज्यादा तो इस बारे में अर्ज नहीं करूंगा। हम तो चाहते हैं कि काश्तकारों को उनके अनाज के उचित दाम मिलें और जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको भी ठीक प्राइस पर अनाज मिले। सरकार तो काश्तकार और कन्ज्यूमर्स के बीच की एक कड़ी बनना चाहती है, ताकि दोनों वर्गों को ही फायदा हो। इसके लिए सिवाय स्टेट ट्रेडिंग के और कोई दूसरा रास्ता ठीक नहीं है। अगर इसके अलावा माननीय सदस्य इस समस्या को हल करने के लिए दूसरा रास्ता बतायेंगे तो उस पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। पर महज़ यह कह कर कि काश्तकारों को इससे नुकसान हो रहा है या गरीब व्यापारी मर जायेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए यह बात कही जाती है। मैं आपको यह बताऊं कि पिछली साल कुछ व्यापारियों ने इस बात को अपोज़ किया कि मैंने उन्हें गेहूं बाहर ले जाने के लिए पर्मिट्स नहीं दिये। वह गेहूं बाहर ले जाना चाहते थे, मैंने कहा कि मैं राजस्थान से किसी भी तरह का अनाज बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो उस समय उनका कहना था कि अगर सरकार हमें पर्मिट दे दे तो प्रतिमन पांच रुपये ज्यादा मिलेंगे। यह सदन को जानकर आश्चर्य होगा मैंने उनको किसी भी तरह की इजाज़त नहीं दी। क्या सरकार ने कोई बुरा काम किया, क्या यह व्यापारियों की ओर से अनसोशियल एलीमेन्ट नहीं था, तो और क्या था? उस समय १२ रुपये की कीमत थी और आज उससे दुगनी कीमत हो गई। मैं कहता हूं कि क्या यह अनसोशियल एलीमेन्ट नहीं है। अनसोशियल एलिमेन्ट्स इसी तरह से काश्तकारों का खून चूसते हैं और उसको हम रोकना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसलिए जो माननीय सदस्य बार बार इस बात को कहते हैं कि गरीब व्यापारियों को नुकसान होता है उन्होंने अब तक लाखों रुपया कमाया है। राजस्थान में मैं आपको बताऊं कि १२० करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है क्या यह फायदा काश्तकार को हुआ है। एक आदमी तो बहुत ज़्यादा मालदार हो जाये और दूसरा गरीब बनता चला जाये, एक आदमी दूसरे का शोषण करे ऐसा हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बताऊं कि आज भी बाम्बे से गेहूं

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लाकर यहां बेचा जा रहा है तो माननीय सदस्यों का यह कहना कि व्यापारियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है यह कहना उचित नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य नेस्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहा कि उसके लिए गोदामों की दिक्कत आने वाली है, पैसों की दिक्कत आने वाली है और इसके साथ ही साथ जो मशीनरी इस काम को करने में लगेगी उसके लिए दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेन्ट ने इस पर विचार किया है और सारी स्कीम जो इसके बारे में प्लानिंग कमीशन ने तैयार कीहै उसमें भी इस बात का जिक्र है कि हमें स्टेट ट्रेडिंग के लिए ४०० करोड़ रुपये की आवश्यकता सम्पूर्ण देश के लिए पड़ेगी। इसी तरह से हमको वेयर हाउसेज़ चाहिए, फिर स्टोर के लिए कितना सामान चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कितना खर्चा चाहिए इन सारी बातों पर विचार करके प्लानिंग कमीशन किसी नतीजे पर आने वाला है। किसी माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि काफी अर्सा हो गया है और इस पर विचार नहीं किया है तो मैं कहता हूँ कि हमने विचार किया है लेकिन प्लानिंग कमीशन में कुछ एक्सपर्टस बैठे हुए हैं उनके पास आंकड़े भी हैं, सहूलियतें भी है और वह सारे हिन्दुस्तान के चित्र को सामने रखकर कोई न कोई खाका तैयार कर रहे हैं। यह हमारे सामने कोई नई स्कीम आकर थोंपने जैसी नहीं है इसको तो हम ही इम्पलीमेंट करेंगे और इस पर हम जरूर विचार करेंगे।

इसके अलावा दूसरी बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा राजस्थान एक सैक्यूलर स्टेट है और हमारे राजस्थान में इस समय भी काफी गल्ला पैदा होता है और इतना है कि इस मामले में हम सैल्फ सफीशियेन्ट हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक समय वह आयेगा जबकि हर किसान इस बात की ख्वाहिश करेगा, कि हमारे यहां इतना गल्ला पैदा होता है कि हमारा गल्ला बाहर भी भेजा जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान कैनाल के पूरी हो जाने के बाद में या और जो ऐसे ही डवेलपमेंट्स के काम हो रहे हैं जैसे भाखरा और चम्बल योजनायें तो इनसे राजस्थान की वह शकल पैदा होने वाली है कि राजस्थान हमेशा के लिए सरप्लस हो जायेगा और यहां से अनाज सारे हिन्दुस्तान को सप्लाई होगा और क्या इसका प्रबंध सारा व्यापारियों के ऊपर ही छोड़ दिया जाये, क्या व्यापारी ही यह सारा काम करें जिन्होंने आज तक इतना मुनाफ़ा कमाया और इतना अनसोशियल एलीमेंट फैलाया। हम तो काश्तकारों को व्यापारियों के चंगुल से बचाना चाहते हैं औरफिर भी अगर आप राजस्थान से बाहर गल्ला भेजना चाहते हैं तो स्टेट ट्रेडिंग के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है राजस्थान के बाहर जहां कहीं भी जरूरत हो वहां सप्लाई करें। इसके लिए तो सिर्फ स्टेट ट्रेडिंग ही एक रास्ता है। मैं समझता हूँ कि इसी पॉइन्ट ऑफ व्यू से हम इस बात पर विचार करेंगे तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि स्टेट ट्रेडिंग ही इसका एक रास्ता है....

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं अभी मिनिस्टर महोदय ने कहा कि व्यापारियों ने फायदा उठाया और कहा कि राजस्थान के लिए वह

(श्री मोहरसिंह)

भी समय आयेगा जब कि राजस्थान बाहर अनाज भेजेगा तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने ६ रुपये मन में अनाज़ तुलवाया जब कि बाजार में १६ रुपये मन बेचा जा रहा था। इस तरह से १६ रुपये के बजाय ६ रुपये मन खरीदा था तो इसकी क्या गारन्टी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि लेवी की बात नहीं आने वाली है....

श्री मोहरसिंह : मैं भाव की कह रहा हूं। इसी तरह से आज यह कहा जा रहा है कि व्यापारी लोग मुनाफा उठाते हैं तो गवर्नमेन्ट ने उस समय क्या किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी अर्ज यह है कि प्राईसेज़ फिक्स करने के लिए सारी बातें देखी जाती हैं कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है यह सब एक्सपर्टस बैठकर फिक्स करते हैं। अभी बाजरे के लिए भारत सरकार को कीमत के लिए कह रखा है सीकर और झुंझुनू के बाजरे के लिए तो हमने इसके बारे में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को लिखा है और हमने कई बार उनको कहा है कि क्या फिक्स करना चाहिए प्राईसेज़ हम चाहते थे जो कीमत उसको हमने लिखकर भेजी, उसको भी उन्होंने एग्री नहीं किया। तो जो रीज़नेबल प्राइज़ होगी वह फिक्स होने वाली है क्योंकि गवर्नमेन्ट के लिए तो काश्तकार और कन्ज्यूमर दोनों ही जनता है। गवर्नमेन्ट कोई फायदा कमाने की एजेन्सी नहीं है। यह सब कोऑपरेटिव ट्रेडिंग के जरिये से होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो खास खास बातें यहां पर स्टेट ट्रेडिंग के लिए और उसके खिलाफ कही गई उनके बारे में मैंने निवेदन किया। और आयन्दा के लिये हमारे सामने जो समस्या आने वाली है उसके बारे में मैंने निवेदन किया। मैं समझता हूं एक बात मैं और अर्ज कर दूँ कि यदि अब कहीं पर चीप ग्रेन शोप की दिक्कत हो तो हमारे पास काफी अनाज है इसलिये अब भी दूकानें और भी खोली जा सकती हैं। हमने हर एक कलेक्टर को कह दिया है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ग्रेन है। सब को इतला दे दी है। यह ख्याल अब भी न करें कि आयन्दा आने वाली फसल से पहले अनाज की कमी है यह मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूँ कि सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की थी कि जयपुर में बहुत दूकाने हैं और बाहर कम हैं....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यहां वाली बंद कर दें।

श्री अनोपसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्रीजी यह बतावें कि स्टेट ट्रेडिंग के प्रिन्सिपल्स क्या हैं ? What is that State trading ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट अनाज खरीदेगी और बेचेगी। यह १ करोड़ २२ लाख की डिमान्ड है। इसमें जो १० लाख की टोकन डिमान्ड रखी है उसकी स्कीम सामने नहीं आई है, डिटेल्स वर्क आउट नहीं किये गये हैं। डिटेल्स वर्क आउट होने के बाद में सारी स्कीम सदन के सामने रखेंगे इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने अपने कट मोशन्स रखे हैं वे उन्हें वापिस लेने की कृपा करें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): बिक्री और खरीद का हैड क्या रखा है

श्री अध्यक्ष : सारी खरीद है सरकार की वह इस हैड में रखी है चाहे धान की खरीद हो चाहे दूसरी चीजों की।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : ज्यादा अनाज लाना पड़ा तो कहां से लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह तो टोकन ग्रान्ट है। आप सिद्धान्त स्वीकार करते हैं तो रुपया आ सकता है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आप स्टेट ट्रेडिंग करेंगे उसमें खरीद और बिक्री का तरीका क्या होगा यह क्लेरिफाइ करदें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी उनके थ्रू परचेजेज होंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर सु) : अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आया कि छोटे व्यापारी मर जायेंगे वे आन्दोलन करेंगे उनका क्या होगा। भगवान की कृपा से फसल इस समय ठीक है।

श्री अध्यक्ष : वे भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : स्टेट ट्रेडिंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया सारे हिन्दुस्तान के लिये मोडल बना कर देगी क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया था कि एक स्कीम बनाकर सर्क्युलेट की थी पर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर होगा कि उसको एडोप्ट करें न करें कोई मोडल चीज़ नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं उनके बीच में जैलेसी नहीं होगी क्या ?

दूसरी बात यह है कि जो काश्तकार खेती कम करेंगे, उसका क्या उपाय करेंगे, यह जवाब नहीं दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सर्विस कोऑपरेटिव का जिक्र है उसमें यह भी शामिल है। कोऑपरेटिव फार्मिंग अलग चीज़ है। जोइन्ट काश्त का नाम है।

श्री मदनसिंह : सरकार जो भाव तय करेंगी उस भाव पर काश्तकार अपनी मर्जी से बेचेगे या जबर्दस्ती लेंगे, इसका स्पष्टीकरण और हो जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि सारा मर्जी पर होगा।

डॉ० चन्द्रकला : मलेरिया नियंत्रण का हैड है उसमें ३८,००० रू० स्वीकृत हैं, मलेरिया का और स्टेट ट्रेडिंग का क्या सम्बंध है ?

श्री अध्यक्ष : यह पहले बता चुके है।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखे है उन्हें वापिस लेने की इजाजत दी जाय...

डॉ० चन्द्रकला : सभी इकट्ठे ले लिय जांय।

श्री अध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी, डॉ० चन्द्रकला, डॉ० बहादुरसिंह, श्री सोहनलाल भटनागर, श्री

(श्री अध्यक्ष)

भीमसेन, श्री रामेश्वरदयाल, श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किये है उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my Cut motians

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद : राइट ऑफ रिप्लाई तो है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई का समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

ना पक्ष जीता प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सारे शेष कटौती प्रस्ताव स्वीकार किये जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ४० मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के लिये ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राज्यपाल महोदय को १,२२,३८,००० रू. की धन राशि प्रदान की जाय"।

स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही दिनांक ९ मार्च १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४. ५८ बजे, ९ मार्च, १९५९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, ६ मार्च, ५९)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २६०७

किंग जॉर्ज फिफ्त सिल्वर जुबिल लाइब्रेरी, बीकानेर

बिनाना ग्राम में बंध का सर्वे

भरतपुर शहर की दही वाली गली में जूते बनाने वाली संस्था

बयाना तहसील में जैसोरा बांध की टूट

हाथ कर्घा आंकडे एकत्रित करने की स्कीम के अन्तर्गत स्टाफ़ का वेतन

जालोर से उम्मेदाबाद होती हुई बागोड़ा तक की सड़क

मकराना खान का स्टाफ़

उम्मेदाबाद के पुलिस थाने के भवन का किराया

पुलिस कान्स्टेबिल की पेन्शन, ग्रेच्युएटी इत्यादि

भांकरी खान के कर्मचारियों को पेन्शन

ग्राम मोटडा के कृषकों से नहरी लगान की वसूली

सामरिया (बस्सी) की कृषि सोसायटी के हिसाब का ऑडिट

बीकानेर जिला बोर्ड के स्कूलों को सरकारी सहायता

प्रकाश टॉकीज, सवाई माधोपुर

नोखा व कोलायत तहसीलों में पशु चिकित्सालय

जिलों में विकास खण्डों की स्थापना

सांचोर विकास खण्ड के रेडियो सैट

जिला जालोर के शिक्षकों का फिक्सेशन एरियर

पंचायत भवन करकेड़ी के समीप की भूमि

कोटा पीपलदा रोड

करकेडी तथा रूपनगढ़ कन्या पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का बकाया वेतन

वन विभाग, जयपुर रेन्ज के जमादार की ग्रेच्युएटी

कोटा जिले के तहसील विकास खण्ड

बीघोड़ी का मतालबा

जियोलॉजी विषय के योग्य प्रोफेसर

सवाई माधोपुर में एरोड्रॉम

कोटा जिले में आदिवासियों के लिए मकानों का निर्माण

डिस्ट्रिक्ट टौंक में तहसील वाइज

स्कम्भ

रबी अभियान के हेतु कमेटियों का निर्माण

जुडिशियल ऑफिसरों की सीनियोरिटी लिस्ट

स्थगित प्रश्न

दिनांक २० फरवरी ५६ पटेल बहुद्देशीय पाठशाला में फर्नीचर की कमी।

१६५६-५७ की लालसोट के माइनिंग की रकम वसूली।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने गृह (ख) विभाग विज्ञप्ति सं० डी. १२६६। एफ. १ (१) ।२। एच. बी. । ५६. दिनांक २० फरवरी, को सदन की मेज पर रखा

विधायी कार्य

१—वापस लिये गये विधेयक २६७२

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने निम्नांकित चार विधेयकों को, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, वापस ले लिया :—

(१) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६५७

(२) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

(३) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८

(४) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, १६५८

स्कम्भ

२—पुरः स्थापित किया गया विधेयक २६७३

राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, १६५६, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरः स्थापित किया गया।

आय—व्ययक, १६५६, ६० द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान २६७६

मांग संख्या ४०-मुख्य शीर्षक ८५ का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

उपरोक्त मांग श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता मंत्री रसद विभाग, द्वारा प्रस्तावित की गई।

इस मांग पर १६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। रसद मंत्री के उत्तर के पश्चात् १० कटौती प्रस्ताव वापस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

स्कम्भ

सोमवार, दिनांक ६ मार्च, १६५८ की कार्य सूची.

१. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, १६५६

स्कम्भ

(पुरः स्थापन)

आयव्ययक. १६५६, ६० द्वितीय अवस्था

२. अनुदानों की मांगों पर मतदान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में अब तक खोले गए विकास खण्डों की सूची

क्र० सं०	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम
१.	बीकानेर	१ नोखा
		२ कोलायत
२.	चुरू	३ सरदारशहर
		४ राजगढ़
		५ डूंगरगढ़
३.	गंगानगर	६ रायसिंहनगर
		७ श्रीकरनपुर
		८ हनुमानगढ़
		९ सूरतगढ़
		१० पदमपुर
४.	अलवर	११ किशनगढ़बास
		१२ गोविन्दगढ़ (हैडक्वार्टर लछमणगढ़)
		१३ तिजारा
		१४ मंडावर
		१५ कोटकासिम
		१६ थानागाजी
		१७ बान्सुर
५.	भरतपुर	१८ नगरपहाड़ी (हैडक्वार्टर नगर)
		१९ बसेड़ी
		२० राजाखेड़ा

१	२	३
		२१ नदबई
		२२ रुपबास
		२३ कुम्हेर
६.	जयपुर	२४ जोबनेर (हैडक्वार्टर सांभर)
		२५ बस्सी
		२६ सांगानेर
		२७ जयपुर (हैडक्वार्टर जोटवाड़ा)
		२८ बांदीकुंई
		२९ फागी
		३० बैराठ
		३१ सिकराय
७.	झुंझुनू	३२ चिड़ावा
		३३ उदयपुरवाटी
		३४ सूरजगढ़
		३५ नवलगढ़
८.	सवाईमाधोपुर	३६ हिन्डौन
		३७ टोडाभीम
		३८ महुवा
		३९ करौली
		४० सवाईमाधोपुर
		४१ गंगापुर
		४२ नादोती
९.	सीकर	४३ नीमकाथाना
		४४ लछमणगढ़

१	२	३	
		४५	दांतारामगढ़
		४६	श्रीमाधोपुर
१०.	टौंक	४७	मालपुरा
		४८	टौंक
		४६	टोडारायसिंह
११.	अजमेर	५०	पिसांगन
		५१	मसूदा
		५२	जवाजा
		५३	केकड़ी
		५४	श्रीनगर
		५५	किशनगढ़ (हैडक्वार्टर सिलोरा)
		५६	भिनाय
१२.	बाड़मेर	५७	सिवाना
		५८	शिव
		५६	पंचभद्रा (हैडक्वार्टर बालोतरा)
१३.	जैसलमेर	६०	सांकड़ा (हैडक्वार्टर पोकरन)
१४.	जालौर	६१	आहोर
		६२	सांचोर
		६३	भीनमाल
१५.	जोधपुर	६४	बिलाड़ा
		६५	ओसियां
		६६	भोपालगढ़
		६७	जोधपुर (हैडक्वार्टर मंडोर)

१	२	३
१६.	नागौर	६८ डीडवाना
		६९ लाडनू
		७० कुचामन
		७१ मकराना
		७२ डेगाना
१७.	पाली	७३ सुमेरपुर
		७४ बाली
		७५ देसूरी
		७६ खारची
		७७ सोजत
		७८ रायपुर
१८.	सिरोही	७९ पिंडवाड़ा
		८० आबू (हैडक्वार्टर आबू रोड)
		८१ सिरोही
१९.	बून्दी	८२ बून्दी तालेड़ा (हैडक्वार्टर तालेड़ा)
		८३ हिन्डौली
२०.	झालावाड़	८४ झालरापाटन
		८५ खानपुर
		८६ मनोहरथाना
२१.	कोटा	८७ बारां
		८८ अन्ता
		८९ लाडपुरा (हैडक्वार्टर कोटा)
		९० शाहबाद
		९१ अटरु

१	२	३	
		९२	इटावा
२२	बांसवाड़ा	९३	गढ़ी
		९४	कुशलगढ़
		९५	बागीडोरा (हैडक्वार्टर कलेन्जरा)
		९६	घाटोल
२३.	भीलवाड़ा	९७	मांडलगढ़
		९८	मांडल
		९९	शाहपुरा
		१००	जहाजपुर
		१०१	कोटड़ी
२४.	चित्तौड़गढ़	१०२	प्रतापगढ़
		१०३	वेगूं
		१०४	कपासन
		१०५	चित्तौड़गढ़
		१०६	राशमी
		१०७	निम्बाहेड़ा
२५.	डूंगरपुर	१०८	डूंगरपुर
		१०९	सीमलवाड़ा
		११०	सागवाड़ा
		१११	आसपुर
		११२	डूंगरपुर वेस्ट (हैडक्वार्टर बिचीवाड़ा)
२६.	उदयपुर	११३	राजसमन्द
		११४	आमेट
		११५	कुम्भलगढ़

१	२	३
		११६ गिरवा
		११७ कोटड़ा
		११८ खमनोर (हैडक्वार्टर नाथद्वारा)
		१२९ धरियावद
		१२० बड़गांव (हैडक्वार्टर उदयपुर)
		१२१ रेलमगरा
		१२२ मावली

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३७० का उत्तर देखिये)

१ श्री नैनमल सुराना प्र० अ० मिडिल स्कूल साचौंर
२ श्री सोकरासिंह ,, ,, बड़गांव
३ श्री लूम्बराज सह उपनिरीक्षक ,, भींनमाल
४ श्री बाबूलाल रावल मा० पाठशाला रामसीन
५ सोनाराम चपरासी ,, ,, धानसा
६ नन्दकिशोर सह उप निरीक्षक सांचौर

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २८१ का उत्तर देखिये)

रबी अभियान हेतु बनाई गई कमेटियों के सदस्यों के नाम तहसीलवार निम्न प्रकार हैं :-

१ तहसील उनियारा

१ श्री किशनलाल	सरपंच, तहसील पंचायत
२ श्री चन्दीलाल	—
३ श्री जगन्नाथ	पंच तहसील पंचायत
४ श्री सूरजमल गोयल	—
५ श्री गुलाम फरीदखां	प्रगतिशील किसान

२ तहसील देवली

१ श्री दूलासिंह	सरपंच, तहसील पंचायत
२ श्री मुहम्मद जमानू खां	—
३ श्री रामस्वरूप	पंच तहसील पंचायत
४ श्री भंवरलाल	”
५ श्री हरदेव	पंच पंचायत नीवरिया किसान
६ श्री रामचन्द्र	

३ तहसील निवाई

१ श्री कल्याणदास	मेम्बर, तहसील पंचायत
२ श्री रामसिंह	पंच किसान
३ श्री रामकरण	पंच
४ श्री दिखरधनसिंह	तहसीलदार

४ विकास खण्ड टौंक

१ श्री सुन्दरलाल	विकास अधिकारी
२ श्री ईश्वरसिंह	कृषि विस्तार अधिकारी
३ श्री रामेश्वर प्रसाद	कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर
४ श्री मोहनलाल	एनीमल हसबेन्डरी एक्सटेन्शन आफिसर
५ एस० सी० मेहता	तहसीलदार

५ विकास खण्ड मालपुरा

१ एच० एन० शर्मा	विकास अधिकारी
२ श्री मोहम्मद अयूब खां	कृषि विस्तार अधिकारी
३ श्री गोपाल मोहन	एनीमल हस्बेन्डरी एक्सटेंन्शन आफिसर
४ श्री मोहनदत्त शर्मा	कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर
५ श्री गेन्दालाल	तहसीलदार

६ विकास खण्ड टोडारायसिंह

१ श्री ए० यू० बापना	विकास अधिकारी
२ श्री बी० सी० सक्सेना	कृषि विस्तार अधिकारी
३ श्री गोपालसिंह	तहसीलदार
४ श्री भंवरलाल	कोऑपरेटिव इन्स्पेक्टर

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ६ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२६२३	२३	टे ऑदेश	स्टे ऑर्डर्स
२६३८	१०	संचोर	सांचोर
२६७६	अन्तिम से ७	मग	मांग
२६७८	१६	falture	failure
२७५९	१८	तरकार	सरकार
२७६७	१८	अकड़े	आंकड़े
२८०७	१	अकर	अगर
२७७५	१२	disprepencis	discrepiencies
,,	अन्तिम से ४	eritical	critical